Thursday, 28 February,1963

लोक-सभा
वाद-विवाद

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

खण्ड १३, १९६३ / १८८४ (शक)

१८ फरवरी से २ मार्च, १९६३ / २९ माघ से ११ फाल्गुन, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Preservation Unit
21-5-98
Fumigated
On 8.12.83
Parliament Library

Chamber Fumigated 18.10.73

चौथा सत्र, १९६३/१८८४ (शक)

(खण्ड १३ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

तृतीय माला, खण्ड १३–अंक १ से १०—१८ फरवरी से २ मार्च, १९६३/२९ माघ से ११ फाल्गुन, १८८४ (शक)

अंक १—सोमवार, १८ फरवरी, १९६३/२९ माघ, १८८४ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख	
राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय बाधा डालना तथा सदन से बाहर चले जाना	१–३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सभा पटल पर रखा गया	४–९
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०–११
बड़े पत्तन प्रन्यास विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना	१२
संविधान संशोधन विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना	१२–१३
दैनिक संक्षेपिका	१४–१६

अंक २—मंगलवार, १९ फरवरी, १९६३ / ३० माघ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ६, और ९ से १२	१७–४२
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ७, ८, १३ से २७ और ३०	४२–५१
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५०	५१–७२
राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय हुई घटना के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	७२
जमुना कोयला खान में हुई दुर्घटना	७२–७४
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	७४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७४–७७
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२–६३	७७
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६०–६१	७७

कार्य मंत्रणा समिति	७७
बारहवां प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति	७८
बाईसवां और तेईसवां प्रतिवेदन	
कैन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	७८
रेलवे आय-व्ययक, १९६३–६४—उपस्थापित	
श्री स्वर्ण सिंह	७८–१००
राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों द्वारा किये गये व्यवहार की जांच के लिये समिति	१००–०१
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक	१०१
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१०१–०४
खंड २ और १	१०४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१०४
कृषि पुर्नवित्त निगम विधेयक ,	१०५–११६
विचार करने का प्रस्ताव	
अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के बारे में प्रस्ताव	११६–२८
दैनिक संक्षेपिका	१२६–३६

अंक ३—बुधवार, २० फरवरी, १९६३/१ फाल्गुन, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१ से ४२	१३६–६२
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ५५	१६२–७०
अतारांकित प्रश्न संख्या ५१ से ८६, ८८, ८९, ९१ और ९२	१७०–८६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	१८७
कारीगरी और स्वर्णकारों में कथित बेकारी	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१८७
प्राक्कलन समिति	१८७–८८
चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन	
सभापति तालिका	१८८
कार्य मंत्रणा समिति	१८८
बारहवां प्रतिवेदन	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	१८९–२३४
दैनिक संक्षेपिका	२३५–३८

अंक ४—शुक्रवार २१ फरवरी १९६३ / २ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . २३९—६४

तारांकित प्रश्न संख्या ५६ से ७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८२ . . . २६५—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४ से १०० और १०२ से १२४ . २७२—८५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २८५—८७

अमरीका तथा राष्ट्रमंडल के संयुक्त वायु सेना के शिष्टमंडल का भारत आगमन

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२-६३ . . . २८७

लोक लेखा समिति २८७

छठा प्रतिवेदन

सोना नियंत्रण सम्बन्धी भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियमों के बारे में याचिका . २८७

संघ राज्य क्षेत्रों का शासन विधेयक—पुरस्थापित . . . २८७

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . २८८—३१५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३१६—१९

अंक ५—शुक्रवार २२ फरवरी, १९६३ / ३ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९४, ९६ से ९९ और १०१ से १०४ . ३२१—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९५ और १०० . . . ३५२—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५ से १२९, १३१, १३३ से १४८ और १५० . ३५३—६४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३६४—६५

प्रस्तावित मलयेशिया संघ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३६५—६७

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा पटल पर रखी गई ३६८

प्राक्कलन समिति

बारहवां और सत्रहवां प्रतिवेदन ३६८

सभा का कार्य ३६८

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . ३६९—८६

विधेयक पुरस्थापित — . . . . ३८६—८७

(१) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा १३ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का]

(२) नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) संशोधन विधेयक, (धारा २ का संशोधन) [श्री च० का० भट्टाचार्य का]

(३) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबंध (संशोधन) विधेयक (नई धारा ७क का रखा जाना) [श्री च० का० भट्टाचार्या का]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, (धारा ४ और ६ का संशोधन) . ३८७—९८ [श्री श्याम लाल सर्राफ का]

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव

सिनेमा फिल्मों की (अधिकतम) लम्बाई विधेयक [श्री रामेश्वर टांटिया का] ३९८—४०८

विचार करने का प्रस्ताव

बाल-विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३ का संशोधन) . ४०८ [श्री दी० चं० शर्मा का]

परिचालित करने का प्रस्ताव ४०८

कार्य मंत्रणा समिति ४०८

तेरहवां प्रतिवेदन

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४०९—१४

अंक ६—सोमवार २५ फरवरी १९६३ / ६ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०५ से ११४ . . . ४१५—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११५ से १३२ . . . ४४०—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या १५१ से १७६ और १७८ से १९५ . ४५३—७१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ४७१—७२

(१) मिलिटरी लाइन्स, सागर में पानी की एक टंकी का फट जाना

(२) बर्मा में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और वहां के भारतीय बैंकों पर उसके प्रभाव

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७२
कार्य मंत्रणा समिति
तेरहवां प्रतिवेदन ४७३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . ४७३—५३१
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५३२—३६

अंक ७—बुधवार २७ फरवरी १९६४ / ८ फाल्गु १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १३४, १४८ और १३५ से १४३ . ५३७—६१
प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १४४ से १४७ और १४९ से १५२ . ५६२—६५
अतारांकित प्रश्न संख्या १९६ से २३३ . . . ५६५—८०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ५८०—८४
(१) १८ फरवरी को गंगा नदी के पानी के भारतीय भाग में पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र पुलिस का कथित अनधिकृत प्रवेश
(२) बर्मा में बैंकों के राष्ट्रीय करण के बारे में वक्तव्य
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ५८४—८५
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
तेरहवां प्रतिवेदन ५८५
निर्यात के लिये भेजे जाने वाले सामान पर भाड़े की रायायत के बारे में वक्तव्य . ५८६
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . ५८७—६३४
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६३५—३९

अंक ८—गुरुवार २८ फरवरी १९६३ / ९ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १५३ से १६६ . . . ६४१—६६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ६६७—६९
प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १६७ से १७० और १७२ . . ६६९—७१
अतारांकित प्रश्न संख्या २३४ से २३९ और २४१ से २६० . ६७१—८३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ६८३—८४

समुद्रीय बीमा विधेयक ६८५

संयुक्त समिकिता प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति ६८५

तेरहवां और बीसवां प्रतिवेदन

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२–६३ . . ६८६—९८

कृषि पुर्दवित निगम विधेयक . . . ६९८—७२४

विचार करने का प्रस्ताव

खंड २ से ४७ और १

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

सामान्य आय-व्ययक, १९६३–६४—उपस्थापित . ७२४—४७

विधेयक पुरस्थापित . . . . . ७४८—४९

(१) वित्त विधेयक, १९६३

(२) अधिलाभ कर विधेयक, १९६३

(३) अनिवार्या जमा योजना विधेयक, १९६३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ७५०—५४

शुक्रवार, १ मार्च, १९६३/१० फाल्गुन, १८८४ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

डा० राजेन्द्र प्रसाद का निधन . . . ७५५—५९

दैनिक संक्षेपिका ७६०

अंक १०—शनिवार २ मार्च १९६३ / ११ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से २०६ और २०९ . . ७६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७३ से १९३, २०७, २०८ और २१० से २२२ ७८७—८०२

अतारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६२, २६४, २६६, २६७, २६९ से ३७० और ३७२ से ३९० . ८०२—५९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मनीपुर के रास्ते भारत में नागा विद्रोहियों का कथित प्रवेश . . ८५९—६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ८६१—६३

राष्ट्रपति का संदेश ८६३

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण की जांच करने वाली समिति ८६४

प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना . . ८६४

राज्य सभा से संदेश ८६४

सभा का कार्य ८६४–६५

विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६३—पुरस्थापित . . ८६५–६६

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . ८६६—८६

दैनिक संक्षेपिका .

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS III—2961 (Ai) LSD—11-5-63—160.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, २८ फरवरी, १९६३

९ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत में कोयले का परिवहन

+

†*१५३. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बासप्पा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोयले के परिवहन का अध्ययन करने के लिये विदेशी सलाहकारों का एक दल भारत आया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने इस बारे में कोई सुझाव दिया है ; और

(ग) उनका व्यौरा क्या है ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) दल केवल २४ जनवरी, १९६३ को नई दिल्ली आया था। अतः अभी दल कोई सुझाव नहीं दे सकता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

2927 (Ai) LS—1.

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह आशा है कि यह समिति तत्काल कठिनाइयों को दूर करने के लिए अन्तरिम रिपोर्ट देगी और यदि हां, तो क्या उपाय हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : आशा है कि दल छः मास में अन्तरिम रिपोर्ट देगा जिसमें बंगाल–बिहार प्रदेश में कोयला परिवहन को शीघ्र सहायता देने के लिए तुरन्त अपनाये जा सकने वाले उपायों की सिफारिश की जायेगी।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : परिवहन की आवश्यकताओं का यह उद्देश्यात्मक अध्ययन करते हुए क्या वे कोयले के निक्षेप का पता लगाने में संसाधन मूल्यांकन समिति द्वारा एकत्रित आकड़ों का प्रयोग करेंगे ?

†श्री ब० रा० भगत : वे जो भी आंकड़े समझें प्रयोग कर सकते हैं। उन पर कोई रुकावट नहीं है।

†श्री बी० चं० शर्मा : क्या विदेशी विशेषज्ञों या सलाहकारों की यह समिति कुछ विदेशी एजेंसियों या विदेशी सरकारों से भारत सरकार को कोयला या परिवहन बढ़ाने के लिए सहायता देने की सिफारिश कर सकती है।

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह उनका काम नहीं है।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या हमारे देश में परिवहन विशेषज्ञ नहीं हैं और देश में कोयले की ढुलाई का हल मालूम करने के लिए विदेशी विशेषज्ञ सरकार को क्यों बुलाने पड़े ?

†श्री ब० रा० भगत : हमारी जांच करने के लिए व्यक्तियों को बाहर से बुलाना सदैव अच्छा रहता है और संभव है कि कुछ व्यक्तियों को हमसे अधिक अनुभव हो।

†श्री पं० वेंकटासुब्बया : क्या इस अध्ययन में केवल चालू वर्ष की कठिनाइयों का सर्वेक्षण होगा या समूची योजना अवधि की कठिनाइयों का अध्ययन होगा और, यदि हां, तो अध्ययन का क्या क्षेत्र है और वे किस अवधि का अध्ययन करेंगे ?

†श्री ब० रा० भगत : कोयला के परिवहन संबंधी समस्याओं पर कार्यवाही करना और दीर्घकालीन दृष्टि से जांच करना।

अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ

†*१५४. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बासप्पा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ से उनकी मांगों के आधार पर समझौता कर लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत की गई मुख्य मांगें कौन सी हैं ;

(ग) इससे कितने कर्मचारियों को लाभ हुआ है ; और

(घ) किस सीमा तक ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ). एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) (१) निगम ने महंगाई भत्ता का कुछ भाग वेतन में मिला दिया है ;

(२) सभी वेतन-क्रम बदल गये हैं ;

(३) कार्य-भता बढ़ा दिया गया है ;

(४) मकान किराया भत्ता शुरू कर दिया है ; और

(५) समुद्र से ४००० फीट और उस से अधिक ऊंचाई को सभी स्थानों के लिए पहाड़ी भत्ता।

(ग) तीसरी श्रेणी में २९,००० और चौथी श्रेणी में ६,०००।

(घ) चौथी श्रेणी के प्रत्येक कर्मचारी को औसत रूप में २६ रु० मासिक का लाभ है और तीसरी श्रेणी के प्रत्येक कर्मचारी को ४३ रु० मासिक लाभ होगा । इसके अतिरिक्त श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों को पहले १ अप्रैल, १९६० से १५ रु० की एतदर्थ वृद्धि मिली थी।

†श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से पता लगता है कि निगम ने कुछ महंगाई भत्ता मूल वेतन में मिला दिया है । क्या यह सच है कि कर्मचारियों की मांग यह भी थी कि सारा महंगाई भत्ता मूल वेतन में मिला दिया जाये और यदि हां, तो इसे अब तक न मिलाने के क्या कारण हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : यह कार्यवाही कर्मचारी संघ के साथ पर्याप्त समय से वार्ता करने के फलस्वरूप की गई है, क्योंकि यदि सारा भत्ता मिला दिया जाये, तो इस से निगम की धन राशि और व्यय प्रतिशत पर बहुत भार पड़ेगा । यह एक कारण है । दूसरा कारण औचित्य का है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या बोनस देने के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श हुआ था और, यदि हां, तो क्या कर्मचारियों के साथ कोई समझौता हुआ है या होने वाला है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : ये विस्तार की बातें हैं। इस पर निगम कार्यवाही करता है और सरकार का इस से कोई सीधा संबंध नहीं है ।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : महंगाई भत्ता का कितना भाग मूल वेतन में मिलाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० रा० भगत : यह बात विवरण में दी है परन्तु इसका ब्यौरा देने की दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि १ जनवरी, १९६२ से महंगाई भत्ता १२६ के निर्वाह व्यय देशनांकों के अनुसार श्रेणी के कर्मचारियों के मूल वेतन का २६ प्रतिशत और तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के मूल वेतन का १९½ प्रतिशत है ।

†श्री रंगा : क्या सरकार को बीमा क्षेत्र कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन मिला है और क्या उन लोगों को भी यह रियायत दी जायेगी ?

†श्री ब० रा० भगत : यह पृथक् प्रश्न है ।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि इस बीमा कर्मचारी संघ के सदस्यों की संख्या क्या है और निगम में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : यह तो अलग सवाल है अगर आप इसकी अलग से सूचना देंगे तो मैं इसका जबाव दूंगा

नई दिल्ली में 'सुपर मार्केट'

†*१५५. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कनाटसर्कस में 'सुपर मार्केट' के निर्माण के लिये नई दिल्ली नगरपालिका को कुछ वित्तीय सहायता दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिये कितनी सहायता दी जा रही है ?

†स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) और (ख). वर्ष १९६१–६२ में नई दिल्ली नगरपालिका को १.१० लाख रु० का ऋण किया गया था और वर्ष १९६३–६४ के लिए उपर्युक्त व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है ।

†श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : देश में राष्ट्रीय संकट तथा परिवर्तित परिस्थितियों का ध्यान रख कर क्या इस मार्केट के निर्माताओं का विचार इस पर आगे कार्यवाही करने का है या मामले को स्थगित करने का विचार है ?

†डा० द० स० राजू : मामले को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । हम अब भी इस पर आगे कार्यवाही करना चाहते हैं।

†श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : 'सुपर मार्केट' में कितनी दुकानें होंगी और क्या उन के नियतन के समय सड़क के किनारे के दुकानदारों को कोई प्राथमिकता दी जायेगी ?

†डा० द० स० राजू : इस मार्केट में लगभग ३०० दुकानें होंगी । परियोजना के पूरा होने पर दिल्ली प्रशासन एक आवंटन समिति बनायेगा और वे यह निश्चय करेंगे कि दुकानें किस को दी जायेंगी ।

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : प्रथम प्राथमिकता कनाट सर्कस में अनधिकृत रूप से बैठने वालों को दी जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शं० ना० चतुर्वेदी : क्या दिल्ली के फैशनपरस्त लोगों की मांगें कनाट सर्कस से पूरी नहीं होती हैं और क्या यह उस बाजार से भी अच्छा होगा ?

†डा० सुशीला नायर : जी, हां। सारा संसार प्रगति कर रहा है और इस बाजार का बनाना आवश्यक समझा जाता है । एक बात है कि कनाट सर्कस में अनधिकृत रूप से बैठने वालों के कारण सारा वातावरण भद्दा लगता है, जो गन्दा है तथा अन्य अनेक विचारों से अनुचित है। दूसरी बात यह है कि इस नये बाजार में एक ही दुकान पर जीवन की अधिकतर आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करने का विचार है, और इस में पैसा लेकर साइकिल रखने के लिये साइकिल स्टेण्डों, स्नानागारों तथा शौचालयों, जूतों पर पालिस करने वालों, ट्रालो, सार्वजनिक टेलीफोनों, अपाहिजों के लिए कुर्सियों और अनेक अन्य बातों की भी सुविधायें होंगी, जो बहुत आवश्यक हैं—यात्री तथा सामान ले जाने वाली लिफ्टें आदि। यह एक आदर्श बाजार होगा जो राजधानी के लिए गौरव की बात होगी ।

†श्री महेश्वर नायक : क्या स्थान चुन लिया गया है और सामान बाजार की अपेक्षा "सुपर मार्केट' की क्या विशेषतायें हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : उन्हें इन बातों को जानने का बाद में मौका मिलेगा । क्या स्थान चुन लिया गया है ?

†डा० द० स० राजू : स्थान चुन लिया गया है ।

†श्री हेडा : इस इमारत में कितनी मंजिलें हैं और क्या यह विदेशों में 'सुपर मार्केटों' की अपेक्षा अच्छा होगा या नहीं ?

†डा० द० स० राजू : छः मंजिलें होंगी।

†श्री वासुदेवन् नायर : क्या यह देखने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई योजना है कि क्या "सुपर मार्केट" के बन जाने पर, वहां "सुपर मूल्य" नहीं रहेंगे ?

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि इस सुपर मार्केट का निर्माण कब शुरू होगा, कब तक यह पूर्ण होगा और इस में कुल कितनी लागत आयेगी ?

†डा० द० स० राजू : आशा है कि यह अगले वित्त वर्ष तक पूरा होगा।

श्री कछवाय : लागत कितनी लगेगी ?

†डा० द० स० राजू : लागत लगभग ३० लाख रुपये होगी।

अध्यक्ष महोदय : करीब तीस लाख लगेंगे ।

†श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस का भी ख्याल रखेगी कि इस मार्केट में गरीबों के लिए भी सस्ते दामों पर सामान मिले ?

†अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

†डा० सुशीला नायर : अब इस के . . .

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । मैं कह चुका हूं कि यह कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वांइट आफ़ आर्डर उठाना चाहता हूं और वह यह है कि कनाट सर्कस में उन्हीं लोगों को सामान मिलता है जोकि धनी आदमी हैं, मैं ने जानना चाहा था कि क्या इस मार्केट में ग़रीबों का भी ख़याल रक्खा जायेगा और उनको भी सस्ते दामों पर सामान मिलेगा, इस को आप ने सजैश्शन फौर ऐक्शन कह कर ख़त्म कर दिया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** आखिर यह किस रूल का उल्लंघन हुआ जिसके लिये कि माननीय सदस्य ने प्वाएंट आफ आर्डर उठाया है ?

श्री विभूति मिश्र : आप ने कह दिया कि सजैशन फौर ऐक्शन है ।

†**श्री त्यागी :** संकट की दृष्टि से इस प्रस्ताव का क्या महत्व है और क्या इसे आवश्यक समझा जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस का उत्तर दिया जा चुका है ।

सिंचाई और बिजली की बड़ी परियोजनायें

†***१५९. श्री विश्वनाथ राय :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई और विद्युत् की कुछ बड़ी परियोजनाओं की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा सचिव (श्री सं० अ० मेहदी) :** (क) जी हां ।

(ख) सामान के आने में देर होना, पुर्जों के मिलने की कठिनाई, इस्पात, सीमेंट, कोयला आदि जैसी अनिवार्य नियोजन की वस्तुओं की उपलब्धता का आभाव, भूमि अर्जन में देर, कुशल तथा अकुशल मजदूरों का अभाव और वर्तमान संकट के संबंध में कुछ परियोजनाओं की पुनः योजना बनाना मुख्य कारण हैं ।

†**श्री विश्वनाथ राय :** बिहार म कोसी परियोजना के संबंध में बार बार परिवर्तन होने की दृष्टि से समूचे कार्य के समाप्त होने में कितने वर्ष लगेंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** आशा है कि कोसी परियोजना इस योजना काल में पूरी हो जायेगी और शायद वे अगले मौसम से सिंचाई के लिये पानी देने लगेंगे ।

†**श्री शं० ना० चतुर्वेदी :** कितनी परियोजनाओं का कार्य निश्चित समयानुसार नहीं हो रहा है ?

†**श्री अलगेशन :** मैं परियोजनाओं की संख्या बताने में असमर्थ हूं । इन कारणों से विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति में बाधा आती है। परियोजनायें अनेक हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री विश्वनाथ राय : इस बात को ध्यान में रख कर गण्डक परियोजना का बांध कार्य आरम्भ नहीं हुआ है, क्या यह कार्य तीसरी योजना की अवधि में पूरा हो जायेगा ?

†श्री अलगेशन : गण्डक परि ोजना में नियामक बांध का कार्य इस मौसम में और बांध का कार्य आगे वर्ष आरम्भ हो जायेगा और यह का ' चौथी योजनाकाल में पूरा होगा।

†श्री पं० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि प्राथमिकतायें निर्धारित करने और काफी पहिले क्रयादेश देने के सं ध में राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में ताल मेल नहीं है जिसके कारण परियोजनाओं की प्रगति में तथा उनका समयानुसार पूरा होने में बाधा पड़ती है ?

†श्री अलगेशन : केन्द्रीय जल तथा विद्यु आयोग संबंधित राज्यों में परियोजना अ कारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखता है और जब भी कोई कठिनाई होती है वह मं ालय को बताई जाती है ? हम उन कठिनाइयों को पूरा करने तथा बिगड़े काम को ीक करने में सहायता देने का प्रयत्न करते हैं।

श्री गु० सिं० मुसाफिर : मैं यह जानना चाहता हूं कि भाखड़ा का काम शिड्यूल के मुताबिक कम्पलीट हो रहा है या नहीं ?

†श्री अलगेशन : जी हां।

†श्री भागवत झा आजाद : क्या समय में विभिन्न परिवर्तन करने और सामान के उपलब्ध न होने के कारण कितने धन की हानि हुई है ?

†श्री अलगेशन : धन के रूप में हानि बताना बहुत क िन है। जब भी कोई परियोजना स्थगित होती है या समय से आरम्भ नहीं होती उतनी हानि अवश्य होती है, हमारे सारे लाभ समाप्त हो जाते है और हमें आयोजित लाभ नहीं मिलता।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने अभी यह बताने की कृपा की कि किन कारणों से इन योजनाओं का कार्य संतो जनक ढंग से नहीं चल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन कारणों को हटाने के लिये क्या खास कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री सैं० अ० मेहदी : मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ लोगोंको एप्वायंट किया गया है, जिन में मिनिस ी के लोग, कुछ सीनियर आफिसर्ज और सेंट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन के कुछ लोग हैं, ताकि वे स्टेट् ा में जा कर दे खें कि इस वक्त वहां पर मौजूदा सूरत क्या है। कुछ रिपोर्ट आ गई हैं, जो कि मिनिस्ट्री के जेरे-गौर हैं। कुछ और रिपोर्टों की उम्मीद की जा ी है। जब ये रिपो ' मुकम्मिल हो जायेंगी, तब यह बताया जा सकेगा कि क्या सही पोजीशन है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या आजम नदी पर नई सिंचाई परियोजना आरम्भ करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई योजना पेश की है ?

†अध्यक्ष महोदय : हम यहां विस्तार की इन बातों पर बात नहीं कर सकते।

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : क्या कृषि मंत्री ने सिंचाई मंत्री को यह बतलाया है कि इन योजनाओं के द्वारा पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, खेती बिल्कुल सूखी पड़ी है और इस कारण गेहूं की पैदावार बहुत कम हो जा ेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम): अभी तक किसी स्टेट से इस किस्म की रिपार्ट नहीं आई है और न ही किसी मेम्बर साहब ने इस तरफ तवज्जुह दिलाई है।

†**श्री प्रिय गुप्त :** मंत्री महोदय के कथन से विदित होता है कि कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल टेक्निकल व्यक्तियों की कमी के कारण ये कार्य आरम्भ नहीं किये गये है। उन्होंने कहा है कि यह भी एक कारण जिसके कारण आरम्भ नहीं किये गये है। यह बात ध्यान में रख कर कि सैंकड़ों टेक्निसियन काम दिलाऊ दफ्तरों की सूची पर है, कर्मचारियों की इस कमी का क्या कारण है और क्या संबंधित काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा कर्मचारी पाने का प्रयास किया गया है?

†**श्री अलगेशन :** यह ठीक है कि काम दिलाऊ दफ्तर ऐसे व्यक्ति देते हैं। इसके होते हुए भी कुशल तथा अर्ध-कुशल कर्मचारी संभव है उपलब्ध न हों और इसी कारण से कठिनाइयां है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक स्वास्थ्य केन्द्र।

†*१५७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नये सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह कार्य केन्द्र के निदेश से रोका गया है अथवा स्वयं राज्यों के द्वारा; और

(ग) समस्त राज्यों में अभी तक ऐसे कितने केन्द्रों का कार्य रोका गया है?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) :** (क) से (ग) शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों से है। नये प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना बन्द करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई अनुदेश जारी नहीं किया है। फिर भी, कुछ राज्यों को राष्ट्रीय संकट पैदा होने वाली परिस्थितियों में नये केन्द्र स्थापित करने के लिये धन देने में कठिनाई महसूस होती प्रतीत होती है। राज्यों से स्थिति सुनिश्चित की जा रही है और जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी। केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद के मत को, जो उसने अक्तूबर, १९६२ में अपनी पिछली बैठक में व्यक्त की थी, बहुत महत्व देती है। वह मत यह था कि प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में यथाशीघ्र पूर्णरूपेण प्रारभिक स्वास्थ्य होना चाहिये।

†**श्री सुबोध हंसदा :** माननीय उपमंत्री ने कहा है कि बहुत से राज्यों को संकट के कारण केन्द्रों के निर्माण के लिये वित्त-व्यवस्था करने में कठिनाई है। यदि हां, तो उनमें से किसी ने धन के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है?

†**डा० द० सा० राजू :** कुछ राज्यों ने सिफारिशों के अनुसार कार्य करने में असमर्थता प्रकट की है। वास्तविक में, वर्तमान स्थिति यह है कि केन्द्रीय सरकार प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों की

---

†मूल अंग्रेजी में

इमारतों के निर्माण के लिये लगभग ५२,००० रु० देती है। सामुदायिक विकास मंत्रालय ७,५०० रु० दे रहा है। बाकी २०,००० रु० राज्य सरका ों को देने है। वर्तमान प्रबन्ध यही है। राष्ट्रीय संकट की दृष्टि से, कुछ राज्यों ने अपना अंश देने में असमर्थता प्रकट की है। शायद, वे अपनी उच्चतम सीमा कम कर दें।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या यह सच नहीं है कि संकट के कारण राज्य सरकारों को, विशेश कर पश्चिमी बंगाल सरकार को निदेश दिया गया है कि वे सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों के आवंटित धन वापस ले लें। और विद्यमान अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या ब ाने के लिये दे दें।

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** स सरकार ने कोई आदेश नहीं दिये है। यदि राज्य सरकार ने कोई आदेश दिया हो तो हम नहीं जानते। हम राज्य सरकारों को यह बताने का भरसक प्रयत्न करते हैं कि प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विस्तार सर्वथा आवश्यक है और यह कार्य योजनानुसार होना चाहिये और उसमें देर नहीं होनी चाहिये।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अनुसार एक खण्ड में एक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा और दो सहायक स्वास्थ्य केन्द्र होंगे ? यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उन सब के बारे में राज्य सरकारों को सहायता देगी ?

†**डा० द० सा० राजू :** प्रत्येक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये तीन उप-केन्द्र ोंगे, और हम उसके लिये उनकी पहिले से ही सहायता कर रहे हैं।

†**डा० मा० श्री अणे :** एक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर न्ूनतम कितना व्यय होता है ?

†**डा० द० स० राजू :** इमारत के निर्माण पर ८०,००० रु०।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** पहिले से निर्धारित संख्या में उप केन्द्रों की स्थापना में कौन कौन राज्य हिचकिचाहट कर रहे हैं ?

†**डा० सुशीला नायर :** अनेक राज्यों ने शंका प्रकट की है कि क्या वे इस कार्यक्रम में ढील डाल सकते हैं या नहीं क्यों कि संकट काल है और कटौतियां कर दी गयी हैं। परन्तु, जैसा कि मलेरिया उन्मूलन का र्यक्रम पूरा हो रहा है और चेचक उन्मूलन कार्यक्रम भी तीसरी योजना के अन्त तक पूरा हो जायेगा, इस कारण यदि हम कुछ ऐसे प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाते हैं तो रखरखाव कार्य का ध्यान रखा जा सकता हैं। यदि नहीं बनाते है ो वह बहुत कठिन हो जायेगा। इसलिये, हम राज्य सरकारों को यह कार्यक्रम न छोड़ने अपितु उसे जारी रखने के लिये मना रहे हैं जैसी कि पहिले योजना थी।

राजस्थान नहर में नौपरिवहन

†*१५८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अभी भी राजस्थान नहर को नौपरिवहन योग्य बनाने के संबंध में योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसको देश की किसी नदी या नहर से किसी रूप में जोड़ा जायेगा ?

†मूल अंग्रेजी में।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा सचिव (श्री सै० अ० मेहदी) :** (क) मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) इसे अन्य किसी जलमार्ग से मिलाने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है :

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** यदि नहर को नौपरिवहन योग्य रखा जाये तो क्या सरकार ने माल ोने की क्षमता का मूल्यांकन किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) :** यह मामला उस समिति-विशेष के हाथ में है, जो इस मामले की जांच करने के लिये बनाई गई थी और इस प्रश्न का अभी कोई विशेष उत्तर नहीं मिला है ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** मैंने पूछा था कि क्या उनका विचार नहर को नौपरिवहन योग्य बनाने का है और उस स्थिति में क्या उन्होंने नहर की नौपरिवहन क्षमता का, यदि उसे नौपरिवहन ोग्य बना दिया जाता है, अनुमान लगाया है ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** मेरे कहने का अर्थ यह था कि उस नहर में नौपरिवहन का प्रश्न आजकल उस समिति के विचाराधीन है जिसने कुछ सिफारिशें की हैं परन्तु जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, अभी तक समिति ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है ।

†**श्री रंगा :** यह विचाराधीन की किस अवस्था में है ? क्या केन्द्रीय जल तथा विद्यु आयोग स पर विचार कर रहा है या संचार संबंधी व्यक्ति इस दृष्टि से इस पर विचार कर रहे हैं कि यह नहर, अन्य अनेक नहरों के प्रतिकूल, सैकड़ों मील लम्बी राजस्थान नहर (आर० सी०) द्वारा बनाई जा रही है ? सरकार को विचार करने में इतना समय क्यों लग रहा है और वे कोई निश्चय क्यों नहीं कर रही है ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** नहीं, इतना अधिक समय नहीं लिया गया है । इस बारे में कोई शिकायत नहीं हो सकती । यह बहुत बड़ा प्रश्न है और इस का सुझाव स्वयं नहर के भविष्य पर पड़ता है । अतः इस मामले में कोई निश्चय करने में हमें बड़ी सावधानी से काम करना है । परन्तु इस के संबंध बहुत अधिक समय नहीं लिया गया है ।

श्री बेरवा कोटा : मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान नहर में नौकायें चलाने का कार्य किस विभाग के आधीन होगा ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : एक मुस्तकिल विभाग है हिन्दुस्तान के अन्दर सब जगह इस के लिये ।

कलकत्ता नेशनल बैंक

†*१५९. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता नेशनल बैंक (परि-समापित) के सरकारी परिसमापक ने उक्त बैंक के खातेदारों को उनका धन वापस दिलाने में क्या प्रगति की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या ऐसे अभ्यावेदन अथवा शिकायतें मिली है कि यह काम धीमी गति से हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) परिसमापन कार्य पूरा होने में तथा खातेदारों को भुगतान करने में और कितना समय लगेगा ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) न्यायालय परिसमापक ने संभावाय अधिनियम की धारा २३० के अन्तर्गत और बैंक समवाय अधिनियम की धारा ४३—क के अन्तर्गत अधिमान्य भुगतानों को दे दिया है या पूर्ण व्यवस्था कर दी है। उसने सभी सामान्य खातेदारों के लिये प्रत्येक १० प्रतिशत के तीन लाभांश भी देने की व्यवस्था की है।

(ख) और (ग) कोई गम्भीर शिकायत नहीं मिली है, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने अपनी ओर से बैंक की अचल सम्पति के उत्सर्जन में सहायता दी है ताकि खातेदारों को शीघ्र भुगतान हो परिसमापन का कार्य भी शीघ्र हो ;

(घ) अभी नहीं बताया जा सकता कि परिसमापन कार्यवाही कब समाप्त होगी। परन्तु परिसमापन कार्य को यथाशीघ्र समाप्त करने का भरसक प्रयास किया जायेगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** शोधक कार्यवाही निश्चित समय उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षणाधीन की जाती है। और उच्च न्यायालयों तथा उन की कार्यवाही संबंधी मामलों में हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है; क्या सरकार ने कम से कम उच्च न्यायालय को विनम्र संकेत देने की संभावना और आवश्यकता का विचार किया है कि जहां तक हो सके मामले का जल्दी निपटारा किया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें इस प्रकार सलाह नहीं देनी चाहिये। माननीय सदस्य को यह नहीं कहना चाहिये कि उच्च न्यायालय को कुछ संकेत दिया जाये।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** वह संभव नहीं है और उच्च न्यायालय को कोई संकेत देना सरकार के लिये उचित नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** सितंबर में लगभग छः महीने पूर्व, एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने कहा था कि अग्रतर भुगतान भविष्य की वसूली पर निर्भर होगा और आस्तियों की वसूली संबंधी मुकद्दमे पर बड़ा समय लगता है। आज भी वही स्थिति है। क्या माननीय मंत्री सभा को विश्वास दिलायें कि यदि इसमें समय लगता है, बैंक भुगतान लेने वाले व्यक्ति इस प्रक्रिया के होते होते समाप्त नहीं हो जायेंगे।

†**श्री मोरारजी देसाई :** यदि ऐसा होता है तो मैं क्या कर सकता हूं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह विचित्र बात है। क्या सरकार विवश है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** जब यह समापक के हाथों में हो जो उच्च न्यायालय के अधीन होता है, सरकार कुछ नहीं कर सकती ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

विद्युत् परियोजना

+

†*१६०. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ग्र० क० गोपालन :
श्री बासप्पा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली की कमी के कारण बिजली परियोजनाओं की काम की गति ब ाने के लिये सरकार ने क्या विशेष कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप इनमें से किसी परि ोजना के कार्यक्रम से पहले ही पूरी हो जाने की आशा है ;

(ग) यदि हां, ो ऐसी परियोजनाऐं कौन-कौन सी हैं ; और

(घ) क्या अतिरिक्त व्यय किया जायेगा ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) राज्य सरकारें, राज्य बिजली बोर्ड और अन्य संबद्ध परियोजना अधिकारियों से प्रार्थना की गई है तथा की जा रही है कि जहां संभव हो वे धन सामान और ाविधिक कर्मचारियों के साधनों को दूसरे स्थान पर लगा कर तथा अधिक कार्य पारिया लगा कर परियोजनाओं के काम की गति को तेज करें। केन्द्रीय सरकार में शीघ्र ही विदेशी मुद्रा तथा सामान देने में सहायता करने का निश्चय कर लिया है। केन्द्रीय सरकार ने अफसरों के दल परियोजनाओं को कार्यान्वित की प्रगति के मार्ग में आने वाली कठिना यों का विस्पारपूर्वक अध्ययन करने के लिये राज्यों का दौरा कर रहे हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) तानिवेली थर्मल बिजली घर निगम, (२) पथराट थर्मल परियोजना, (३) सिंगौली (ओबरा) थर्मल परियोजना, (४) दिल्ली ' स्टेशन, (५) चन्द्रपुर थर्मल बिजली घर (दा० घा० निगम) और (६) दुर्गापुर थर्मल बिजली घर (दामोदर घाटी निगम) । इस के अतिरिक्त केन्द्रीय जल तथा विद्यु आयोग ने तीसरी योजना की कुछ परियोजनाओं की कार्यान्विति को तेज करने की सिफारिश की है, जिसके फलस्वरूप मूल प्रत्याशाओं से पहले बिजली के लाभ प्राप्त करना संभव होगा ; आयोग ने चौथी योजना के पहले दो वर्षों में लाभ प्राप्त करने योग्य होने के लिये तीसरी योजना में चौथी योजना भी कुछ योजनाओं पर पहले ; कार्यवाही करने की सिफारिश की है ।

(घ) अस्थायी अनुमानों के अनुसार तीसरी और चौथी योजनाओं की परियोजनाओं की कार्यान्विति को तेज करते पर लगभग १६० करोड़ रुपये का अधिक व्यय होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** जो कुछ विवरण में कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए क्या यह सही है कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण कुछ परियोजनाओं को क्षति होगी और यदि हां तो सरकार ने तीसरी योजना में विदेशी मुद्रा का संभरण करने के हेतु क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री अलगेशन :** इस समय तीसरी योजना की उन योजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा की कोई चिन्ता नहीं, जो आरम्भ की जा चुकी है। संभवत : माननीय सदस्य चौथी योजना के संबंध में इस कठिनाई का उल्लेख कर रहे हैं। हम चौथी योजना के संबंध म अभी से अग्रिम कार्यवाही करने का विचार करते हैं ताकि चौथी योजना के पहले दो वर्षों में जैनरेट करने की क्षमता चालू की जा सके।

†**श्री स० मो० बनर्जी:** प्रत्याशा क्या है और उसे तिथि से पहले कैसे पूरा किया जाएगा, तथा तिथि कौनसी है ?

†**श्री अलगेशन :** बिजली परयोजनाओं में कई वर्ष लगे हैं। यदि वे एक दो या तीन महीने पहले भी चालू हो जाएं तो उतना ही हमें लाभ होता है। हमने राज्य सरकारों एव परियोजना अधिकारियों से कहा है कि वे इन को यथाशीघ्र चालू करने का प्रयत्न करें।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : विवरण में अधिक व्यय १६० करोड़ रुपये बताया गया है। क्या इस राशि के अनुपात में फल प्राप्त होगा ?

†**श्री अलगेशन :** हमने तीसरी तथा चौथी योजनाओं के सन्दर्भ में कार्रवाई करने के लिये योजनायें पेश की हैं। हम ने लागत का मोटा अनुमान लगाया है।

†**श्री शिवनंजप्पा :** बिजली की कमी को तुरन्त दूर करने के लिये कितने समेकित संयंत्र चालू किये गये हैं ?

†**श्री अलगेशन :** पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** कितनी बिजली परियोजनायें अनुसूची से पीछे हैं और क्या कुछ परियोजनाओं को तेज करने पर १६० करोड़ रुपये खर्च करने से पीछे रही परियोजनाओं को हानि नहीं होगी ?

†**श्री अलगेशन :** नहीं।

†**श्री अ० चं० गुह :** आज तक कितना लक्ष्य पूरा होने में कमी रही है और तीसरी योजना की समाप्ति तक लक्ष्य पूर्ति की क्या आशा है ?

†**श्री अलगेशन :** तीसरी योजना के अन्त तक ७८०९ मैगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता लगाने का विचार है।

†**डा० क० ला० राव :** क्या सरकार ने रोके जा सकने वाले विलम्ब के कारणों का पता लगाया है और किस कार्य से इसे रोका जा सकता है तथा सलाहकारों के साथ फैसला करने एवं शीघ्र ही मशीनरी के लिये संविदाओं का फैसला करने के लिये समय घटाने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन :** पहले प्रश्न में हमने परियोजनाओं की कार्यान्विति में होने वाले विलम्ब के कारण बताये हैं ।

†**श्री रंगा :** वह सिंचाई के सम्बन्ध में था ।

†**श्री अलगेशन :** बिजली और सिंचाई दोनों के सम्बन्ध में । उनको आवश्यक विदेशी मुद्रा, आयात लाइसेंस आदि मिल रहे हैं । ये सब प्रक्रियायें सुधारी गई हैं और मंत्रालय तथा केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग में हमारे पास एक विशेष इकाई है जो इन चीजों को तेज करने की ओर ध्यान दे रही है । यह विलम्ब घटाने का एक तरीका है । जहां तक आर्डर देने आदि का सम्बन्ध है, उसकी निगरानी विविध परियोजना अधिकारियों द्वारा की जा रही है और हम उनकी सहायता करते हैं ।

श्री बड़े : ये जो १६० करोड़ रुपये खर्च होने वाले हैं वे नई प्राजेक्ट्स पर खर्च होने वाले हैं या चम्बल योजना जो अभी चल रही है और जिसमें एक लाख रुपया रोजाना नुकसान हो रहा है क्योंकि केबल या वायर नहीं मिले हैं, उन जैसी योजनाओं पर भी खर्च होने वाले हैं? मेरा कहने का मतलब यह है कि जो इनकम्पलीट प्रोजैक्ट्स हैं, उन पर भी खर्च होने वाले हैं ?

†**श्री अलगेशन :** मैं प्रश्न नहीं समझा ।

श्री बड़े : यह जो १६० करोड़ रुपया खर्च होने वाला है वह नई प्राजेक्ट्स पर खर्च होने वाला है या जो इनकम्पलीट प्राजैक्ट्स हैं, उन पर भी खर्च होने वाला है । चम्बल प्राजेक्ट एक ऐसा प्राजैक्ट है जो अभी पूरा नहीं हुई है और वहां पर एक लाख रुपया रोज का नुकसान हो रहा है क्योंकि केबल्ज और वायर्ज नहीं मिलती हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** चम्बल परियोजना को हानि हो रही है और इसे प्रति दिन ११ लाख रुपये की हानि हो रही है और इसे पूरा नहीं किया जा रहा । क्या उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिये उस पहलू पर भी विचार किया जा रहा है, जो प्रगति पर है और नवीन परियोजनाओं को आरम्भ करने के बजाए उनको पूरा नहीं किया गया है ।

†**श्री अलगेशन :** चम्बल परियोजना पूरी की जा चुकी है । केवल एक इकाई चालू करनी है । वह भी शीघ्र ही चालू की जाएगी ।

†**श्री बड़े :** सरकार की तारों की कमी के कारण १ लाख रुपये प्रति दिन की हानि हो रही है । क्या सरकार इस चम्बल परियोजना पर इस १६० करोड़ रुपये से खर्च करेगी या अन्य परियोजनाओं पर भी, जो पूरी नहीं हुई हैं ?

†**श्री अलगेशन :** क्या यह सही नहीं कि परियोजना को संप्रेषण लाइन की कमी के कारण प्रति दिन एक लाख रुपये की हानि होती है । मध्य प्रदेश तथा राजस्थान दोनों में जितनी बिजली पैदा होती है उसका उपयोग किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय रक्षा कोष

+

*१६१ श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विभति मिश्र :
श्री गुलशन :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री हेम राज :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री बृजराज सिंह :
श्री गोकर्ण प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री बेरवा कोटा :
श्री मरंडी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रक्षा कोष में अब तक कुल कितना धन तथा सोना आ चुका है ;

(ख) क्या इस रक्षा कोष में परोक्ष दबाव डाल कर धन एकत्रित करने की सूचनायें सरकार को मिली हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी किये गये हैं ; और

(घ) इस रक्षा कोष का राज्यों में अभी कितना धन बकाया है क्या इसकी भी कोई जानकारी प्राप्त की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) २३ फरवरी, १९६३ तक ४५·२८ करोड़ रुपया और १५,६७,१६९ ग्राम सोना इकट्ठा हो चुका था ।

(ख) और (ग) आम तौर पर लोगों ने रक्षा कोष में अपनी इच्छा से और किसी दबाव के बिना धन दिया है । इसके विपरीत कुछ मामलों में शिकायतें मिली हैं और उनके बारे में सम्बद्ध राज्य सरकारों को सूचना दे दी गई है । राज्य सरकारों के मार्ग दर्शन के लिए उचित हिदायतें भी जारी कर दी गयी हैं ।

(घ) इसके लिए जो तरीका निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार किसी राज्य में इकट्ठा किया गया धन हर रोज के आखिर में, कोष के शाखा खाते के जरिये, जो राज्य के सदर मुकाम में होता है केन्द्रीय खाते में जमा करने के लिए भेजना पड़ता है। राज्यों को धन इकट्ठा करने के खर्च और अन्य आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए थोड़ी सी रकमें रखने की इजाजत दी गयी है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जनता ने सुरक्षा कोष में जो धन दिया है उसका उद्देश्य जवानों को अधिक से अधिक सुविधायें देना और आधुनिकतम हथियारों को मंगा कर जवानों को उन से लैस करना था। क्या मैं जान सकता हूं कि इन दोनों कार्यों को पूरा करने के लिये वित्त मंत्री ने कितना कितना पैसा दिया है और उस का प्रकार क्या रक्खा है ?

श्री ब० रा० भगत : अभी उस के बारे में कोई बात तय नहीं हुई। अभी उस से कोई खास रुपया खर्च भी नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत रुपया राज्य सरकारों के पास है। वह रुपया जो हमारे सिपाही मारे गये हैं उन के परिवारों के लिये या जो आम सिपाही हैं उन के परिवारों की भलाई की मद में खर्च के लिये दिया गया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जब से यह स्वर्ण अधिनियम लागू किया गया है उस से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सोना आने का जितना अनुपात था वह उस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् कुछ कम हो गया है ? यदि हां, तो पहले उस का प्रतिशत क्या था और अब किस प्रतिशत से सोना आ रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : इस अधिनियम से सोने के प्रतिशत का कोई सम्बन्ध नहीं है। आम तौर से जो उत्साह शुरू में होता है वह बहुत दिनों तक कायम नहीं रहता है। वह धीरे धीरे कम होता है। लेकिन सोना अधिनियम जारी होने के पश्चात् भी गोल्ड बान्ड्स में बहुत सोना इकट्ठा हुआ है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा प्रश्न यह है . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप का प्रश्न तो बहुत साफ है लेकिन मंत्री महोदय कहते हैं कि इस का जवाब देना कि गोल्ड रूल्स बनने का उस पर कितना असर हुआ और सोना आना कितना कम हो गया, बहुत मुश्किल है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इतना तो बतलाया जा सकता है कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले जो सोना आ रहा था उस का प्रतिशत इतना था और इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् जो सोना आया उस का प्रतिशत इतना है। यदि इतना ही बतला दिया जाय तो ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : अगर इस चीज को इस से सम्बद्ध करते हैं कि उस की वजह से कमी हुई है तो मंत्री महोदय इस को नहीं मानते हैं।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या अप्रत्यक्ष दबाव के नीचे धन जमा करने के किसी मामले की जांच की गई थी और यदि यहां तो क्या वह जांच पूरी हो चुकी है ? उसका क्या परिणाम है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत :** हमें कुछ रिपोर्टें मिलीं। यहां से नहीं, किन्तु हम ने उन मामलों की सूचना राज्य सरकारों को दे दी, जिन्होंने उचित कार्रवाई की है।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : सुरक्षा कोष में जो धन आया है वह मुख्य रूप से जवानों के लिये और हथियारों के लिये है। मंत्री महोदय कृपा कर के यह बतलायें कि उस में से हथियारों के लिये कितना धन खर्च किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि अभी खर्च नहीं किया गया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि के लिये अधिकतर धन कम आय वाले लोगों की ओर से आया है और यदि हां, तो सरकार को बड़े व्यापार गृहों को अधिक उदारता से धन देने के लिये बाध्य करने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** एक ओर अनिवार्यता या विरोध किया जा रहा है और दूसरी ओर इस को लागू करने के लिये कहा जा रहा है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** बड़े व्यापारियों को अधिक देने रक्षा निधि में देने के लिये प्रेरित करने के लिये क्या सक्रिय कार्रवाई सरकार द्वारा की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** अंशदान का प्रमुख भाग कम आय वर्ग से नहीं, बल्कि धनी लोगों से प्राप्त हुआ है, किन्तु निर्धन दानियों की संख्या बहुत अधिक रही है।

श्री बेरवा कोटा : रेडियो भवन में वैजयन्तीमाला का जो नृत्य नाट्य हुआ था उस में कितना धन आया ?

अध्यक्ष महोदय : यह डिटेल की बात है।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सच है कि डी० एम०, तहसीलदारों और एस० डी० एम० को हिदायतें दी जा रही हैं कि गांवों को बाकायदा बेबाक किया जाय, जैसे कि कर्जे से बेबाकी होती है। और क्या यह भी सच है कि यू० पी० में यह रूल बना दिया गया है कि किसानों से उन की लगान का २५ फी सदी नैशनल डिफेन्स फंड में वसूल किया जाय और मिलमालिकों को उन की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि वह दें या न दें, थोड़ा दें या ज्यादा दें ?

श्री मोरारजी देसाई : ऐसा नहीं है कि दाबव डाला जाता है। बार बार हम ने कहा है कि दबाव नहीं होना चाहिये। हर एक को लिखा गया है इस तरह से।

श्री यशपाल सिंह : क्या कोई इस तरह का रूल बनाया गया है ?

श्री मोरारजी देसाई : ऐसा कोई रूल मुझे मालूम नहीं है।

श्री रामेश्वरानन्द : जिस तरह से मेरे मित्र ने बतलाया, क्या ऐसी बात नहीं है कि हर जिले . . . . .

अध्यक्ष महोदय : जो चीज मिनिस्टर साहब को मालूम नहीं है और स्वामी जी को मालूम है उस को यहां बतलाते की जरूरत नहीं है। इस वक्त माननीय सदस्य वही पूछें जो कि मिनिस्टर साहब को मालूम है।

---

† मूल अंग्रेजी में।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं तो वही जानना चाहता था लेकिन आप ने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि पंजाब में किसी जिले में १ रु० कीला, किसी में २ रु० कीला और किसी में ३ रु० कीला इस मद में लगा दिया गया है ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे मालूम नहीं है कि इस तरह से कहीं लगाया गया है।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या यह सच है कि निजाम हैदराबाद ने यह तर्क दिया है कि वह इतना निर्धन है कि राष्ट्रीय रक्षा निधि में योग नहीं दे सकता और यदि हां, तो क्या सरकार को ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** मुझे ऐसे किसी पत्र का पता नहीं।

श्री गु० सि० मुसाफिर : सवाल के पार्ट (ए) के बारे में जो माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया है कि टोटल फिगर्स क्या हैं, उस सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि स्टेटवाइज फिगर्स क्या हैं, कितना सोना आया है और कितना रुपया आया है ?

अध्यक्ष महोदय : उस को बतलाने की जरूरत नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इमर्जेन्सी खत्म हो गई है और अब देने की जरूरत नहीं है ? यदि ऐसा है तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई कर रही है ?

श्री मोरारजी देसाई : इस के लिये हम किसी के ऊपर कार्रवाई तो नहीं कर रहे हैं लेकिन यह कहना गलत है कि इमर्जेन्सी खत्म हो गई है।

श्री गु० सि० मुसाफिर : मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने उस की इजाजत नहीं दी थी कि स्टेट्स के अलग अलग फिगर्स दिये जायें। माननीय सदस्य के कहने का मतलब यह था कि पंजाब ने ज्यादा दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह कहना चाहते हैं कि पंजाब ने सब से अधिक योगदान दिया है।

श्री गु० सि० मुसाफिर : जी मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो यह जानना चाहता था कि किस स्टेट से बहुत कम आया है ?

†**श्री भागवत झा आजाद :** चूंकि ऐसे धन के लिये लगातार धन देने वाली जनता का अपमान करने वाले बड़े व्यापक आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या जांच के पश्चात यह सिद्ध हुआ है कि इस काम के लिये दबाव डाला गया था ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** जनता का लगातार अपमान करने का प्रश्न नहीं है। कुछ आरोप लगाये गये हैं। कोई भी यह नहीं कहता कि समूची राशि दबाव से जमा हो गई है, किन्तु हो सकता है किसी ने ऐसा किया हो। मैं इस को इन्कार नहीं करता। हो सकता है कुछ दबाव कहीं रहा हो।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†श्रीमती सावित्री निगम : माननीय मंत्री ने बताया है कि राज्यों को कुछ धन रखने के लिये कहा गया है। राज्यों ने कम व्यय के लिये कितनी राशि रखी है?

†श्री मोरारजी देसाई : कोई प्रतिशतता निश्चित नहीं। एक लाख रुपया अग्रदाय राशि में रखा जाता है ताकि यदि कोई व्यय हो तो वह उस राशि में से पूरा किया जाए और लेखा यहां भेज दिया जाता है। वे अपनी मन मरजी से जैसे चाहें वैसे खर्च नहीं कर सकते। धन विज्ञापन आदि कुछ कार्यों के लिये अपेक्षित होता है, इसकी सवारी भत्ता आदि कामों के लिये बड़े पैमाने पर आवश्यकता नहीं है।

†श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में, क्या सरकार का ध्यान आयकर आयुक्त हैदराबाद जारी परिपत्र की ओर दिलाया गया है, जिसमें कहा गया है कि सब कर्मचारियों को, जिन्होंने इस विधि में धन नहीं दिया है, तुरन्त एक दिन का वेतन देना चाहिये ---चाहिये शब्द पर ध्यान दीजिए और जिन्होंने एक दिन के वेतन से कम धन दिया है,---तुरन्त बाकी रकम दे देनी चाहिये। इस परिपत्र को देखते हुए क्या सरकार फिर भी यह सिद्ध करती है कि इस निधि के लिये धन जमा करने के लिये अनुचित दबाव नहीं डाला जा रहा है?

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यहां नहीं कहा। कल प्रधान मंत्री ने भी यही उत्तर दिया था कि उन को कुछ मामलों की सूचना मिली है और वे जांच करके आवश्यक हिदायत जारी करेंगे।

†श्री हरि विष्णु कामत : यदि उन को इस के बारे में पता है तो, क्या कार्रवाई की गई है?

†श्री मोरारजी देसाई : मुझे इस परिपत्र का पता नहीं है।

†श्री हरि विष्णु कामत : यदि आप चाहते हैं तो मैं सभा पटल पर रख सकता हूं।

†श्री इकबाल सिंह : जब यह धन संग्रह किया जा रहा था कुछ लोगों ने, जिन्होंने इस विधि में कुछ राशि दी थी, कहा कि यह प्रतिरक्षा के लिये विमान और अन्य सामान खरीदने के लिये है। क्या सरकार इन दानियों की इच्छाओं का ध्यान रखेगी?

†श्री मोरारजी देसाई : जी हां।

†श्री इन्द्र जीत लाल मलहोत्रा : क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि क्या भारत के सभी भूतपूर्व राजाओं महाराजाओं ने इस निधि में धन दिया है?

†श्री मोरारजी देसाई : मैं समझता हूं कि उन्होंने दिया है प्रतिरक्षा ७५ प्रतिशत से अधिक ने अपनी निजी थैलियों में से दस प्रतिशत दिया है।

†श्री अ० प्र० जैन : मैं ने सुना था कि वित्त मंत्री ने कहा है कि धनी लोगों ने निर्धन लोगों की अपेक्षा अधिक धन दिया। क्या उन के पास इस के समर्थन में कोई आंकड़े हैं और क्या वह अब बाद में वे आंकड़े बताएंगे?

†श्री मोरारजी देसाई : मेरे पास इस प्रकार के आंकड़े नहीं। मैं ने इस मामले पर अपनी साधारण बुद्धि से काम लिया है, जैसा कि माननीय सदस्य करते हैं। मैंने आंकड़े देखे हैं, जिससे मैं कह सकता हूं कि ५० या ४७ करोड़ रुपयों में से, जो प्राप्त हुए हैं, अधिक धन धनी लोगों द्वारा दिया गया है। मैं ने यह नहीं कहा कि उन की संख्या अधिक थी।

†मूल अंग्रेजी में।

अपर सिलेरु जल-विद्युत परियोजना

†*१९२. { श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री अपर सिलेरु जल-विद्युत परियोजना के संबंध में २४ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच मशीनों तथा इस्पात के संभरण आदि से संबंधित गति-रोधों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख): जी, हां। पैन स्टाकों के लिये इस्पात के संभरण के अतिरिक्त, अपर सिलेरु परियोजना की कार्यान्विति में कोई कठिनाई नहीं है। उस कार्य के लिये इस्पात संभरण की व्यवस्था की जा रही है।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना पर कुल कितना खर्च सरकार को करना पड़ेगा ?

श्री अलगेशन : कुल लागत का अनुमान ८९५.५ लाख रुपये है।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार को यह पता है कि यह रुपया बचाया जा सकता है अगर हमारे विद्युत मंत्री जी रेलवे से यह कह दें कि बिजली से ट्रेन न चलाई जांय ? इस तरह पया बचाया जा सकता है और बिजली जो बचेगी वह इंडस्ट्रियल और एग्रीकलचरल परपजेज में काम आ सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कार्रवाई का सुझाव है।

दिल्ली में बिजली संकट

+
*१९३. { श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २४ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में बिजली के संकट संबंधी कुमार समिति तथा धर्मवीर समिति की सिफारिशों पर जो निर्णय किये गये थे, उन्हें कार्यान्वित करने में और आगे क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री के सभा-सचिव (श्री सै० अ० मेहदी) : कुमार समिति और धर्मवीर समिति की रिपोर्टों का जहां तक सवाल है, स्थिति ज्यों की त्यों है। द मले समिति की रिपोर्ट भी अब मिल गई है जो विचाराधीन है। स रिपोर्ट की एक प्रति दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम का नी इ ग ग ा के साथ भेज दी गई है कि वे जल्द-से-जल्द कार्रवाई करें जो द मले समिति की रिपोर्ट की प्राप्ति तक रोक दी गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, पिछली जुलाई में जब दिल्ली में संकट हुआ था तब से लेकर पहले कुमार कमेटी नियुक्त की गई जिसने २६ सिफ़ारिशें कीं, धर्मवीर कमेटी ने ८ सिफारिशें कीं और दामले कमेटी ने १० सिफ़ारिशें कीं, मैं जानना चाहता हूं कि यह कमेटी के बाद कमेटियों का सिलसिला क्यों चलता जा रहा है और क्या अब एक नई चौथी कमेटी उन सिफारिशों पर अमल कराने के लिए बैठाई जायगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : कमेटियों का कोई सिलसिला नहीं चल रहा है। सिर्फ इतनीं बात है कि जो कमेटी बिठाई गई और उन्होंने जो सिफारिशें कीं, कंसर्नड एथारिटीज़ को, उनके ऊपर जितना अमल करना चाहिए था वह अमल अभी तक नहीं हुआ है और इस हक़ीकत का इ हार मुझ पर भी इस सवाल के रिए से हुआ है।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाह रहा हूं कि जब कि हमारे मिनिस्टर साहब ने कबूल किया है कि जो सिफ़ारिशें की गई थीं उन पर केवल उनका ध्यान दिलाया गया है, उन पर अमल नहीं हुआ तो क्या वह विश्वास रखते हैं कि अगली जुलाई तक दिल्ली में फिर बिजली का संकट नहीं आ जा`गा और यदि वह आता है तो उसका सामना करने के लिए क्या तैयारी की जा रही है ?

हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम : मैं नहीं समझता कि वह मुसीबत फिर आयेगी। मैं समझता हूं कि अब वह नहीं आयेगी लेकिन फिर भी हमको हर एक क़िस्म का अहतियात बर्तना चाहिए और हर एक सिचुएशन को फेस करने के वास्ते पूरी तरह तैयार रहना चाहिए।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या दामले समिति कुमार और धर्मवीर समितियों की सिफारिशों के अध्ययन के पश्चात् स्थापित की गई थी, या क्या उन सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था? स्थिति क्या थी ;

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** यह तिथियों का मामला है। मुझे ये सब तिथियां याद नहीं हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या सरकार ने धर्मवीर और कुमार समितियों की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् तीसरी समिति की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की, या एक के बाद एक समिति बनती चली गई ?

†**हाफ़िज़ मुहम्मद ब्राहीम :** किसी समिति की सिफारिशों पर विचार करना सरकार का काम नहीं। सके लिये अन्य प्राधिकारी हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या दिल्ली संबंधी किसी संकट का उत्तरदायित्व सरकार को नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति शांति, श्री न्द्रजीत मल्होत्रा

†**श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा :** समिति की कौनसी मुख्य सिफारिशें कार्यान्वित के लिये संबद्ध अधिकारियों को भेजी गई हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** पिछली बार, उत्तर देते समय, हमने की गई कार्यवाई का विस्तारपूर्वक विवरण दिया था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या इन समितियों के परिणामस्वरूप पंजाब सरकार और दिल्ली बिजली उपक्रम के बीच कोई व्यवस्था की गई है ?

†हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम : यह मालूम नहीं है ।

दण्डकारण्य परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति

***१६४. श्री विभूति मिश्र :** क्या **निर्माण, आवास और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र के विकास की रूपरेखा के संबंध में सुझाव देने के लिये एक विशेषज्ञ समिति स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) (क) और (ख) डकारण्य डैवलपमेंट अथौरिटी से हाल ही में एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उसकी पड़ताल की जा रही है । इस रिपोर्ट की पड़ताल हो चुकने पर यह तय किया जायेगा कि उसकी और बारीकियों में जाने के लिए विशेषज्ञ समिति की आवश्यकता है या नहीं ।

श्री विभूति मिश्र: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस एक्सपर्ट कमेटी ने कोई ऐसी रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर पश्चिमी बंगाल में अभी भी रह रहे रेफयूजीज को यह लालच हो कि हम दण्डकारण्य में जाकर बस जायें ।

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : इस रिपोर्ट का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । यह रिपोर्ट तो इसलिए है कि हम दण्डकारण्य के लिए बड़े पैमाने पर एक मास्टर प्लान बनायें, ताकि सिर्फ शरणार्थियों का ही सवाल न हो, बल्कि एक बड़ी स्कीम बने । वे दोनों अलग बातें हैं ।

श्री विभूति मिश्र: दण्डकारण्य के लिए जो बड़े पैमाने पर स्कीम बनाई जा रही है, क्या उसके अन्तर्गत वहां पर कोई कारखाने चलाए जायेंगे, ताकि वहां के लोगों के लिए रोज़ी-रोटी का इन्तजाम हो ?

श्री पु० शे० नास्कर : कारखाने भी लगेंगे ।

†**श्री गु० सिं० मुसाफिर** : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस मकसद के लिए दण्डकारण्य का प्राजैक्ट बनाया गया था, उसमें कितनी कामयाबी हुई है और इस वक्त तक वहां पर वेस्ट पंजाब या ईस्ट बंगाल से कितने रेफ्यूजीज बस गए हैं ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : जहां तक इस स्कीम का ताल्लुक है, वह काफी कामयाब हुई है । वेस्ट पंजाब से वहां पर कोई आदमी नहीं जा रहा है । फिलहाल यह स्कीम ईस्ट पाकिस्तान के शरणार्थियों और ट्राइबल पापुलेशन के लिए है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : दण्डकारण्य परियोजना में दिल्ली वृहद् योजना के समान एक वृहद योजना होगी । इस योजना की पूर्ण रूप में कितना समय लगेगा और नियुक्त की गई समिति के अनुमान के अनुसार इसकी कुल लागत कितनी होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : दिल्ली वृहद् योजना स्वास्थ्य मन्त्री के अधीन है। मेरा ताल्लुक तो दण्डकारण्य वृहद् योजना से है। योजना को तैयार होने में कुछ समय लगेगा। वर्तमान संकटकाल में इस योजना का विशेष व्यय बताना बड़ा कठिन होगा।

डा० रानेन सेन : हाल ही में कलकत्ता के समाचार पत्रों में एक रिपोर्ट छपी थी। और पश्चिम बंगाल विधान सभा में भी प्रश्न उठा था कि यद्यपि राज्य में सभी शरणार्थी शिविर समाप्त कर दिये गये हैं, दण्डकारण्य योजनाएं अभी तैयार नहीं हैं तथा इसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल एवं शरणार्थियों दोनों को कष्ट है। क्या यह सच नहीं है कि यह दण्डकारण्य प्राधिकार की असफलता के कारण है, कि इतनी गड़बड़ हुई है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : शिविर एक वर्ष पहले ही बन्द कर दिये गये थे। शिविरों में रहने वालों को पहले ३० दिन दिये गये, तब ६० दिन तक १५० दिन और फिर ३६५ दिन दण्डकारण्य में जाने के लिये। जो वहां गये, हमने उनको अपनाया। जो नहीं गये उन्हें कुछ उपदान तथा दान दिया गया। दण्डकारण्य योजना की क्रियान्विति में कोई कठिनाई नहीं, पश्चिम बंगाल तथा भारत सरकार दोनों इस योजना को इकट्ठा चला रही हैं।

खाद्य अपमिश्रण

*†१६५. श्री हेम राज :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी
श्री बासप्पा
श्री बेरवा कोटा

क्या स्वास्थ्य मन्त्री ७ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्यान्न मानक समिति ने उस उपसमिति की सिफारिशों तथा सुझावों पर विचार कर लिया है जो उसने नियुक्त की थीं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निर्णय हैं, तथा सरकार का विचार उनको किस प्रकार क्रियान्वित करने का है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

केन्द्रीय खाद्यान्न मानक समिति की एक उप-समिति ने खाद्यान्नों में अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम, १९५४ के संशोधित किये जाने के बारे में प्राप्त हुये कुछ सुझावों की जांच की थी। तथापि उप-समिति ने यह मामला केन्द्रीय खाद्यान्न मानक समिति के सामने नहीं रखा था क्योंकि उसी

†मूल अंग्रेजी में।

बीच योजना आयोग ने कथित अधिनियम में उचित संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक तदर्थ उप-समिति नियुक्त कर दी थी ।

योजना आयोग द्वारा नियुक्त उपसमिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार खाद्यान्नों में अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम, १९५४ को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये उचित विधान बनाने का विचार रखती है ।

†**श्री हेम राज** : विवरण में कहा गया है कि खाद्यान्नों में अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक तदर्थ समिति नियुक्त की गई थी । क्या मैं जान सकता हूं कि उस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**डा० द० स० राजू** : मुख्य सिफारिशें पांच हैं । (१) केन्द्रीय खाद्यान्न मानक समिति का प्रतिनिधित्व; भारतीय मानक संस्था और विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय, नगर निगम आदि का भी प्रतिनिधित्व । (२) लाइसेंस शुल्क के साथ साथ फेरी लगाने वालों से प्रतिभूति निक्षेप लेना और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर उसकी ज़ब्ती । (३) अधिनियम की धारा १६ के अन्तर्गत अपराधियों को अधिक कठोर दण्ड । (४) पहला अपराध करने पर कम से कम ५०० रुपये का जुर्माना । (५) अधिनियम का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासन ।

†**श्री हेम राज** : इस बात को देखते हुए कि लगभग सभी खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण किया जा रहा है तथा उत्पादक और थोक व्यापारी साफ छूट जाते हैं और निरीक्षण करने वाले बहुत से कर्मचारी उनके साथ मिले रहते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि इस बुराई को दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : श्रीमन्, इस मोटी-सी बात को मान लेना बड़ा कठिन है कि हर कोई मिलावट कर रहा है तथा हर कोई मिलावट करने वालों के साथ मिला हुआ है । यह ठीक है कि समस्या काफी व्यापक है । मेरे सहयोगी पहले ही कह चुके हैं कि हमारा विचार अधिनियम का संशोधन करने का है ताकि उसकी अधिक अच्छी तरह क्रियान्विति हो सके और अपराधियों को कड़ी सजाएं दी जा सकें ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या कारण हैं कि एक अन्य समिति की उपपत्तियों की प्रतीक्षा में केन्द्रीय खाद्यान्न मानक समिति द्वारा एक विशेष प्रयोजन के लिये नियुक्त उपसमिति की सिफारिशों की अवहेलना कर दी गई है ?

†**डा० द० सा० राजू** : यह ठीक है कि केन्द्रीय समिति ने एक उप-समिति नियुक्त की थी । परन्तु उसी बीच में योजना आयोग ने भी एक तदर्थ उपसमिति बना दी और वह कुछ समय तक इस काम में लगी रही । यही कारण है कि मानक समिति की उप-समिति ने अपनी सिफारिशें नहीं भेजी हैं ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या यह सच नहीं है कि डेयरी उत्पादों, विशेषतः दूध में, मिलावट का प्रतिशत सबसे अधिक है और यह इस कारण है कि प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित शुद्धता का न्यूनतम स्तर वास्तविक प्राकृतिक उत्पादों के स्तर से सदा ही नीचे होता है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

†डा० सुशीला नायर : यह ठीक नहीं है । होता यह है कि यदि मानकों में विविधता हो— कुछ पशु चर्बी की अधिक प्रतिशतता वाला दूध देते हैं और कुछ कम प्रतिशतता वाला—मानक संस्था का काफी लम्बे परिसर के नमूनों को लेकर किसी प्रकार की औसत निकालनी पड़ती है । स्वाभाविक रूप से सम्भव है कि कुछ पशु ऐसा दूध दें जिसमें चर्बी की प्रतिशतता निर्धारित स्तर से अधिक हो । परन्तु और कोई रास्ता नहीं है । यह सामान्य विभिन्नता तो बनी ही रहती है और मानक स्थिर करते समय इसका ध्यान रखना पड़ता है ।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : पहले उत्तर से पता चलता है कि समन्वय की खेदपूर्ण कमी है । मैं जानना चाहता हूं कि उप-समिति की सिफारिशों को योजना आयोग की तदर्थ समिति के सामने रखने का क्या प्रयत्न किया गया था, क्या उन सिफारिशों पर विचार किया गया था और क्या उत्तर में उल्लिखित विधान को लाने के लिये सरकार ने कोई तिथि निर्धारित कर दी है ?

†डा० सुशीला नायर : समन्वय की कोई कमी नहीं है श्रीमान् जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने कहा है । माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या पहली उप-समिति की सिफारिशें योजना समिति की उप-समिति के सामने रखी गई थीं । ऐसा किया गया था । पहली उप-समिति का ऐसा विचार था कि यदि विधान सम्बन्धी समस्याओं पर योजना आयोग की उप-समिति द्वारा विचार किया जाये तो अधिक अच्छा है । इसीलिये उन सिफारिशों को योजना आयोग की उप-समिति के सामने रखा गया था । योजना आयोग की उप-समिति की सिफारिशों को देखते हुये स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा कुछ प्रारूप संशोधन तैयार किये गये हैं जिनकी विधि मन्त्रालय जांच कर रहा है ।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि किस तिथि तक यह विधान ले आया जाएगा ?

†डा० सुशीला नायर : मैं तिथि कैसे बता सकती हूं; इसे उतनी ही जल्दी लाया जायेगा जितना कि सम्भव होगा ।

आवास मंत्रियों का सम्मेलन

*†१६६. श्री प्रकाशवीर शास्त्री
श्री प्र० चं० बरुआ
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद

क्या निर्माण आवास तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष फरवरी में बम्बई में राज्य आवास मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गये तथा उन निर्णयों की क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां।

(ख) ४ और ५ फरवरी, १९६३ को बम्बई में हुये आवास मन्त्रियों के सम्मेलन की मुख्य सिफारिशों के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० ८७५/६३] सम्बन्धित प्राधिकारियों से परामर्श के साथ इनकी जांच की जा रही है। वित्त मन्त्री तथा योजना मन्त्री के साथ भी इस विषय पर चर्चा करने का प्रस्ताव है जिसके लिये उन्हें सूचनायें भेज दी गई हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : भारत की राजधानी दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों और सामान्य जनता के लिए आवास की बड़ी कठिनाई अनुभव हो रही है। अतः उनकी आवश्यकताओं को अनुभव करते हुए जितने मकान यहां बनाये जाने चाहियें, उस सम्बन्ध में भी वहां कुछ विचार किया गया और कुछ निश्चय लिया गया, यदि हां, तो उसको कब तक कार्यान्वित किया जा सकेगा ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : एक वर्क्स डिपार्टमेंट है और दूसरा हाउसिंग डिपार्टमेंट है। वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वह जनरल पूल एकामोडेशन से डील करता है और हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है वह उन स्कीम्ज़ से डील करता है, जैसे सबसिडाइज्ड इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम, विल्लेज हाउसिंग स्कीम, लैंड डिवेलेपमेंट स्कीम, मिडल इनकम ग्रुप स्कीम, जो स्टेट गवर्नमेंट्स की मार्फत इम्प्लीमेंट होती हैं, उनको देखता है।

श्री प्रिय गुप्त : दिल्ली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट में है ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : राज्य सरकारों ने कुछ इस प्रकार का निश्चय किया है कि वहां की जो आवास समस्यायें हैं, उनके समाधान के लिए ७५ प्रतिशत रुपया वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वे लगायेंगे और २५ प्रतिशत रुपया राज्य सरकारें लगायेंगी। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने यह क्या कहा है कि हमारी देखरेख में यह होना चाहिये ? क्या इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ कठिनाइयां अपनी वहां आपके सामने रखीं और यदि रखीं तो उनका क्या समाधान किया गया ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : हमारा खयाल है कि अगर हम ने इंडस्ट्रीज़ लगानी हैं तो जरूरी बात है कि इंडस्ट्रियल हाउसिंग होना चाहिये। इंडस्ट्रियल वर्कर्ज़ के लिए मकान बनाने के दो ही तरीके हैं, या सरकार खुद बनाये या जो एम्प्लायर्ज़ हैं, वे बनायें। हम चाहते हैं कि एम्प्लायर्ज़, अपना जो उनका हिस्सा है, जो उनकी जिम्मेवारी है, उसको महसूस करें। या तो वे खुद बनायें या हमें रुपया दें ताकि हम उनके लिये बनायें। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि जिस वक्त एम्प्लायर्ज़ को लाइसेंस मिलें इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए, उसी वक्त ज़मीन का प्रबन्ध होना चाहिये जिस पर मकान बन सकें। इस सवाल में काफी दिलचस्पी हम ले रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

फरक्का बांध

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या १
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० रानेन सेन :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ह० प० चटर्जी :
श्री ब० कु० दास :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
डा० शि० कु० साहा :
श्री गो० कु० सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का में गंगा नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव छोड़ देने और प्रस्तावित बांध के स्थान पर फिलहाल बांध बनाने की बजाय एक रेलवे पुल बनाने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या यह सच है कि आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री ने, जिन्होंने रेलवे अधिकारियों के साथ कुछ समय पहले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, आसाम और उत्तर बंगाल का दौरा किया था, सरकार को, रेलवे मंत्रालय को और विशेषतः योजना आयोग को यह विशेष सिफारिश की थी कि फिलहाल बांध का काम रोक दिया जाये, बांध योजना के प्रति पाकिस्तानी सरकार की आपत्तियों को दूर करने और अधिक गतिमान परिवहन के लिये एक रेलवे पुल बनाया जाये . . .

†अध्यक्ष महोदय : जब सरकार का कहना है कि उसको छोड़ा नहीं गया है तो फिर की गई सिफारिश की चर्चा करने की क्या आवश्यकता है ?

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि जो विवरण सरकार ने दिया है क्या वह इस सिफारिश पर सोच-विचार करने के बाद दिया गया है और यदि हां, तो क्या वह इन्कार कर सकते हैं कि . . . . .

†अध्यक्ष महोदय : उस सिफारिश पर विचार हो चुका है और इसका परित्याग न करने का निर्णय किया गया है ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : सारी बात स्पष्ट करने के लिये मैं कुछ शब्द कहने की आज्ञा चाहता हूं। जहां तक मेरे माननीय मित्र द्वारा कही गई बात का सम्बन्ध है, वह तो मुझे ऐसी ही सुनने-सुनाने से पता चली है। इसके बारे में मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा था या नहीं। परन्तु मैं ने इसके बारे में सुना था। लेकिन जहां तक फरक्का बांध की स्थिति का सम्बन्ध है, मैं ने इस सदन को विश्वास दिलाया था कि उसे कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। उसके पीछे बड़े ठोस कारण हैं। एक कारण तो यह है कि हुगली में कलकत्ता पत्तन की तह में एक शताब्दी से मिट्टी जमती आ रही है और उसका भारत के समुद्रीय व्यापार पर अब बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारण हैं जिनके आधार पर हम निश्चयबद्ध हैं कि हम इसे १९६७ तक पूरा कर देंगे . . . . (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री रघुनाथ सिंह** : अब और प्रश्न नहीं होने चाहियें . . . . (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : अनेक अवसरों पर संकेत किये गये हैं कि आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री ने क्या कहा है या क्या किया है परन्तु हम उन्हें सदन में नहीं देखते हैं। प्रश्नों का उत्तर देने के लिये वह यहां नहीं हैं क्योंकि इसके लिये उनके लिये कोई दिन अलग से नियत नहीं है। परन्तु आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय सम्बन्धी समस्यायें कई बार उठ खड़ी होती हैं। अब, आज एक वक्तव्य का समाचार था जोकि आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री द्वारा दिया गया बताते हैं। क्या आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह देश में तो सभी प्रकार के वक्तव्य देते फिरें और सदन में प्रश्नों के उत्तर न दें?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनके लिये भी प्रश्नों के उत्तर देने के लिये एक दिन नियत है। माननीय सदस्य ये प्रश्न उस दिन पूछ सकते हैं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मैं यह कहता हूं कि यहां ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं और माननीय आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री के मंत्रिमंडलीय सहयोगी इस सूचना की जानकारी से इन्कार कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन उन्होंने सरकार की ओर से निश्चित रूप से उत्तर दे दिया है।

†**श्री रंगा** : क्या उस विशेष विषय के समर्थन में एक बात कह सकता हूं? क्या सम्बन्धित मंत्री महोदय के लिये, जिनका उल्लेख भी किया गया है, सदन में उपस्थित रहने का कष्ट उठाना उचित न होगा?

†**श्री मुरारका** : उनके उपमंत्री यहां हैं।

†**श्री रंगा** : हमें उपमंत्री नहीं चाहियें, हमें तो स्वयं मंत्रिमंडल के मंत्री चाहियें। इस प्रकार के प्रश्न के साथ जब वह इतने प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं या उनका उल्लेख किया जाता है तो उन्हें यहां उपस्थित होना ही पड़ेगा। निश्चय ही, सदन इतनी शिष्टता और मान का तो अधिकारी है ही।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय मेरे लिये कुछ कहना कठिन है परन्तु मैं इस पर विचार करूंगा। तथापि, समन्वय की बात किसी भी दिन किसी समय, किसी क्षण उत्पन्न हो सकती है

†मूल अंग्रेजी में।

और हम माननीय मंत्री से सप्ताह के छः दिन और प्रति क्षण उपस्थित रहने की आशा नहीं कर सकते ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : आज माननीय वित्त मंत्री की बारी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : समन्वय एक ऐसा विषय है जो कि किसी भी दिन किसी भी बात पर चर्चा करते समय किसी भी क्षण उठ सकता है । फिर भी मैं इस पर विचार करूंगा । जो कुछ भी है, उनके लिये प्रश्नों के उत्तर देने का एक दिन नियत है । उस दिन उन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका उत्तर देने के लिये वह यहां पर होंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में गन्दी बस्तियां

†*१६७. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री कछवाय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बेरवा कोटा :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गन्दी बस्तियों की समस्या से निबटने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) अब तक इस मामले में कितनी सफलता मिली है; और

(ग) राजधानी में नई गन्दी बस्तियों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग). दिल्ली की गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार के लिये तथा सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर बनी अनधिकृत इमारतों को हटाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने उपयुक्त विधान बनाया है । वह गन्दी बस्तियों में रहने वालों और जून-जुलाई १९६० से पहले सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत रूप से मकान बनाकर रहने वालों को वैकल्पिक निवास स्थान देने के लिये धन भी दे रही है । गन्दी बस्तियों में रहने वालों और सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत रूप से मकान बना कर रहने वालों को हटाने तथा उन्हें वैकल्पिक निवास स्थान देने का काम दिल्ली नगर निगम को सौंपा गया है । नगर निगम तथा उसके पूर्वाधिकारी निकायों ने अभी तक ३०४.६३ लाख रुपयों की कुल लागत पर ७,२४३ मकान और ४५५ दुकानें बनाने की स्वीकृति दी है । इन में से ६,०३७ मकान और १२१ दुकानें बन चुकी हैं तथा अधिकतर गन्दी बस्तियों में रहने वालों को दी जा चुकी हैं । इसके अतिरिक्त, उन्होंने १०.५८ लाख रुपयों की लागत पर ५८६ कटरों और बस्तियों के सुधार का काम भी आरम्भ किया है । निगम ने झुग्गियों और झोंपड़ियों को हटाने की योजना के अन्तर्गत १७२ लाख रुपये की अनुमानित लागत पर ८०–८० वर्ग गज की ८,५२४ जमीनों के विकास

---

†मूल अंग्रेजी में ।

की भी मंजूरी दी है। इन में से ३,९६२ जमीनें पहले ही विकसित करके पटरी पर रहने वालों को दे दी गई हैं।

स्थानीय निकायों की भवन-निर्माण सम्बन्धी उप-विधियों और वृहद योजना के उपबन्धों के अनुसार नये निर्माण कार्यों को नियंत्रित करने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं। सार्वजनिक भू-गृहादि (अनधिकृत उपभोक्ताओं का निष्कासन) अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण कार्य को रोकने के लिये भी उपाय किये जा रहे हैं।

यमुना जल विद्युत् परियोजना

†*१९८. श्री स० मो० बनर्जी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना जल विद्युत् परियोजना का काम पूरा हो गया है ;

(ख) क्या परियोजना के प्रथम चरण के संबंध में इस बीच निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†सिंचाई तथा और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं।

(ख) योजना के पहले और दूसरे चरण को तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

†*१९९. श्री बिशन चन्द्र सेठ : क्या स्वास्थ्य मंत्री ६ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में सितम्बर, १९६२ में हुई विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति की बैठक में पारित संकल्पों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) उनकी क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) हां।

(ख) और (ग) . विभिन्न संकल्पों पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ८७६ /६३)

दुर्गापुर बिजलीघर

†*१७०. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर बिजली घर के एक 'यूनिट' का परीक्षण करने पर मालूम हुआ कि 'टर्बो जेनेरेटर' के 'थ्रस्ट बेयरिंग्स' काम नहीं करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और उसकी जिम्मेदारी किस पर है ; और

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) क्या 'यूनिट' को चालू करने का ठेका दिये जाने से पहले मंत्रणाकार इंजीनियरों से उनकी राय मांगी गई थी ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) त्रुटिपूर्ण डिजाइन, जिसके लिये संभरणकर्त्ता उत्तरदायी हैं ।

(ग) जी हां ।

मोजम्बीक से वापस लौटे भारतीयों की वस्तुओं पर सीमा शुल्क

†*१७२. श्री यशपाल सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मोजम्बीक से वापस लौटे भारतीयों द्वारा अपने साथ लाई गई वस्तुओं पर सीमा शुल्क न लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि बम्बई में सीमा शुल्क अधिकारियों ने इस निर्णय का उल्लंघन करके हाल ही में इस शुल्क का भुगतान न करने के कारण उनकी वस्तुओं को जब्त कर लिया है ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). मोजम्बीक से लौटने वाले भारतीयों द्वारा आयात की गई सभी वस्तुयें सीमा शुल्क के भुगतान से मुक्त कर दी गई हैं । शुल्क से मुक्ति केवल चल सम्पत्ति, व्यक्तिगत वस्तुओं और वापस लौटने वालों द्वारा लाये गये घरेलू सामान तक सीमित है और उसमें ऐसी वस्तुयें जैसे कि मोटरगाड़ियां, व्यापार में लगा हुआ माल या ऐसा माल जो कि मोजम्बीक में उनके पास था या रास्ते में खरीदा गया था, सम्मिलित नहीं है । इसलिये सीमा शुल्क प्राधिकारियों को बम्बई में कुछेक वस्तुयें रोकनी पड़ी थीं । इसलिये निर्णय का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है ।

कोसी परियोजना

२३४. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम हरख यादव :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने बिहार राज्य सरकार को कोसी योजना को कार्यान्वित करने के लिये ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितना ऋण दिया जा चुका है और यह कब-कब दिया गया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कोसी योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार काम नहीं किया जा रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ८७७/६३]

(ग) संशोधित अनुसूची के अनुसार परियोजना का काम हो रहा है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

राजस्थान नहर

†२३५. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर पर कार्य की प्रगति कार्यक्रम के अनुसार हो रही है ; और

(ख) जिला गंगानगर (राजस्थान) में १९६२–६३ की रबी की फ़सल के लिए लगभग कितने एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधायें मिलेंगी तथा किन किन सहायक नहरों से ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) १९६२–६३ में रबी की फ़सल के दौरान नौरंगदेसार, रावतसार तथा खेतावली सहायक नहरों और राजस्थान नहर की सूरतगढ़ शाखा से गंगानगर जिला (राजस्थान) में लगभग २७ हज़ार एकड़ भूमि के क्षेत्र में सिंचाई की जायेगी ।

नागार्जुनसागर परियोजना

†२३६. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, देश में आपात स्थिति को देखते हुए, सरकार का विचार पर्याप्त अधिक धन की व्यवस्था करके नागार्जुनसागर परियोजना को निर्धारित कार्यक्रम से पहिले ही पूरा करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितना अतिरिक्त धन दिया जाना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तृतीय पचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए ५० करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है तथा इस पर प्रति वर्ष लगभग १० करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं । इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पंचवर्षीय योजना में किए गए उपबन्ध के अतिरिक्त और अधिक धन की व्यवस्था करना संभव नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

मेतूर जल विद्युत् परियोजना

†२३७. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य की मेतूर जल विद्युत परियोजना की तृतीय तथा चतुर्थ यूनिट्स के लिए उपकरणों के सम्भरण के सम्बन्ध में रूसी सरकार के साथ प्रविधिक तथा वाणिज्यिक करार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और उस योजना के ब्यौरे क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

†सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

३० जनवरी, १९६३ को मद्रास राज्य विद्युत् बोर्ड और रूसी संभरणकर्ता मैसर्स मशीनो-एक्सपोर्ट के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। मेतूर तापीय जल-विद्युत् योजना के अधीन पहली दो प्रत्येक ५० हजार किलोवाट यूनिट्स के लिए रूसी व्यापार समझौते के प्रबन्धों के अन्तर्गत मैसर्स मशीनो-एक्सपोर्ट को क्रयादेश (आर्डर) दिए गए थे। विस्तार योजना के लिए इसके अतिरिक्त ५० हजार किलोवाट की दो यूनिट के क्रयादेश भी इन्हीं सम्भरणकर्ताओं को दे दिए गए हैं। ५० हजार किलोवाट की इन दो यूनिट्स को प्रारम्भ में लगाए जाने की लागत को मिलाकर योजना की कुल लागत ८ करोड़ ८९ लाख रुपये है। अतिरिक्त दो यूनिट के लिए १ करोड़ ९० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय होने का अनुमान है। रूसी व्यापार समझौते के अन्तर्गत जो भाग आता है वह १ करोड़ ७५ लाख रुपये का होगा। आग से संरक्षण करने वाले उपकरण तथा नियंत्रण करने वाले तारों आदि को मंगाने के लिए, जिन्हें कि रूस से प्राप्त नहीं किया जा सकता, १० लाख रुपये अथवा इसके लगभग निर्बाध विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। आशा है कि संयंत्र १९६५-६६ में चालू हो जायेगा।

दामोदर घाटी निगम में बचत करने के उपाय

†२३८. डा० लक्ष्मीमल सिंघवी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री बासप्पा :
श्री हेम बरुआ :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में दामोदर घाटी निगम के कार्य संचालन में बचत करने के, यदि कोई उपाय अपनाये गए हैं अथवा अपनाये जाने हैं तो वह कौन से हैं ; और

(ख) क्या इन उपायों के ब्यौरे देने वाला कोई विवरण सभा-पटल पर रखा जायगा ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). समय समय पर भारत सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न अनुदेशों के आधार पर, दामोदर घाटी निगम में मितव्ययिता के निम्नलिखित उपाय अपनाये गए हैं :—

(१) कागज का प्रयोग ;

(२) डाक का भेजना ;

†मूल अंग्रेजी में

(३) सभाओं तथा विचार गोष्ठियों का आयोजन करना ;

(४) परिवहन का प्रयोग ;

(५) शिलान्यास करने तथा सरकारी भवनों के उद्घाटन आदि के सम्बन्ध में दौरों तथा समारोहों पर होने वाला व्यय ;

(६) इश्तहारों का प्रकाशन ;

(७) प्रदर्शिनियों में भाग लेना ;

(८) दामोदर घाटी निगम का सप्ताह में एक बार के बदले में महीने में दो बार प्रकाशन ।

इसके अतिरिक्त प्रतिदिन के कार्यकारी घन्टों में आधे घन्टे की वृद्धि कर दी गई है ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक व उप-निरीक्षक

†२३९. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से मध्य प्रदेश तथा विदर्भ में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षकों व उप-निरीक्षकों के अनेक स्थान रिक्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) रिक्त स्थानों को कब भरने का विचार है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां । १ फरवरी, १९६३ को मध्य प्रदेश तथा विदर्भ में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निरीक्षकों के वेतनक्रम के नौ और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के उपनिरीक्षकों के वेतन क्रम में अड़तीस स्थान रिक्त थे ।

(ख) भरती पर अस्थायी रूप से प्रतिबन्ध लगाना पड़ा क्योंकि सुव्यवस्थाकरण तथा मित-व्ययिता की दृष्टि से किए गए कुछ पुनर्गठनों के कारण कुछ पद आवश्यकता से अधिक हो गए यद्यपि वे पहिले ही स्वीकृत किए जा चुके थे । इसके अतिरिक्त कुछ स्थानों को रिक्त भी रखना पड़ा तथा भूतपूर्व पुर्तगाली बस्तियों में भूमि सीमाशुल्क हदबन्दी के कार्यकलापों में कमी होने के बाद उसी वर्ग के जो कर्मचारी पुनः पदों पर भेजे जाने के लिए उपलब्ध होंगे उन्हें खपाया जा सके ।

(ग) इन अदला बदलियों को करने के पश्चात् भी कुछ स्थान फिर भी रिक्त रहेंगे तो उन्हें जितना शीघ्र व्यावहारिक होगा भरा जायेगा ।

राष्ट्रीय रक्षाकोष में सरकारी कर्मचारियों का अंशदान

†२४१. { **श्री हरिविष्णु कामत** :
श्री राम सेवक यादव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय रक्षा कोष में अंशदानों के सम्बन्ध में कुछ निदेश अथवा अनुदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निदेशों अथवा अनुदेशों के ब्यौरे क्या हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार को ऐसी सूचनायें मिली हैं कि सरकारी कर्मचारियों से प्रतिरक्षा कोष में अंशदानों के एकत्रित करने के वास्तविक कार्य के सम्बन्ध में इन निदेशों अथवा अनुदेशों का उल्लंघन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

केन्द्र तथा राज्यों में लोक निर्माण विभाग का आमूल परिवर्तन

†२४२. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ : }

क्या वित्त मन्त्री २४ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति की केन्द्र तथा राज्यों दोनों में लोक निर्माण विभाग के रूप में आमूल परिवर्तन करने के विषय में की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया है तथा उन पर कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कार्यान्विति करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) सिफारिशें अभी तक राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयों के विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सोने का तस्कर व्यापार

†२४३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २० दिसम्बर, १९६२ को नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर सीरिया के एक राष्ट्रजन से लगभग ८ लाख रुपये के मूल्य का ७५ किलोग्राम सोना बरामद हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) १९६२ में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा देश में कुल कितनी मात्रा में तथा कुल कितने मूल्य का सोना बरामद किया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोराजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) सोना पकड़ा गया था तथा व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया था। इस समय वह जमानत पर है। वाद न्यायनिर्णयनाधीन है ।

(ग) बरामद किए गए सोने की मात्रा . . २,५२५.८५ किलोग्राम
बरामद किए गए सोने का मूल्य . . २ करोड़ ७५ लाख रुपये (लगभग)

---

†मूल अंग्रेजी में

संसद् सदस्यों के लिये फ्लैट्

२४४. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मन्त्री २४ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली में संसद् सदस्यों के फ्लैट्स का निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ; और

(ग) संसद् सदस्यों के दिल्ली निवास की व्यवस्था में और सुधार करने के लिये कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) हां।

(ख) लगभग एक साल के अन्दर।

(ग) रफीमार्ग पर दो होस्टलों के निर्माण की भी मंजूरी दे दी गई है। इनमें १४४ कक्ष (सूट) होंगे और इन पर ३९.४३ लाख रुपये लागत आयेगी।

दिल्ली में प्रतिनियुक्त कर्मचारी

†२४५. **श्री त्यागी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं उनकी कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने दिल्ली के बाहर के कार्यालयों से हैं तथा कितने स्थानीय कार्यालयों से; और

(ग) उन्हें कुल कितना प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी मुद्रणालय के प्रबन्धकों का सम्मेलन

†२४६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में हाल ही में सरकारी मुद्रणालयों के प्रबन्धकों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो चर्चा हुई थी उसके क्या ब्यौरे हैं;

(ख) सामान्य रूप में मुद्रणालयों की तथा विशेष रूप में हिन्दी मुद्रणालयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने निश्चित किए गए थे ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जनवरी, १९६३ में भारत सरकार के मुद्रणालयों के प्रबन्धकों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें सरकारी मुद्रणालयों में कार्यसंचालन की विभिन्न प्रशासनिक तथा प्रविधिक समस्याओं पर चर्चा की गई थी जिसमें मुद्रणालयों

---

†**मल अंग्रेजी में**

को सौंपे गए कार्यों का युक्तिपूर्ण वितरण, मुद्रण की क्षमताओं में वृद्धि, प्रबन्ध नियन्त्रण, प्रेरणात्मक अधिलाभांश, संधारण कर्मशालायें, सामग्रियों का प्राप्त करना, शक्ति-प्रत्यायोजन, तथा श्रमिकों की सुख सुविधायें आदि भी सम्मिलित हैं ।

(ख) सरकारी मुद्रणालयों की क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठा लिये गए हैं :—

(१) कोयमबटोर (मद्रास राज्य), कोरट्टी (केरल राज्य) तथा रिंग रोड, नई दिल्ली में में तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान नये मुद्रणालय की स्थापना; और

(२) अतिरिक्त उपकरण प्राप्त करके तथा अतिरिक्त पालियां भी चला कर विद्यमान मुद्रणालयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना ।

हिन्दी के अलग मुद्रणालय नहीं हैं । भारत सरकार के कुछ मुद्रणालयों में हिन्दी कम्पोजिंग तथा मुद्रण की सुविधायें हैं । क्षमता में वृद्धि करने के लिए जो कदम उठाये गए हैं उनसे हिन्दी में मुद्रण की क्षमता में भी वृद्धि होगी ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन के गारंटीकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही

†२४७. { **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में कितने मामलों में पुनर्वास वित्त प्रशासन के ऋण प्राप्त करने वालों के गारण्टीकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है ; और

(ख) उस अवधि में गारण्टीकर्ताओं से कितनी राशि वसूल की गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). गारण्टीकर्ताओं के विरुद्ध कोई भी मामला न्यायालयों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है परन्तु १७५ मामलों में कलक्टरों से ऋणों की भूराजस्व के रूप में वसूली करने के लिये कहा गया है ।

रामकृष्णपुरम् में क्वार्टर

†२४८. { **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **निर्माण, आवास और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामकृष्णपुरम् में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे एलाट किये जा चुके हैं ?

†**निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). रामकृष्ण-पुरम् में निर्मित ४,३०० क्वार्टरों में से ३,९३० एलाट किये जा चुके हैं । शेष क्वार्टर आपाति के अन्तर्गत मांगों को पूरा करने और उन लोगों को स्थान देने के लिये आरक्षित कर लिये गये हैं जिन्हें विकास प्रयोजनों के लिये अर्जित किये गये क्षेत्रों को छोड़ना पड़ता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों द्वारा भूमि का विकास

†२४९. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को भूमि के अर्जन एवं विकास के लिये ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता देने के लिये १९५९ में एक योजना चालू की थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक राज्य को कितना ऋण दिया गया है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी भूमि का अर्जन एवं विकास किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	राज्य	योजना के चालू किये जाने के समय से ३१ मार्च, १९६२ तक दी गई ऋण गहायता	१९६२–६३ के लिये आवण्टित ऋण सहायता
		(लाख रुपयों में)	
१.	आन्ध्र प्रदेश . .	७.००	२०.००
२.	आसाम . .	—	५.००
३.	बिहार . .	३८.६५	३०.००
४.	गुजरात . . .	२०.००	२०.००
५.	जम्मू तथा काश्मीर .	११.२५	८.२५
६.	केरल . .	६.७२	१०.००
७.	मध्य प्रदेश . .	१५.८६	२०.००
८.	मद्रास .	९४.५९	७०.००
९	महाराष्ट्र . .	११६.५९*	५६.००
१०.	मैसूर .	१३.२०	२०.००
११.	उड़ीसा . .	२६.८२	१०.००
१२.	पंजाब	२६.३०	५५.००
१३.	राजस्थान	६.००	२०.००
१४.	उत्तर प्रदेश .	१४७.४७	६०.००
१५.	पश्चिम बंगाल .	४०.२५	६०.००
	योग	५७०.७० लाख	४६४.२५ लाख

*संयुक्त बम्बई राज्य को १९५९--६० में दी गई धनराशि को सम्मिलित करके ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली की वृहद् योजना

†२५०. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की वृहद् योजना में योजना के प्रख्यापन के लिये कानून बनाने, वर्तमान कानूनों में संशोधन करने और विनियम बनाने का उपबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो इन उपबन्धों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन उपबन्धों के प्रख्यापन के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां, योजना में दिल्ली विकास अधिनियम में संपरिवर्तन की सिफारिश की गई है।

(ख) और (ग). वर्तमान अधिनियम (दिल्ली विकास अधिनियम) में संशोधन का प्रश्न विचाराधीन है और उपबन्धों के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

स्वर्ण नियंत्रण बोर्ड

†२५१. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री बूटा सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण नियंत्रण बोर्ड में जौहरियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार इस समय स्वर्ण बोर्ड में जौहरियों का प्रतिनिधि नामांकित करना आवश्यक नहीं समझती है। परन्तु यह निर्णय किया गया है कि बोर्ड और सरकार को सलाह देने के लिये स्वर्ण बोर्ड द्वारा एक प्रविधिक मंत्रणा समिति निर्मित की जानी चाहिये। इस समिति में जौहरियों के कुछ प्रतिनिधि सम्मिलित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

इन्दौर में पुनर्वास कार्यालय

†२५२. **श्री दाजी** : क्या **निर्माण, आवास और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास विभाग का इन्दौर स्थित कार्यालय १९६२ में बन्द कर दिया गया था;

(ख) कितने कर्मचारी छंटनी किये गये; और

(ग) इन कर्मचारियों के उपदान सम्बन्धी तथा अन्य कितने मामलों का निर्णय अभी बाकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) 'सेटिलमेंट विंग' का शेष कार्य जून, १९६२ में इन्दौर से दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया गया था। मैनेजिंग आफिसर कम-असिस्टेंट कस्टोडियन आॅफ इवाकुइ प्रापर्टी का कार्यालय अभी इन्दौर में चल रहा है।

(ख) तीसरी और चौथी श्रेणियों के १० कर्मचारी।

(ग) ३ उपदान के दावे और २ अवधिक छुट्टी के दावे।

केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् बोर्ड

†२५३. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् बोर्ड ने एक अनुसन्धान एकक स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् बोर्ड द्वारा किसी अनुसन्धान एकक की स्थापना नहीं की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में सिंचाई और विद्युत् की बड़ी परियोजनायें

†२५४. { श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल की सिंचाई और विद्युत् की कितनी बड़ी परियोजनायें मंजूरी के लिये योजना आयोग में पड़ी हुई हैं; और

(ख) उनकी क्या स्थिति है उनमें कितना व्यय होगा तथा उनसे क्या लाभ होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक मीनकारा परियोजना।

(ख) सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत् परियोजनाओं सम्बन्धी मंत्रणा समिति ने अपनी ५-४-६२ को हुई बैठक में परियोजना पर विचार किया और उसके विचार केरल सरकार को सूचित कर दिये गये थे। अब योजना आयोग केरल सरकार के उत्तर की केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के साथ मिलकर जांच कर रहा है। मंत्रणा समिति की अगली बैठक में यह मामला रखा जायेगा। परियोजना में २००.०० लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है तथा उससे २१.४० हजार एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

गाजीपुर अफीम कारखाना

२५५. श्री सरजू पांडेय : क्या वित्त मंत्री २२ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर अफीम कारखाने के आधुनिकीकरण की योजना की क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : योजना के वित्तीय और तकनीकी पहलुओं की और जांच की जा रही है ।

मनीपुर, त्रिपुरा और अन्दमान में पीने का पानी

†**२५६. श्री मरंडी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर, त्रिपुरा और अंदमान के संघ राज्य-क्षेत्रों में पीने के पानी के संभरण की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो वह व्यवस्था क्या है; और

(ग) उस पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ८७८/६३ ।**]

राजघाट में गांधी स्मारक

†**२५७. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट में गांधी स्मारक के कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) उसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि आवण्टित की गई है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) से (ग). गांधी स्मारक परियोजना का कार्य क्रमशः किया जा रहा है । प्रथम चरण में मुख्य समाधि का निर्माण होगा जिसका प्रांगण भूरे ग्रेनाइट का होगा जिसके बीच में एक काले ग्रेनाइट का पत्थर होगा तथा जिसके चारों ओर संगमरमर की चारदीवारी होगी । चारदीवारी के बाहर एक बड़ा प्रांगण होगा जिसके चारों ओर १२ फीट ऊंची पत्थर तथा ईटों की दीवाल होगी और मिट्टी के टीले से घिरा हुआ होगा । दीवारों पर गांधीजी के जीवन से सम्बन्धित भित्ति चित्र, प्रस्तर मूर्तियां तथा शिलालेख प्रदर्शित किये जायेंगे । प्रथम चरण का कार्य, भित्ति चित्रों और चित्रों को छोड़कर, मार्च, १९६३ तक पूर्ण हो जाने की आशा है दूसरे चरण का कार्य, जिसमें बहुत से भू-भाग पर बाग, कृत्रिम नहरें आदि बनाना सम्मिलित है, शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा । समस्त कार्य में ८७.४४ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सैलम जल-विद्युत् परियोजना

†२५८. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकार ने श्रीसैलम जल विद्युत् परियोजना के 'टैक्नीकल क्लियरेंस' के लिये कब प्रार्थना की थी;

(ख) क्या सरकार ने परियोजना के लिये टेक्नीकल मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) वह परियोजना आन्ध्र प्रदेश सरकार से अक्तूबर, १९६२ में प्राप्त हुई थी।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) परियोजना प्रतिवेदन की अभी केन्द्र जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा प्रविधिक छानबीन की जा रही है ।

राजस्थान के गांवों में बिजली लगाना

२५९. **श्री बेरवा कोटा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गांधी सागर बांध से उत्पादित बिजली में से गांवों को भी बिजली दी गई है; और

(ख) क्या इसका कोई मापदंड बनाया गया है कि बिजली देने के लिए कितना बड़ा गांव होना चाहिये और कितनी जनसंख्या होनी चाहिये ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । उन बस्तियों में बिजली देने की बात सोची जाती है जिनकी आबादी ५,००० से ज्यादा हो या अगर कम भी हो तो वे बस्तियां वर्तमान या प्रस्तावित उप-ट्रांस्मिशन लाइननों के २ मील से लेकर ५ मील तक के घेरे में बसी हों या उप-केन्द्र से १० मील के घेरे में बसी हों, बशर्ते कि ऐसी स्कीमों से लाभ होता हो और ऐसा काम करने के लिए आवश्यक रकम भी हाथ में हो । खेती-बाड़ी के विभव वाली ऐसी बस्तियों का खास ख़याल रखा जाता है जिनको, तदर्थ रखी गई रकम के अन्दर, बिजली देने से उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना हो ।

मनीपुर में जल-विद्युत् योजनायें

†२६०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर प्रशासन द्वारा पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में अभी तक कितनी जल-विद्युत् योजनायें प्रारम्भ की गई हैं; और

(ख) इस अवधि के दौरान क्या प्रगति हुई है और कितनी सफलता मिली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ८७६/६३।]

सभा पलट पर रखे गये पत्र

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड के १९६१–६२ के वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन

†सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ८६७/६३]

बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम १९४१ जो दिल्ली संघराज्य क्षेत्र में भी लागू है की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली बिक्री कर नियम १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १३ जुलाई १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ ३(३१)।५८—फिन(ई)।

(दो) दिनांक १७ नवम्बर १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ ४(३३)/६२—फिन (ई)।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ४ नवम्बर १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३३०।

(ख) दिनांक ४ नवम्बर १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३३१।

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २६ जनवरी १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३३ में प्रकाशित औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन नियम १९६३ की एक प्रति।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २ फरवरी १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९८ में प्रकाशित यात्री (पर्यटकों के अतिरिक्त) सामान (संशोधन) नियम, १९६३।

(दो) दिनांक २ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९९ में प्रकाशित यात्रियों का सामान (संशोधन) नियम, १९६३।

(तीन) श्रीलंका सामान नियम, १९३० में आगे कुछ संशोधन करने वाले दिनांक २ फरवरी, १९६३ के एस० ओ० संख्या २६३ ।

(चार) दिनांक १६ फरवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या २८३ जिसमें दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १४३२ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ के अन्तर्गत निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १९ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ९७ ।

(दो) दिनांक २६ फरवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १३५ ।

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ के अन्तर्गत निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १९ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १०० ।

(दो) दिनांक १९ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १०१ ।

(तीन) दिनांक २ फरवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १८२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २९०/६३, एल० टी० ७२३/६३, एल० टी० ८६८/६३, एल० टी० ८६९/६३, एल० टी० ८७०/६३, एल० टी० ८७१/६३, और एल० टी० ८७२/६३ ।]

धन कर (शासकों के परम्परागत जेवर पर छूट) संशोधन नियम

†**श्री ब० रा० भगत** : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा की ओर से मैं धन कर अधिनियम, १९५७ की धारा ४६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १९ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२८ में प्रकाशित धन कर (शासकों के परम्परागत जेवर पर छूट) संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ८५९/६३ ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

समुद्रीय बीमा विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**श्री ऌ० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं समुद्रीय बीमा से सम्बन्धित विधि को संहिताबद्ध करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

तेरहवां और बीसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं निम्नलिखित सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) परिवहन तथा संचार मंत्रालय के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में की गई सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन :

(एक) असैनिक विमान चालकों के प्रशिक्षण तथा नौकरी के बारे में एक-सौ-पंद्रहवां प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग के बारे में एक-सौ-अड़सठवां प्रतिवेदन।

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम लिमिटेड—के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के एक-सौ-बाइसवें प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में बीसवां प्रतिवेदन।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६२-६३

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम १९६२–६३ के लिये रैलवे आयव्ययक के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करेंगे।

†**रेलवे मंत्रालयमें उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** इन अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत करते हुए मैंने यह निवेदन करना है कि मांग संख्या ८ और ९ के अन्तर्गत 'भारित' व्यय के लिए अनुपूरक धनराशि की अब आवश्यकता नहीं रह गयी है और मांग संख्या १९ के 'स्वीकृत' भाग के अधीन आवश्यक अतिरिक्त धनराशि में से तीन करोड़ रुपये कम कर दिये गये हैं।

नवम्बर, १९६२ में पेश की गयी और संसद द्वारा स्वीकृत की गयी अनुपूरक मांगों में रैलवे आयव्ययक पर आपातकाल के परिणामस्वरूप होने वाले व्यय को शामिल नहीं किया गया था। अब जो मांगें पेश की गयी हैं उसमें यह व्यय भी शामिल हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष १९६२–६३ के लिये रेलवे मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गयीं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६	साधारण कार्यवहन व्यय-संचालन कर्मचारी	१,२८,६७,०००
७	साधारण कार्यवहन व्यय-संचालन (ईंधन)	१,०७,७३,०००
९	साधारण कार्यवहन व्यय— विविध व्यय	१,७८,३९,०००
१३	चालू लाइनों पर काम (राजस्व)— श्रमिक कल्याण .	२२,७५,०००
१६	चालू लाइनों पर काम-विस्तार	८,९५,१४,०००
१७	चालू लाइनों पर काम-प्रतिस्थापन .	८,५५,५४,०००

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं मांग संख्या ५, ७, ९ और १३ पर कुछ कहूंगा। मांग संख्या ५ का सम्बन्ध रेलवे की वस्तुओं की मरम्मत से सम्बन्धित है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि रेलवे द्वारा किये जाने वाला साधारण और असाधारण मरम्मत का जो भी काम होता है वह बहुत ही निम्न स्तर का होता है। यदि इस ओर समुचित ध्यान न दिया गया तो और अधिक दुर्घटनाओं के होने का डर हो सकता है, और इससे राष्ट्र को भारी हानि पहुंच सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए श्रमिकों के विभिन्न संघों का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। क्या श्रमिकों का सहयोग प्राप्त किया गया है ?

मांग संख्या ६ के उल्लेख से मैं चितरंजन श्रमिक संघ तथा दक्षिण रेलवे संघ का उल्लेख करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि इन संघों को मान्यता दी जानी चाहिए।

मांग संख्या ७ का सम्बन्ध कोयले के व्यय से है। इस बारे में मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वह बताये कि मुगलसराय से परे के क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में कोयला सम्भरण करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि कहीं कोयले का संकट पैदा न हो जाये। इस समय कानपुर में ही नहीं, देश भर में चल रहे उद्योगों के पास कोयले का स्टाक बहुत कम है। सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

मांग संख्या ९ के उल्लेख से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के समय भविष्य-निधि और उपदान की राशि के भुगताने में असामान्य देरी कर दी जाती है। इससे बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। कोयले की चोरी लगातार हो रही है। पता चला है कि यह चोरी रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से हो रही है।

मांग संख्या १३ के उल्लेख से मेरा निवेदन है कि रेलवे कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से चिकित्सा-सुविधा प्राप्त नहीं होती। चालकों, फायरमैनों आदि की, जो बहुत काम करते हैं, समय समय पर चिकित्सा-परीक्षा की जानी चाहिए। सभा को यह भी बताया जाना चाहिए कि कानपुर में और काश्मीर में पहलगाम में विश्रामगृहों के लिए कितनी धनराशि दी गयी है।

†मूल अंग्रेजी में

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी डिमांड्स फौर ग्रान्ट्स (रेलवेज़) इस समय हाउस के सामने पेश हैं । इस बारे में मैंने पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट देखी है । सप्लीमेंटरी डिमांड्स फौर ग्रान्टस की मंजूरी मांगने का उद्देश्य यह बतलाया गया है कि इमरजेंसी पीरियड में ज्यादा खर्चा आने से २५'३६ करोड़ रुपये की अतिरिक्त ज़रूरत पड़ी है । चूंकि ज्यादा खर्चा हो गया इसलिये इन सप्लीमेंटरी डिमांड्स की मंजूरी मांगने की ज़रूरत पेश आई लेकिन यह चीज़ कोई नई नहीं है । हर साल हाउस से सप्लीमेंटरी डिमांड्स की मंजूरी मांगी जाती है । लेकिन होता यह है कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स के ज़रिए फंड्स हासिल तो कर लिये जाते हैं लेकिन वह खर्च नहीं हो पाते हैं । इस बारे में पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में काफ़ी स्ट्रिक्चर्स पास किये हैं । अभी सन् १९६३ की रिपोर्ट मिली है । उसके पेज २ में यह लिखा हुआ है कि जिस महीने में यहां ग्रान्टस पार्लियामेंट से मंजूर हुई उसी महीने में वह एमाउंट्स स डर किये गये सन् १९६३ की आडिट रिपोर्ट रेलवेज़ में कई केसेज़ बतलाये गये हैं जिनमें सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स के जरिए फंड्स हासिल किये गये और कम से कम तीन केसेज़ में उसी महीने में वह एमाउंट्स सरंडर कर दिये गये । कंस्ट्रक्शन औफ़ न्यू लाइंस के लिए मार्च १९६२ में ६ लाख ८६ हज़ार रुपये हासिल किये गये जिसमें से कि ०.९६ हज़ार रुपये उसी महीने सरंडर कर दिये गये इस तरह से फाइनल सेविंग्ज़ (इनक्लूज़िब औफ़ सरंडर्स) १ लाख ७६ हज़ार रुपये की रही । इसी तरह से ओपन लाइन वर्क्स-ऐडीशंस के वास्ते मार्च ६२ में २ लाख २५ हज़ार रुपये हासिल किये गये जिसमें से कि १ लाख ९९ हज़ार रुपये उसी महीने सरंडर कर दिये गये । उस आडिट रिपोर्ट ने इन के अलावा और भी एमाउंट्स बतलाये हैं जो कि सरंडर कर दिये गये । कम से कम ६, ७ केसेज़ में उन्होंने बतलाया है कि इस क़िस्म के एमाउं ्स सरंडर कर दिये गये चूंकि उनकी ज़रूरत नहीं थी ।

इस के पहले सन् १९६२–६३ की पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट है । उस के पेज ३ पर लिखा है :––

कि ये अनुपूरक मांगें उसी की राशि मार्च १९६१ में प्राप्त हुई थी और उनमें से बहुत प्रयोग नहीं हो सकी थी ।

जिस महीने में यह अमाउंट्स हासिल किये गये उसी महीने में वह सरंडर कर दिये गये । पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने इस के लिए रेलवे ऐडमिनिस्ट्रेशन को एक सुझाव भी दिया है लेकिन उन्होंने अभी तक उस की तरफ़ देखा नहीं है ।

इस कमेटी के समक्ष दिये गये साक्ष में यह बात मानी गयी थी कि रेलवे प्रशासन के कार्य में बहुत सी कमियां रही हैं कमेटी ने इस के बारे में रिमार्कस भी दिये हैं और रेलवे ऐडमिनिस्ट्रेशन के लैप्सेज़ का भी जिक्र किया है जैसे कि नौन मेंटेनेंस औफ़ लाइऐबिलटी रजिस्टर्स, इस के बारे में यदि मिनिस्टर महोदय कुछ प्रकाश डालेंगे तो अच्छा होगा । रेलवेज़ का इतना बड़ा स्टाफ़ रहते हुए ऐसी ग़लतियां होना अनुचित प्रतीत होता है ।

इस के बाद मैं ग्रान्ट नम्बर १३ लेबर वैलफेयर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । लेबर वैलफेयर के बारे में मुझे यह कहना है कि बहुत से अस्पतालों में नर्सेज़, मिडवाइफस और लेडी डाक्टर्स नहीं रहती हैं और इसका कारण यह है कि उनको कम पे दी जाती है । इस के

बारे में पबलिक एकाउंट्स कमेटी में काफ़ी शिकायत की गई है कि उनके जो लांडरी और मैसिंग एलाउंसेज़ थे वह बंद कर दिये गये। आडिट रिपोर्ट सन् ६३ के पेज २९ पर कहा गया है :--

> मई १९५७ में चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाने के जनरल मैनेजर के निर्देश किये जाने पर रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किये कि दाइयों को केवल यूनिफार्म भत्ता ही दिया जाय। और उनके खाने और कपड़े धुलाई के भत्ते न दिये जायें। इनके होते हुए भी उस रेलवे में ये भत्ते दिये जाते रहे।

इस के बाद में जब यह गलती मालूम हुई तो उन मिडवाइफस से वह पैसा रिकवर करना चाहिए जो कि उन्हें ग़लती से दिया गया। ऐसा एक वातावरण पैदा हो गया है और लेडी डाक्टर्स और मिडवाइ वाइफस नहीं मिलती हैं। मैं महसूस करता हूं कि यह ४५ और ५ रुपये का मैसिंग और लांडरी एलाउंस बहुत कम रखा है। यही कारण है मध्यप्रदेश मेंमैं ने बहुत से अस्पतालों में देखा है कि जहां लेडी डाक्टर्स हैं वहां नर्सेज़ नहीं हैं, जहां नर्सेज़ हैं वहां मिडवाइफस नहीं हैं। इस का कारण केवल यह है कि उन की पे को कम किया गया है। पहले उन को ४५ रुपए प्लस ५ रुपए मिलते थे। अब उस को कम कर दिया गया है और अब एक ऐसा वातावरण पैदा किया गया है कि जो ज्यादा रुपया दिया गया है, वह रीयलाइज़ किया जायेगा।

आडिट रिपोर्ट के पेज १७ पर यह बताया गया है कि कितना अपव्यय होता है। उस में लिखा है कि चालीस हजार रुपए प्रति-मास का अपव्यय होता है और रेलवे बोर्ड का उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है।

भिलाई मार्शलिंग यार्डज़ में जो क्वार्टर बनाए गए थे, उन को बहुत दिन तक किसी को नहीं दिया गया। जब इसके बारे में मैंने वहां पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस के बारे में ऊपर से आर्डर्ज़ नहीं आए, जब कि रेलवे अथारिटीज़ का कहना कि उन को कोई आकुपाई नहीं करता है। इस बारे में आडिट रिपोर्ट के पेज ३० पर लिखा है :

> साउथ ईस्टर्न रेलवे में भी बोंडामुंडा तथा भिलाई मार्शलिंग यार्ड पर बहुत से क्वार्टर ओपन लाइन स्टाफ के लिए बनाये गये थे जो कि बहुत लम्बी अवधि तक खाली पड़े रहे।

चूंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, इस लिए मेरी निजी जानकारी है कि भिलाई मार्शलिंग याडर्ज़ में जो क्वार्टर थे, वे वैसे ही खाली पड़े रहे और उन्हें किसी को नहीं दिया गया। रेलवे अथारिटीज़ कहते हैं कि कोई उन को आकुपाई नहीं करता है, जब कि वे कहते हैं कि उन्हें दिया नहीं जाता है।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इस समय हाउस में क्वोरम नहीं है।

श्री कछवाय (देवास) : अध्यक्ष महोदय, अभी साढ़े बारह बजे हैं, लेकिन हाउस में क्वोरम नहीं है।

श्री बड़े : उस से लॉस कितना हुआ ? बोन्डामुन्डा में ११६ हजार रुपए और भिलाई में २२,००० रुपये का लॉस हुआ। इस के अतिरिक्त उन क्वार्टर्ज़ में किसी जगह पानी की व्यवस्था नहीं है और किसी जगह एपरोच रोड नहीं है। इस बारे में पिछले सप्लीमेंटरी बजट में हम ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी, लेकिन उस तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया गया।

मध्य प्रदेश में जावद रोड स्टेशन पर उतरने की कोई व्यवस्था नहीं है और वहां पर कोई शैड नहीं है । इस बारे में मैं ने और मध्य प्रदेश विधान सभा में आपोजीशन लीडर, श्री सकलेजा, ने भी लिखा था, लेकिन अभी तक उस के बारे में कुछ नहीं किया गया है ।

अभी कोल की पिलफ्रेज के बारे में कहा गया है । मैं आप को एक ऐसा उदाहरण देता हूं, जिस को वाइन्थ वंडर इन दि वर्ल्ड कहा जा सकता है । लगभग ११,००० रुपए की एक जीप-गाड़ी मिसिंग है । उस को कोई चोर ले गया है और अभी तक उस के बारे में कुछ पता नहीं लगा है । अगर कोई छोटी वस्तु चोरी चली जाये, तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पेज ३९ पर लिखा है कि ३२ वैगन्ज़ मिसिंग हैं और वे अभी तक ट्रेसेबल नहीं हैं । क्या वे ऐवेपोरेट हो गई हैं ? क्या वे आकाश में चली गई हैं ? आज रेलवे में इतनी अंधेरगर्दी चल रही है । इस में लिखा हुआ है :

"इस ८१००० रुपये में बहुत सी छोटी छोटी मदें हैं जिनकी राशि १०,००० रुपये से कम है ।"

इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए । इमर्जेन्सी पीरियड को ध्यान में रखते हुए ये सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स तो इस सदन में पास हो जायेंगी, लेकिन यह जो अंधेरगर्दी हो रही है, इस को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने दो दो दफ़ा कहा है कि सप्लीमेंटरी ग्राट्स नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि उसी साल सरेंडर किया गया है । १९६२ में भी इसी प्रकार हुआ है । माननीय मंत्री जी इस तरफ़ ध्यान दें और खुलासा करें कि भिलाई मार्शलिंग यार्ड्ज़ में क्वार्टर क्यों खाली पड़े रहे, मिडवाइव्ज़ के बारे में अब या स्थिति है और जावद रोड स्टेशन पर अभी तक शैड क्यों नहीं बनाया गया है ।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में जो तर्क रेलवे मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, उनसे मैं सहमत हूं । परन्तु मैं कुछ अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं । मेरा निवेदन है कि परिवहन तथा संचालन कार्य में आकस्मिक श्रमिकों को रखना स्वयं रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के विरुद्ध है । उनको भूतलक्षी प्रभाव से वही वेतन स्तर और सुविधायें मिलनी चाहिए जो नियमित रेलवे श्रमिकों को दी जा रही हैं ।

इसके अतिरिक्त संचालन-कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है । इस समय उन पर काम का बोझ है । मैं सरकार पर यह भी जोर देना चाहता हूं कि तीसरी श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के बारे में उनके संघों की मांग को स्वीकार करले । जो स्थान खाली हुए हैं उन्हें अनिश्चित काल तक स्थगित नहीं रखा जाना चाहिए । इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि रात्रि भत्ता देने में कोई पक्षपात नहीं बरता जाना चाहिए । जो भी कोई रात के काम पर आता है उससे भत्ता दिया ही जाना चाहिए । भत्ते की दर 'खंड पद्धति' के सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित की जा सकती है ।

राख उठाने के लिए जो ठेकेदार लगाये गये थे, पता चला है कि उन्होंने कोयला चुराया और श्रमिकों को भी देय राशि का भुगतान नहीं किया गया । यह स्थिति बहुत ही विकट है अतः मामलों की जांच की जानी चाहिए । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि निवृत्ति-वेतन योजना लागू हो जाने के बाद भी कर्मचारियों की भविष्य निधि में विशेष अंशदान जारी रखा जाय । मेरा विचार यह है कि कर्मचारी को सेवा निवृत्ति होने के तुरन्त बाद उसकी भविष्य निधि की रकम दे दी जाय । या तीसरी श्रेणी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रमुख

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री प्रिय गुप्त]

केन्द्रों पर विश्राम गृहों की व्यवस्था की जानी चाहिए। लाइनों को बदलने और डिब्बों को बदलने के काम को सब से अधिक प्राथमिकता दी जाय। चिकित्सा सहायता नियमों में समुचित संशोधन किये जायें ताकि निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को लाभ हो सके।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : २५ करोड़ रुपये की अनपूरक मांगों के बारे में कुछ आपत्ति किये जाने की कोई गुंजाइश नहीं। मैं इसका समर्थन करता हूं। श्री बनर्जी ने चित्तरंजन के कार्मिक संघ का उल्लेख किया है। मैं श्री बनर्जी का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि सरकार को चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाने में, जिस पर देश को गर्व है, श्रमिक संघों को मान्यता प्रदान करने के प्रश्न की जांच करनी चाहिए।

मैं यह नहीं कहता कि रेलवे सुरक्षा बल ठीक काम नहीं कर रहा है जैसा कि अन्य कई एक माननीय सदस्यों ने कहा है, परन्तु अधिकतर उन्होंने जितने मामल पकड़े हैं वे सब चौथे दर्जे के कर्मचारियों से ही सम्बन्धित थे। विभिन्न स्थानों पर अवकाश आवास केन्द्र स्थापित करने की प्रस्थापना भी सराहनीय हैं। इस प्रकार के अवकाश अवासों की और अधिक संख्या में व्यवस्था की जानी चाहिए।

परन्तु एक बात है कि रेलवे का चिकित्सा विभाग इतने अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहा है जितना कि वह कर सकता है। इसमें सुधार करने की पूरी गुंजाइश है। दाईयों और नर्सों के लिए विशेष भत्ते की व्यवस्था की जाय ताकि इस काम की ओर लोग अधिक से अधिक आकर्षित हों। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए विश्राम गृहों की संख्या में वृद्धि की जाये। इन शब्दों से मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री दी० चं० शर्मा : २५ करोड़ रूपये की अनुपूरक मांगों के समर्थन में कोई गम्भीर आपत्ति नहीं होनी चाहिये। किन्तु मुझे कुछ बातों के बारे में चिन्ता है ? पहली बात न्यायलय की डिग्रीयों या मध्यस्थों के पंचायटो के अनुसार दी जाने वाली राशियां है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद रेलवे में मुकदमाबाजी कैसे इतनी बढ़ गई है। उत्तर रेलवे में यह विशेष रूप से ज्यादा है। मेरे विचार में रेलवे के कानूनी विभाग की जांच किये जाने की आवश्यकता है। मांग संख्या ६ के बारे में यह पूछना चाहूंगा कि रेलवे प्राधिकारियों ने वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में इतना विलम्ब क्यों किया है।

एक और चीज जिससे मुझे दुःख होता है यह है कि रेलवे कर्मचारियों की अच्छी देखभाल नहीं होती रात को काम करने वाले और सामयिक श्रमिकों के कल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता सब कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी बनाया जाना चाहिये। कुलियों को जो यात्रियों की इतनी सेवा करते हैं, अस्थायी या सामयिक श्रमिक समझा जाता है।

मांग संख्या ५ के बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि मरम्मत और संधारण का स्तर बहुत गिर गया है। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वे ऐसा प्रवंध करें कि डिब्बों, रेलवे लाइनों और सिगनल के उपकरणों की मरम्मत वैज्ञानिक तरीके से हो सके। रेलवे में मरम्मत और संधारण की स्थिति जानने के लिए विभिन्न रेलों के प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त की जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोटे और बड़े स्टेशनों में प्रतीक्षालयों, प्लेटफार्मों आदि की स्थिति अच्छी नहीं है। इन की देख-भाल और मरम्मत को एक महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य समझना चाहिये।

†श्री सुब्बारामन (मदुरै): मैं भी यह कहना चाहता हूं कि रेलवे में मरम्मत और संधारण उचित रूप से किया जाना चाहिये। पहले दर्जे के डिब्बों में गुसलखानों की देखभाल अच्छी तरह नहीं होती। पानी के निकास का ठीक प्रबंध नहीं होता और पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। दूसरी बात गाडियों में लगे सामान की चोरी है, जिसकी ओर रेलवे मंत्रालय को विशेष ध्यान देना चाहिये।

खोये हुए सामान और हानि के लिये प्रतिकर के दावों के निपटारे में विलम्ब नहीं होना चाहिये।

अंत में मैं यह कहूंगा कि रेलवे मंत्रालय को उन आपत्तियों पर जो लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उठाई जाती है, सावधानी से विचार करना चाहिये और लेखा परीक्षक ने जो सुझाव दिये हों, उन का सख्ती से पालन करना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

†श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर): मुझे मांग संख्या १३ के बारे में यह कहना है कि पूर्वी रेलवे के वाणिज्यक कर्मचारियों के आवास के लिए उचित प्रबंध नहीं है रिपोर्ट से प्रकट होता है कि ११०० कर्मचारियों में से केवल ६७ को क्वार्टर दिये गये हैं। उन के क्वार्टरों के किराये भी हाल में बहुत बढ़ा दिये गये हैं जो कि उचित नहीं है।

मैं यह पूछना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में वर्तमान लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता। याचिका समिति ने इस विषय में सिफारिश की थी, किन्तु उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यात्रा रखने वाली आम जनता के हित में इन का तुरन्त राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये क्योंकि ये ऐसे क्षेत्रों से गुजरती हैं जो वाणिज्य और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं।

†श्री जोकिम आल्वा (कनारा): मेरी समझ में नहीं आया कि रेलवे के लेखा अधिकारियों ने २५.३९ करोड़ रूपये की इस बड़ी अनुपूरक मांग को पिछले वर्ष के रेलवे बजट में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया था।

रेलवे बाहर के लोगों को अदायगी करने में बहुत विलम्ब करती हैं।

रेलवे में सामयिक श्रामकों को बिलकुल अछूत समझा जाता है और उनकी कोई सहायता नहीं की जाती। बहुत से ऐसे कर्मचारियों को अस्थाई रखा जा रहा है।

जहां तक कर्मचारियों के विरुद्ध जांच का संबंध है, इन को इतना समय क्यों लगता है। ऐसे मामलों के निपटारे को तीन महीने से अधिक नहीं लगना चाहिये। मैं ऐसे मामले जानता हूं जो कई सालों से निलम्बित है और संबंधित रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों को अत्याधिक कष्ट उठाना पड़ता है।

भोजन व्यवस्था के संबंध में मुझे यह कहना है कि भोजन में बहुत सुधार की आवश्यकता है। उनकी रसोइयां बहुत गन्दी रहती है। रेलवे बोर्ड के सदस्यों को इन्हें देखना चाहिये। इन में स्त्रियों को लगाया जाना चाहिये। वेटरों की सेवाओं को स्थाई नहीं किया जाता और उन्हें बोनस या ऋण नहीं दिये जाते।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जोकीम आलवा]

'डी-लक्स' गाड़ियों के कन्डक्टर अधिक साफ सुथरे और चुस्त होने चाहिये। इन गाड़ियों में विदेशी भी यात्रा करते हैं। उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कन्डक्टर अच्छे न हों तो पर्यटक यातायात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

बम्बई जैसे बड़े शहर में यातायात विनियमों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। वहां रेलवे स्टेशनों के समीप उचित रूप से यातायात विनियम लागू किये जाने चाहिये। उन रेलवे अधिकारियों के नाम नहीं दिये जाते जिन का व्यवहार विनीत नहीं होता।

युवक और उत्साही कर्मचारियों को पदोन्नति के उचित अवसर प्रदान किये जाने चाहिये।

रेलवे में मेहतर बहुत अच्छा काम कर रहे है और उन में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। उन्हें और इन के बीबी बच्चों को कपड़ों, चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं दी जानी चाहिये।

स्टेशनों पर खराब दूध का संभरण किया जा रहा है। बम्बई सरकार रेलवे को अच्छा दूध बड़ी मात्रा में दे सकती है। दूध बम्बई से संभरित किया जाये और बाहर से नहीं।

वर्ष १६६२—६३ के लिये रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
१३	१	श्री बड़े	प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्रों के कर्मचारियों को पर्याप्त सुविधाएं न दिया जाना।	१००
१३	२	श्री भट्टाचार्य	पूर्वी रेलवे के कार्यालय पर क्लर्कों के लिये आवास।	१००
१६	३	श्री बड़े	खंडीय ठेकों में हानि	१००
६	४	श्री सोय	सामयिक श्रामकों को नियमित कर्मचारियों की सुविधाओं का न दिया जाना।	१००
६	५	श्री प्रिय गुप्त	सामयिक श्रमिकों को नियमित कर्मचारियों की सुविधाओं का न दिया जाना।	१००
७	६	श्री प्रिय गुप्त	कोयला चुनने और सफाई का विभागीय रूप से न किया जाना।	१००
३	७	श्री प्रिय गुप्त	कर्मचारियों की भविष्य निधि में विशेष अंश-दान	१००
१३	८	श्री प्रिय गुप्त	श्रेणी ३ और ४ कर्मचारियों के लिये विश्रामगृह	१००
१७	६	श्री प्रिय गुप्त	लाइनों के उचित नवीकरण की आवश्यकता	१००

†उपाध्यक्ष महोदय : ये कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

†मूल अंग्रेजी में

श्री बेरवा कोटे (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नम्बर १६ ओपन लाइन एडीसन के बारे में मैं बोलना चाहता हूं । इस के बारे में मैंने कट मोशन दी हुई है । जोनल कन्ट्रैक्टर्ज के बारे में तथा उन के खिलाफ आडिट रिपोर्ट में काफी कुछ लिखा हुआ है । मैं आप के सामने दो तीन बातें ही रखना चाहता हूं । ७ मार्च १९५९ को बरौदा, रतलाम, राजकोट और कोटा डिविज़न, जिस कंस्टिट्युएंसी से कि मैं आया हूं, वहां पर १९५९-६० में ईलैक्ट्रिक वर्क्स के ठेके देने थे । ७ मार्च १९५९ को उस के टैंडर खोले गये और २२ अप्रैल को मंजूर किये गये । लेकिन वे टैंडर ३१ मार्च १९५९ के भाव से बहुत कम थे । तब फिर क्या किया गया, यह मैं आप को बतलाना चाहता हूं । ३१ मार्च १९५९ वाले ठेकेदार के भाव ज्यादा थे । उस को बन्द करना चाहिये था । लेकिन जो पहले का ठेका था और जो जोनल कन्ट्रेक्टर के पास था, उस का रेट अधिक था । उस को बन्द कर देना चाहिये था क्योंकि साल खत्म हो गया था । ऐसा नहीं किया गया । जिस के रेट अधिक थे उस को ही ठेका दे दिया गया और उसी रेट से पेमेंट कर दिया गया । इस के अलावा जो छोटे ठेके हुए वे भी उसी को दे दिये गए । इस में रेलवे को ४५८१६ रुपये का नुक्सान उठाना पड़ा । आडिट रिपोर्ट १९६३, पेज १५, पैरा १७ पर इस का जिक्र है । इसलिए मेरा यह कहना है कि जोनल कन्ट्रेक्टर को न दे कर छोटे छोटे ठेके दिये जाने चाहिये । जोनल कन्ट्रेक्टर्ज को ठेके देने की नीति पर अगर चला जाता है तो जो छोटे ठेके दार हैं, वे ठेके नहीं ले सकेंगे । इस का कारण यह है कि ये ठेके लाखों पर जा कर पड़ते हैं और छोटे ठेकेदारों के वश की यह बात नहीं होती है । एक कंडीशन यह भी है कि पचास हज़ार से नीचे का जितना भी काम होगा वह भी जोनल ठेकेदारों के द्वारा कराया जाएगा, छोटे ठेकेदारों को नहीं दिया जाएगा । यह भी मैंने देखा है कि जब बड़े बड़े ठेके दिये जाते हैं तो उन में भ्रष्टाचार काफी आ जाता है, इसलिए छोटे ठेकेदारों को देना नहीं चाहते हैं । यह जो पालिसी है यह बदलनी चाहिये ।

रेलवे बोर्ड ने यह भी आदेश दिया था कि यदि वर्क एक साल में कम्पलीट न हो तो उसे बन्द कर दिया जाना चाहिये और चालू वर्ष के जो रेट आये, उन्ही रेट्स से करवाया जाना चाहिये । लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है । मिट्टी का काम गांधी ग्राम अहमदाबाद में खोला गया । काम कैंसिल कर दिया गया और होते होते २७,००० का खर्च हो गया । यह खर्चा नहीं बल्कि घोटाला हुआ है ।

तीसरा काम १९५१ से ले कर १९५८ तक का है । टिम्बर सप्लाई करने का एक ठेका दिया गया था और उस में ४६ लाख रुपया अभी भी बकाया है । १९५१ से ले कर अभी तक इस को वसूल नहीं किया जा सका है । इस तरह के जो केस हैं, अगर यह न घटित हुए होते तो सप्लीमेंटरी डिमांड्ज़ पेश करने की आवश्यकता ही आप को महसूस न होती । यह कहा गया कि ठेकेदार को ओवरपेमेंट कर दी गई । ऐसा दिखाई देता है कि इस में ठेकेदार से ले कर इंजीनियर तक सभी मिले हुए थे और तभी यह ओवरपेमेंट हुई । तीन जगह पर चैकिंग होती है । पहले तो ओवरसीयर के लेवेल पर चैकिंग होती है, उस के बाद असिस्टेंट इंजीनियर के लेवेल पर होती है और वह जा कर साइट पर देखता है और तीसरी चैकिंग तब होती है जब आडिट किया जाता है । इस में मालूम होता है कि शायद नीचे से ले कर ऊपर तक सब मिल गये थे और ओवरपेमेंट कर दी गई । इस तरह की घटनायें दुबारा नहीं घटनी चाहिये ।

इस लिये यह ४६ लाख रु० का रेलवे को नुक्सान हुआ । इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े ठेके न दे कर छोटे ठेके दिये जायें ताकि उस में डिपार्टमेंटल वर्क ठीक हो सके । पहले डिपार्टमेंटल वर्क होता था जिस में हजारों कर्मचारी आ जाते थे । लेकिन आज कल जो काम होता है उस में डिपार्टमेंटल वर्क में छोटे कर्मचारी नहीं आ पाते हैं । जोन सिस्टम जो कर दिया गया है उस में बड़े आदमियों के अलावा छोटे मजदूर तो काम ही नहीं कर सकते हैं । इलिये मेरा कहना है कि छोटे

[श्री बेरवा कोटे]

ठेकेदारों से काम करवाना चाहिये। इसलिये या तो जोनल सिस्टम बन्द कर देना चाहिये या फिर जोनल सिस्टम में अलग अलग ठेके ठेकेदारों को दिये जाने चाहियें ताकि छोटे छोटे आदमी वह काम कर सकें।

†उपाध्यक्ष महोदय : श्री सौय, आप का क्या प्रश्न है ?

श्री ह० च० सौय (सिंहभूम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपमंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे यहां स्पेशली चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन कैजुअल वर्कर्स की बहाली के समय यह किया जाता है कि हर महीने उन को बहाल कर दिया जाता है और महीने के आखीर में उन को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर अगले महीने के पहले सप्ताह में उन को बहाल कर दिया जाता है। इस बहाली के समय रेलवे में काम करने वालों से ५ रु० या १० रु० पी० डब्ल्यू० आई० आदि के द्वारा ले लिये जाते हैं। इस चीज को डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेंट जानते हैं। इस के मुताल्लिक हम ने डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेंट और रेलवे के जनरल मैनेजर को भी लिखा, रेलवे मिनिस्टर को भी लिखा, फिर भी यह चीज जारी है। आखिर इस के लिए क्या उपाय हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब करेंगे, मैं चाहता हूं वे इस का जवाब दें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चक्रधरपुर में जोकि डिवीजन हेडक्वाटर है, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर होते हैं। उन के द्वारा जब रेलवे की जगह कैन्टीन या चाय की दूकान वगैरह के लिये दी जाती है तो कुछ लोगों को दी जाती है और कुछ लोगों को नहीं दी जाती है। इस मामले में काफी धांधली चल रही है। इस सम्बंध में हम लोग लिखते लिखते और डिवीजनल मैनेजर से कहते कहते हार गये। आखिर इस बीमारी का कुछ इलाज तो होना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार में चाय बासा सब से बड़ी मार्केट है। वहां पर बाजार से जब सरायखरसवा को शाम को लोग लौटते हैं तो उस में करीब करीब ५०,००० आदमी यात्रा करते हैं जोकि वीकली मार्केट करने के लिये वहां जाते हैं। उस के लिये एक ही बुकिंग क्लर्क रहता है। इस बारे में कई दफे लिखा गया कि चूंकि वहां पर एक ही बुकिंग क्लर्क है इसलिये वह सारे लोगों को टिकट नहीं दे सकता है। लेकिन जो रेलवे स्क्वैड हैं वह लोगों को बिना टिकट पकड़ने के लिये घूमता रहता है। एक तो यात्रियों को टिकट देने का आप इन्तजाम नहीं करते हैं। उसके बाद उन्हीं को पकड़ते हैं। मैं रेलवे उपमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर वे इस का कुछ इन्तजाम करेंगे या नहीं।

†**श्री शाहनवाज खां** : कई सदस्यों ने अभी हाल के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का उल्लेख किया है। यह प्रतिवेदन लोक लेखा समिति के पास जायेगा। समिति उस पर अपनी राय देगी। तत्पश्चात वह प्रतिवेदन रेलवे मंत्रालय के पास आयेगा। तब हमें उस पर कार्यवाही करनी होगी।

श्री स० मो० बनर्जी ने इंजिन डिब्बों के संवारण और मरम्मत के बारे में कहा है। मैं इस सम्बंध में सभा को यह बतलाना चाहता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ८००० मील रेलवे लाइन का नवीकरण किया गया है। चालू योजना में रेलवे लाइनों का नवीकरण करने के लिये १७० करोड़ रुपये रखे गये हैं। यद्यपि इस सम्बंध में कुछ राशि बकाया रह गयी है तथापि मेरा विचार है कि वर्तमान योजना में हम उस राशि का उपयोग करने में समर्थ हो सकेंगे। अधिकारियों को इंजिन डिब्बों के आकस्मिक निरीक्षण के लिये नियुक्त किया गया है। लम्बी गाड़ियों में बिजली व सफाई करने वालों के दल भी चला करते हैं जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न होने

---

†मूल अंग्रेजी में

पावे। वस्तुतः यात्रियों को बिजली इत्यादि के असुविधा का मुख्य कारण यह है कि ये चीजें चुरा ली जाती हैं। यद्यपि हम इन्हें रोकने के लिये बहुत प्रयत्नशील हैं और फलस्वरूप स्थिति में सुधार भी हुआ है।

श्री स० मो० बनर्जी ने कहा है कि रेलवे सुरक्षा बल ने आशानुरूप से कार्य नहीं किया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वे निरन्तर शैडों और मार्गों की चौकसी करते हैं और वे रेलवे में चोरियों की संख्या कम करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। आपातकाल के दिनों में रेलवे सुरक्षा बल ने प्रसंशनीय कार्य किया है। तथा सभी ने उनकी सेवाओं की भरसक प्रशंसा की है। उन्होंने रेलवे से चोरी की गयी सम्पति का भी पता लगाया है। कानपुर में रेलवे के कोयले की चोरी का पता भी रेलवे सुरक्षा बल के अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा लगाया गया।

अतः सामान्यतया रेल संरक्षण बल अच्छा काम कर रहा है। कहीं कहीं गन्दे व्यक्ति भी हो सकते हैं। कर्मचारियों के साथ नर्मी का बर्ताव नहीं किया जाता है।

†**श्री बड़े** : तो जीप की चोरी कैसे हो गई और २९ डिब्बे कैसे गायब हैं।

†**श्री शाहनवाज खां** : केवल हमारी जीप ही नहीं खोई गई है। अन्य स्थानों पर भी अन्य विभागों की जीपों की चोरियां हो जाती हैं। यह तो विधि और व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री स० मो० बनर्जी : जैसे अच्छी जानकारी वाले सदस्य से यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि मुगलसराये के उत्तर में कोयले की अभी भी कठिनाई है। कानपुर की ओर जाने वाले कोयले के डिब्बों की संख्या अप्रैल, १९६२ से जनवरी, १९६३ के दौरान में १८९१ से बढ़ा कर १९८६ डिब्बे कर दी गई है। पिछले वर्ष की उसी अवधि से इस वर्ष वृद्धि हुई है। इस समय मुगलसराये की इस ओर कोयले के डिब्बों की संख्या २१०० डिब्बे प्रतिदिन है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : कब से ?

†**श्री शाहनवाज खां** : पिछले कुछ हफ्तों से। सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि सामान्य उपभोक्ताओं के लिए कोयले के परिवहन के जो लक्ष्य हैं हम उनसे अधिक कोयले का परिवहन कर चुके हैं।

रेलवे के काम को अच्छा बनाने में हमने सदैव मजदूरों का सहयोग मांगा है। रेलवे कर्मचारियों की बैठकें होती रहती हैं।

†**श्री प्रिय गुप्त** : प्रत्येक रेलवे में नहीं।

†**श्री शाहनवाज खां** : बहुत सी रेलों में ऐसा होता है।

चितरंजन में विभिन्न संघों और दक्षिण रेल कर्मचारी संघ को न मान्यता देने के प्रश्न का जिक्र किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शाहनवाज खां]

श्री स० मो० बनर्जी ने कहा कि जबकि कर्मचारियों ने इस बात का दृढ़ आश्वासन दिलाया है कि वे सरकार के साथ सहयोग से काम करेंगे, देश विरोधी कार्यवाहियों में भाग नहीं लेंगे और रेलवे पर स्थिति को सुधार के मामले में सहयोग देंगे, तो उन्हें मान्यता क्यों नहीं दी गई। यह कहना बड़ी अच्छी वकालत है, परन्तु उनकी कार्यवाहियां भिन्न हैं। पहले केवल भारतीय रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघान को ही मान्यता दी गई थी। बाद में अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघान को भी मान्यता दी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वे प्रशासन के साथ सहयोग से काम करेंगे और बातचीत द्वारा सभी झगड़ों का हल किया करेंगे। १९६० की सामान्य हड़ताल में इन संघों ने जो काम किया उसे सारा देश जानता है। जब हम अपनी योजनाओं को सफल बनाने में लगे हुए थे उस समय इस हड़ताल ने देश को काफी हानि पहुंचाई। अतः हमने यह निर्णय किया था विभिन्न संघों को मान्यता देने से पहले उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा।

श्री दी० चं० शर्मा जी यह जानना चाहते थे कि जगन्नाथ दास आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में इतनी देरी क्यों हुई। मुख्य सिफारिशों पर लगभग ३ वर्ष पहले कार्यवाही खत्म हो गई थी। कुछ गौण सिफारिशें थीं जिन पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करना था इसी कारण कुछ समय लग गया।

कई सदस्यों ने नैमित्तिक मजदूरों और उनके साथ बर्ताव का जिक्र किया। एक प्रकार के वे श्रमिक हैं जो परियोजनाओं में काम करते हैं। ज्यों ही परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं तो अस्थायी मजदूर फालतू हो जाते हैं। हम इन्हें स्थायी कर्मचारी नहीं मान सकते। कुछ अस्थायी मजदूर नैमित्तिक श्रमिकों के स्थान पर काम कर रहे हैं; ऐसे मजदूरों के साथ ६ महीनों की सेवा के बाद वही बर्ताव किया जाता है जो नियमित कर्मचारियों के साथ और उन्हें वही वेतन भी दिया जाता है।

मेरे माननीय मित्र, श्री स० मो० बनर्जी ने एक चालक की खेदजनक मृत्यु की चर्चा की जो कि मृत्यु के समय ड्यूटी पर था। इंजन चालकों की हर तीन वर्ष में एक बार परीक्षा की जाती है, और उनकी डाक्टरी परीक्षा भी होती है, और ४५ वर्ष की आयु हो जाने पर उनकी प्रत्येक वर्ष परीक्षा की जाती है। दिल की धड़कन का बन्द हो जाना एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति भी इसका शिकार हो सकता है। इसी सभा में ऐसे उदाहरण मिल जायेंगे कि माननीय सदस्य ने अपना वक्तव्य समाप्त किया और फिर अपना आसन ग्रहण करते ही स्वर्गवास हो गये। परन्तु मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन दे सकता हूं कि हम पूरी तरह डाक्टरी परीक्षा करते हैं, और अपने कर्मचारियों की देखभाल करते हैं।

एक माननीय सदस्य ने चिकित्सा कर्मचारियों की कमी का उल्लेख किया, विशेषतया नर्सों तथा दाइयों के प्रवर्ग में। परन्तु मेरे विचार में अधिकतर जिन सुविधाओं का सामान्य रेलवे कर्मचारियों तथा चिकित्सा कर्मचारियों के लिये उपबन्ध किया गया है वह देश में अद्वितीय है।

एक या दो माननीय सदस्य रेलवे सेविवर्ग के लिये विश्राम-गृहों के सम्बन्ध में जानकारी चाहते थे। जो कर्मचारी एक से दूसरे स्टेशन पर जाते रहते हैं उनके लिये नियमित विश्राम कमरे उपलब्ध किये जाते हैं। विनोद के उद्देश्य से बहुत से अवकाश गृह खोले गये हैं। यह काफी लोकप्रिय हैं। पहलगाम के अवकाश गृह का उल्लेख कर, इसकी लागत का प्रश्न उठाया गया था। इस अवकाश गृह के लिये

हमने $1\frac{1}{5}$ लाख रुपया अदा किया है, और यह लोक प्रिय स्थान है। मैं समझता हूं कि इस व्यवहार में रेलवे को घाटा नहीं हुआ। यह सौदा अच्छा रहा है और इस अवकाश गृह का बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा है। समस्त देश भर से रेलवे कर्मचारी वहां जाते हैं और सुविधाओं का पूरा लाभ उठा रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य चाहते हैं कि सारे वाणिज्य सेविवर्ग के लिये निवास स्थान का उपबन्ध होना चाहिए। रेलवे में लगभग १२ लाख कर्मचारी हैं। उनमें से ४५ प्रतिशत को निवास स्थान प्राप्त है। कुछ कर्मचारीवर्ग का कार्य इस प्रकार का है कि आवश्यक सेविवर्ग को निवास स्थान देने में प्राथमिकता दी जाय। आवश्यक सेविवर्ग उनको कहा जाता है जिनको किसी समय भी गाड़ियां चलाये जाने के लिये बुलाया जा सके। उनको प्राथमिकता देनी आवश्यक है। हम इस समस्त आवश्यक सेविवर्ग को भी अभी निवास स्थान नहीं दे पाये हैं; केवल ६०, ७० प्रतिशत को ही निवास स्थान मिला हुआ है।

प्रत्येक वर्ष हम १२,००० रेलवे क्वार्टरों का निर्माण कर रहे हैं। द्वितीय योजना काल में हमने इस गति से क्वार्टर बनाये हैं और तृतीय योजनाकाल में भी हम इस गति से क्वार्टरों का निर्माण करने की आशा करते हैं। वाणिज्य सेविवर्ग को भी उन के अंश के अनुसार निवास स्थान दिये जा रहे हैं, परन्तु उन्हें अपनी महत्ता के अनुसार यह सुविधा दी जाती है।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : अब तक निर्मित क्वार्टरों की संख्या क्या है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : लगभग $4\frac{1}{2}$ लाख।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या एक भी गजेटिड आफिसर विदाउट क्वार्टर है, जबकि क्लास फोर के इतने वर्कर्ज़ विदाउट क्वार्टर्ज़ हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, उन में भी थोड़ा फर्क है।

श्री प्रिय गुप्त तथा कुछ अन्य सदस्यों ने अधजले कोयले तथा भस्म के ठेके देने में अधिक भ्रष्टाचार की ओर निर्देश किया। कृपालानी समिति के सुझावों के परिणामस्वरूप, अधजले कोयले तथा भस्म सम्बन्धी कार्यों को कुछ रेलवे शैडों में विभाग द्वारा कराना आरम्भ कर दिया गया था, परन्तु इसे हमने मितव्ययी नहीं पाया। जिन मामलों में हमने इसे मितव्ययी नहीं पाया उनमें हम ठेके की प्रथा फिर से जारी करने जा रहे हैं।

बहुत से सदस्यों ने भविष्य निधि तथा रैलवे कर्मचारियों के अन्य दावों के निर्णयों में होने वाले विलम्ब की ओर निर्देश किया। १२ लाख कर्मचारियों में से जिनमें से लगभग ४०,००० व्यक्ति वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं जिन कर्मचारियों के दावे, ३१ दिसम्बर तक, गत तीन मास से ऊपर निलम्बित हैं, केवल १,५४८ थे। हम इस आधार पर कार्य कर रहे हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद के १० दिन के भीतर सब बातों का निर्णय हो जाना चाहिए। सभा को जान कर हर्ष होगा कि कुछ भागों में कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने वाले दिन ही उसका हिसाब कर दिया गया। वास्तव में, एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के एक वर्ष पूर्व ही हम उसका हिसाब-किताब तैयार करना आरम्भ कर देते हैं ताकि समय पर हर चीज़ तैयार हो परन्तु सेविवर्ग के कुछ प्रवर्ग ऐसे हैं जिन से वाणिज्य ऋण प्राप्त करने होते हैं। केवल ऐसे ही कुछ मामलों में विलम्ब होने की सम्भावना रहती है। परन्तु यह मामला भी निरन्तर विचाराधीन है। यदि कोई ऐसे मामले हों तो सदस्य मुझे उन का ब्यौरा दे दें। मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हम उन्हें शीघ्र ही निबटाने का प्रयत्न करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : पहले हमें कटौती प्रस्तावों को निबटाना है :

मैं अब सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष १९६२–६३ के लिये रेलवे की निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६	साधारण कार्यवहन व्यय-संचालन कर्मचारी . . .	१,२८,६७,०००
७	साधारण कार्यवहन व्यय-संचालन (इंधन) .	१,०७,७३,०००
९	साधारण कार्यवहन व्यय—विविध व्यय . .	१,७८,३९,०००
१३	चालू लाइनों पर काम (राजस्व)—श्रमिक कल्याण	२२,७५,०००
१६	चालू लाइनों पर काम-विस्तार . . .	८,९५,१४,०००
१७	चालू लाइनों पर काम-प्रतिस्थापन	८,५५,५४,०००

कृषि पुनर्वित्त निगम विधेयक—क्रमशः

†उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्रीमती तारकेश्वरी सिनहा द्वारा २१ जनवरी, १९६३ को, प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेंगे :—

"कृषि के विकास के लिये पुनर्वित्त के रूप में अथवा अन्यथा मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देने के लिये एक निगम की स्थापना और तत्सम्बन्धी अथवा आनुषंगिक अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

समय बहुत थोड़ा है और बहुत से सदस्य बोलने के इच्छुक हैं, इसलिये एक सदस्य को ५ मिनट ही दिये जायेंगे ।

श्री तुलसीदास जाधव (नांदेड़) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिन मैंने जो बातें कही थीं, उनके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि काश्तकारों के लिए जो यह एग्रीकल्चर रीफ़ाइनेंस कार्पोरेशन बिल आया है, उसके लिए मैंने गवर्नमेंट को धन्यवाद दिया है, लेकिन इस बारे में गवर्नमेंट की जो इन्टेन्शन्ज़ हैं, उनको सफल करने के लिए यह आवश्यक है कि काश्तकारों को तुरन्त कर्ज़ा देने का इन्तज़ाम किया जाए। आज कल तो वे कर्ज़ के बोझे के नीचे दबे हुए हैं। "सम एस्पेक्ट्स आफ इण्डियन इकानोमिकल डेवेलपमेंट" में लिखा है कि जहां तक काश्तकार का सम्बन्ध है, ही इज बार्न इन डेट, ही लिव्ज इन डेट और डाइज इन डेट ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१६५७ से १६६१–६२ तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को जो कुल कर्जा दिया है, वह २०५,६२,२५,३८७ रुपए है और उसके पास जो रुपया वापिस आया है, वह ५८,७८,८१,७६४ रुपए है। इसका मतलब यह है कि २०५ करोड़ दिये जिसमें से १४७ करोड़ रुपया आना बाकी है। इसका सीधा सा अर्थ यह निकलता है कि आप पैसा तो दे देते हैं लेकिन उसको वापिस आने में क्या दिक्कते हैं यह भी देखना चाहिए। जिस काम के लिए वह दिया गया था उस काम पर खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया गया था और उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो उस को भी आप को देखना चाहिए। सरकार को तलाश कर के कारण ढूंढ निकालना चाहिए। अब यह जो बिल आया है यह इस गर्ज से आया है कि डायरी फार्म के लिए पोल्टरी फार्म इत्यादि के लिए लोगों को रुपया दिया जा सके। यह तो सब ठीक है लेकिन जब आप रुपया दे दें तो उसको आपको फालो अप भी करना चाहिये। जब इसको फालो अप नहीं किया जाता है तो जो परपज होता है रुपया देने का वह अचीव नहीं हो पाता है। जब किसान को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वह साहूकार के पास जाता है जहां पर उसको बहुत ही ज्यादा रेट आफ इंटिरेस्ट पर रुपया मिलता है। किन किन कारणों से किसान को कर्ज लेना पड़ता है, इस पर भी आपको विचार करना चाहिये। एस० के बोस की **भारतीय अर्थ-व्यवस्था में विकास के कुछ पहलू** नाम की जो किताब है, उसमें इसका जिक्र किया गया है। उसमें यह दिया हुआ है कि परपजिज आफ बारोइंग क्या होते हैं और उसका परसेंटेज टू टोटल क्या बनता है। इसमें यह है :—

	ऋण प्राप्त करने का उद्देश्य	कुल धन का प्रतिशत
१.	फार्म पर पूंजी व्यय	२७.८
२.	फार्म पर चालू व्यय	६.३
३.	फार्म के अलावा कार्यों पर व्यय	६.६
४.	परिवार व्यय	५०.२

इससे पता चलता है कि ५० परसेंट से ऊपर जो उसका खर्चा होता है वह फैमिली पर होता है। ऐसी हालत में किस तरह से वह उत्पादन बढ़ाने की तरफ ध्यान दे सकता है। जिस तरह से दूसरे उद्योग धंधों में खर्च चलता है, उसी तरह से यहां पर भी जब तक नहीं चलेगा तब तक उसको लाभ नहीं पहुंच सकता है।

अब आप यह भी देखें कि ज्यादातर उसको किस सोर्स से कर्जा मिलता है। इसी किताब के पेज ८८ पर दिया हुआ है :—

	वृत्तिक साहूकार	कृषकों से कुल ऋणों से प्रत्येक अभिकरण से ऋण का अनुपात
१.	वृत्तिक साहूकार	४४.८
२.	कृषि साहूकार	१४.६
३.	नाते-दार	१४.२
४.	व्यापारी तथा वर्तनाभिकर्त्ता	५.५
५.	जमींदार	१.५
६.	सरकार	३.३
७.	सहकारी संस्थायें	३.१

[श्री तुलसी दास जाधव]

इससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि प्रोफेशनल मनीलैंडर से उसको ४४·८ परसेंट तक कर्जा मिलता है और एग्रीकल्चरल मनी लैंडर्ज से २५ परसेंट । इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि कोआप्रेटिव्ज से उसको बहुत ही कम पैसा मिलता है ।

यह भी कहा जाता है कि लैंड मार्टगेज बैंक्स के पास पैसा नहीं है । मैंने अपने पहले के भाषण में कहा था कि मेरे पास लैटर्ज आते हैं कि इन बैंक्स के पास पैसे होते हैं लेकिन खेडूत लेता नहीं है क्योंकि ये बैंक्स जो हैं उसके रास्ते में कई रोड़े अटकाते हैं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार खेडूत के लिए जो पैसा निकालती है, वह सारा पैसा उस तक नहीं पहुंचता है । जब उसको बहुत कम पैसा मिलेगा तो वह उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकेगा । जब तक उसको काफी पैसा न मिल जाए और वह कर्ज से मुक्त न हो जाए, तब तक उसका काम नहीं चल सकता है । पंजाब में तथा दक्षिण में प्राइवेट मनी- लैंडर्ज जो इंटिरेस्ट चार्ज करते हैं, वह बहुत अधिक होता है जिसका नतीजा यह होता है कि वह कभी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता हे । जब भी वह सरकार से कोई पैसा लेता है, वह इधर उधर दूसरे कामों में खर्च कर देता है । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि यह कारपोरेशन जो रुपया उस को दे उसका ठीक रीति से इस्तेमाल होता है या नहीं, इसको भी देखें और यह भी देखें कि जिस परपज के लिए यह दिया जाता है, उसी परपज के लिए यह खर्च हो और साथ ही साथ यह रुपया वापिस मिले । आपको जो रूट काज़ हैं, अनइकोनोमिक एण्ड अनप्रोडक्टिव बोरोइंग के उनमें जाना चाहिये और उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये ।

माइनर इरिगेशन के लिए भी इसमें प्राविज़न होना चाहिये कि उसके लिए भी पैसा दिया जा सकता है । बंडिंग के लिए जैसे सरकार ने कर रखा है कि किसान चाहे या न चाहे बंडिंग होगा और सरकार खर्च करती है और बीस पच्चीस बरस में वापिस लेगी, इसी तरह से माइनर इरिगेशन के बारे में भी किया जाना चाहिये । जहां पर तालाब नहीं हैं, जहां पर वैल्ज नहीं हैं, जहां पर बरसात वक्त पर नहीं होती है और जहां पर फैमिन कंडिशन्ज प्रिवेल करती हैं, वहां पर जैसे सरकार जबर्दस्ती बंडिंग करती है, उसकी तरह से माइनर इरिगेशन या कुआं खोद कर उसको किसान को दे देना चाहिये और बीस पच्चीस साल की लम्बी किश्तों में रुपया वापिस लेना चाहिये । जिस तरह से बंडिंग की गई है किसान के लिए उसी तरह से यह भी किया जाना चाहिये ।

†**श्री केप्पन** (मुवातुपुजा) : मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

उद्योगों के लिये ऋण उपलब्ध करने के लिये एक पुनर्वित्त निगम आगे ही स्थापित है । परन्तु कृषि के लिये केवल अल्पावधि ऋण रक्षित बैंक द्वारा उपलब्ध किये जाते हैं । मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण राज्य सहकारी बैंकों और भूमि-बन्धक बैंकों द्वारा दिये जाते हैं, परन्तु यह आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सके । इसलिये कृषकों के लिये ऋण उपलब्ध करने में प्रस्तुत निगम विधेयक अधिक सहायक सिद्ध होगा ।

यह आलोचना की गई है कि इसकी पूंजी केवल २५ करोड़ रुपया है, और आरम्भ में केवल ५ करोड़ रु० ही दिया जा रहा है, परन्तु इस ५ करोड़ के आधार पर निगम १०० करोड़ तक ऋण ले सकता है । इस विधेयक के पारित होने से रक्षित बैंक के पास पी एल ४८० के ऋणों के रूप में जो पूंजी पड़ी है उसका कृषि के लिये उपयोग किया जा सकता है । यदि निगम चाहे तो और अधिक धन देकर ऋण ले सकता है जिसका उपयोग कृषि कार्यों में किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस आधार पर भी आलोचना की गई है कि यह वित्त निगम न होकर पुनर्वित्त निगम ही है और सीधे धन उपलब्ध नहीं कर सकता; परन्तु यह सुझाव देना उचित नहीं है कि केन्द्रीय संस्था व्यक्तियों को सीधे धन उपलब्ध करे ।

यह सुझाव भी दिया गया है कि ब्याज की दर थोड़ी होनी चाहिए परन्तु निगम यदि वाणिज्यिक आधार पर कार्य करेगा तो अधिक उचित होगा ।

बहुत सी नदी घाटी परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं और उपलब्ध जल का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब भूमि को कृषि योग्य बनाया जाये। भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये धन की आवश्यकता है । कृषि विकास की अन्य परियोजनाओं के लिये भी धन की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक के विरोधी इन तथ्यों को सामने रखते हुए अपने संशोधन वापिस ले लेंगे और विधेयक को पारित करने में सहयोग देंगे ।

†श्री महेश्वर नायक (मयरगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । उद्योगां के लिए ऋण उपलब्ध करने के लिये पुनर्वित्त निगम था, परन्तु कृषि विकास के लिये ऐसे ही निगम की भारी आवश्यकता थी । जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने कहा, बहुत सी भूमि कृषि योग्य बनाने वाली है । और इस तरह पुनर्वित्त निगम का बहुत लाभ होगा । रक्षित बैंक के पास बहुत सा धन बेकार पड़ा हुआ है जिसका प्रयोग अच्छी प्रकार किया जा सकेगा । हमारे देश में कृषि के विकास के लिये यह निगम बहुत लाभदायक सिद्ध होगा ।

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह निगम वाणिज्यिक आधार पर कार्य तो करे मगर धन कमाने के उद्देश्य से कार्य न करे । निगम को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि कृषक को आसानी से धन सुलभ हो और आसान शर्तों पर सुलभ हो । केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक तथा सहकारी संस्थायें लोक-प्रिय नहीं हो पाई हैं क्योंकि इनके पास धन की कमी है । जब तक यह दीर्घकालीन ऋण देने योग्य न हों तब तक इस का लाभ कृषकों को नहीं हो सकता ।

एक और बात मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि धन संस्था से कृषक तक पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पाता । बीच वाले बहुत सा धन ले जाते हैं । इसलिये इस बात का ध्यान रखा जाय कि धन कृषक को पूरी मात्रा में मिल सके ।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैंने इस एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन बिल के ओबजैक्ट्स पढ़े हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि कृषि सम्बन्धी कार्य के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए और डेवलपमेंट के लिए यह कारपोरेशन बनाया जा रहा है । मैं इसका स्वागत तो यूं करता हूं कि इस तरह की कोई संस्था ऐसी होनी चाहिए परन्तु इस विधेयक में जिस प्रकार से यह कारपोरेशन बनाने की बात कही गई है और जो इसकी वर्किंग है उसका मैं विरोध करता हूं ।

अभी यह देखा जाता है कि प्राय: जो सोसाइटीज काम कर रही हैं, जिनके द्वारा कृषि सम्बन्धी कर्जा दिया जा रहा है तो जो प्राइमरी मेम्बर है उसको कर्जा पाने के लिए पहले से दो, तीन सीढ़ियां मौजूद हैं । डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक द्वारा रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटीज को कर्जा दिया जाता है और उससे फिर मेम्बरों को दिया जाता है । डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव को एपैक्स बैंक से कर्जा मिलता है और एपैक्स बैंक को रिजर्व बैंक से मिलता है । मेरी आपत्ति यह है कि जब रिजर्व बैंक एपैक्स बैंक को फाइनेंस करता है तो फिर एक अलग से कारपोरेशन बनाया जाय और रिजर्व बैंक या शैड्यूल्ड बैंक के

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महेश्वर नायक]

द्वारा ही शेयर्स और उसे रिफाइनेंस किया जाय यह कहां तक उचित होगा ? मैं यह विचार इस कारण और रखता हूं कि दरअसल कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि जो कृषक उत्पादन करता है उसको कर्जा आसानी से और समय के अन्दर मिलने की सुविधा हो । मैं नहीं समझ पाता कि जब शौर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लोंग टर्म लोन देने के लिए हमारे यहां पहले से डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक, लैंड मोर्टगेज बैंक और एपैक्स बैंक काम कर रहे हैं तो उन्हीं रिसोर्सेज को क्यों न मज़बूत किया जाय जिन रिर्सोसिज़ से कि यह कारपोरेशन बनाया जा रहा है । उन रिसोर्सेज को उन तक पहुंचाया जाय बजाय इसके कि यहां पर आज तीन सीढ़ियां कृषक के पास धन पहुंचाने की हों वहां एक और सीढ़ी इस तरीक़े से बढ़ाई जाय । कहने का मतलब यह है कि एक तरीक़े से इसका प्रयोग करके मिडिलमैन बढ़ाया जा रहा है । फिर भी कुछ तो सूद इंर्टरैस्ट जो भी कारपोरेशन चार्ज करेगा लैंड मोर्टगेज बैंक से या एपैक्स बैंक से, वह बर्डन अल्टीमेटली प्राइमरी सोसाइटीज़ के जो मेम्बर्स हैं, कृषक हैं, उन पर आयेगा । इसलिए इसका जो कांस्टीट्यूशन है और जिस प्रकार से यह बनाया जा रहा है उसका मैं विरोध कर रहा हूं ।

दूसरी बात श्रीमन्, जो मुझे ख़ास तौर से कहनी है वह यह है कि मैं ने यह पढ़ा कि इस में ६ डाइरैक्टर्स रक्खे जायेंगे । उन ६ डाइरैक्टर्स में से ३ डाइरैक्टर्स सैंट्रलगवर्नमेंट द्वारा मनोनीत होंगे । एक डिप्टी गवर्नर आफ़ दी रिजर्व बैंक होगा जोकि रिजर्व बैंक द्वारा नौमिनेटेड होगा और जोकि बोर्ड का चेअरमैन होगा । इसके अतिरिक्त मैनेजिंग डाइरैक्टर का एपायन्टमैंट होगा । अब मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो यह कहा जाता है कि कोआपरेटिव मूवमैंट के द्वारा कृषक को कृषि के उत्पादन के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वह नौन-औफिशिएलाइज्ड़ किया जाय, हमारे प्रधान मंत्री जी इस बात पर जोर देते हैं कि रूरल सोसाइटीज़ नौन-औफिशिएलाइज्ड की जांय, दूसरी तरफ़ आप ऐसी कारपोरेशन बना रहे हैं जिसमें मैनेजिंग डाइरैक्टर का एपायेन्टमैंट करेंगे जिसमें डिप्टी गवर्नर रिजर्वबैंक उसका चेअरमैन होगा और जिसमें अधिकतर संख्या, संचालक मंडल के सदस्यों की जो संख्या होगी वह मनोनीत या नामिनेट की जायेगी । क्या ऐसा करके आप वास्तव में उस ओर क़दम उठा रहे हैं जिसका कि इशारा हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया है कि इस तरह के जितने मूवमैंट हैं वे नौन-औफिशिएलाइज्ड किये जांय । मेरा यह ख़याल था कि केन्द्रीय स्थान पर अगर एक इस प्रकार की कोआपरेटिव स्कीम की जाती कि प्रत्येक स्टेट के एपैक्स बैंक, लैंड मोर्टगेज बैंक्स, इनको सब को मिला करके, कोआर्डिनेशन करके एक कोआपरेटिव संस्था होती और उस को फ़ाइनेंस इस प्रकार से किया जाता तो वास्तव में कृषक का फ़ायदा हो सकता था ।

श्रीमन्, एक चीज़ और इस में मेरी समझ में नहीं आती । इसमें शैड्यूल्ड बैंक्स को भी शेयर्स लेने का अधिकार दिया गया है । कमर्शियल शैड्यूल्ड बैंक्स अभी तक जो काम कर रहे हैं उन से ऐक्चुअली एग्रीकलचरिस्ट्स को क्या फ़ायदा मिलता है ? जो बीच के मिडिलमैन हैं जो ग़ल्ला उनसे ख़रीद कर भरते हैं, उनको तो कुछ लाभ पहुंचेगा, बंधक करके मिल जाता है लेकिन वह कृषक जो उत्पादन करते हैं, जो हल चलाते हैं उनको फ़ायदा देने की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि ऐक्चुअली जो कृषक हैं, उनको सुविधाएं मिलें ।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के कई केसेज़ में डुप्लीकेशन हो रहा है और उसका नतीजा यह होता है कि यह संस्थाएं बहुत सी क़ायम कर दी जाती हैं परन्तु कृषक का कोई भी लाभ नहीं होता है । इसीलिए कारपोरेशन जो बनाया जा रहा है, उसके कांस्टीट्यूशन और वर्किंग की, जैसा कि मैं ने

अभी निवेदन किया, उसका मैं विरोध करता हूं । यह बात अवश्य है कि एग्रीकलचरिस्ट्स के लिए इस प्रकार की एक केन्द्रीय संस्था होनी चाहिए । यह ज्यादा उचित होता अगर इस ओर ध्यान दिया जाता कि मार्केटिंग सोसाइटीज़, एपैक्स बैंक्स और लैंड मोर्टगेज बैंक्स, इन सभी साधनों को मिला कर, उन को कोआर्डिनेट करके एक कोआपरेटिव संस्था बनाई जाय जिसका कि सीधा सम्बन्ध कृषकों से हो ।

अंत में मुझे सिर्फ एक बात और कहनी है । इस में यह लिखा है कि कोआपरेटिव सोसाइटी को भी फाइनेंस कृषक करे, मगर बड़े धीमे से रिज़रवेशन के साथ लिखा हुआ है और एक कंडीशन लिखी हुई है कि जब रिजर्व बैंक की इजाज़त होगी । उससे यह बात साफ़ हो जाती है कि ऐक्चुअली प्राइमरी कोआपरेटिव सोसाइटीज़ जो एग्रीकलचरिस्ट्स के लिए फाइनेंस करती हैं उनको इससे लाभ होने को नहीं है । इसलिए इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और इसकी वर्किंग में संशोधन होने की आवश्यकता है क्योंकि अभी एग्रीकलचरिस्ट्स को इसका लाभ नहीं पहुंचता है ।

†**श्रीमती लक्ष्मीकांतम्मा** (खम्मम) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं ।

सहकारी बैंक और भूमि-बन्धक बैंक कृषि सम्बन्धी मध्यमकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहे हैं । रक्षित बैंक के पास पड़े हुए पी एल ४८० धन का प्रयोग भी कृषक नहीं कर सकते थे । इन कारणों से प्रस्तुत विधेयक कृषि विकास के उद्देश्य से बहुत लाभदायक है ।

इस निगम की प्राधिकृत पूंजी २५ करोड़ होगी और इनके अंशों का भार विभिन्न निकायों द्वारा सहन किया जायगा । केन्द्रीय सरकार इन अंशों की अदायगी के लिये गारंटी देगी । यह निगम पी एल ४८० की निधियां ऋण के रूप में प्राप्त करेगा और अन्य संस्थाओं से भी धन प्राप्त करेगा । भूमि को कृषि योग्य बनाने के कार्य में यह निगम ऋण उपलब्ध करके सहायक सिद्ध होगा । इसके अतिरिक्त, रबड़, चाय, काफी आदि की कृषि में भी सहायता मिलेगी । निगम द्वारा व्यक्तियों को सीधे ऋण न देना उचित है क्योंकि सीधे ऋण देने में बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । यह सुझाव भी दिया गया है कि किसानों को अथवा किसान संघों को इस निगम का अंशधारी बनाया जाय, परन्तु राज्य सहकारी बैंक और भूमि-बन्धक बैंक भी किसानों के ही संघ हैं ।

ब्याज की दर के बारे में आधार वाणिज्यिक ही होना चाहिए ।

निगम की पूंजी के बारे में भी आलोचना की गई । बेशक आरम्भ में केवल ५ करोड़ रुपया ही दिया जायगा, परन्तु आवश्यकतानुसार धन और भी दिया जा सकता है, और इस प्रकार यह निगम ५०० करोड़ रुपये तक के ऋण प्राप्त कर सकता है ।

इस विधेयक के प्रवर समिति को न सौंपे जाने पर मुझे हर्ष हुआ, क्योंकि उससे केवल विलम्ब होने की आशा थी । इस विधेयक से कृषि विकास में शीघ्र सहायता होगी ।

श्री कछवाय : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में क्वोरम नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम केवल वाद-विवाद कर रहे हैं । मतदान नहीं हो रहा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कछवाय : लंच का समय समाप्त हो गया है । ढाई बजे से ऊपर हो गया है । सदन में क्वोरम हो जाना चाहिए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह कह रहे हैं कि गणपूर्ति नहीं है । घंटी बजा दी जाय । हां, गणपूर्ति नहीं है । श्री मेहरोत्रा ।

श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस विधेयक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि किसान को अपने खर्चे के लिए जो रुपया चाहिए, उसको वह उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है । बड़े बड़े किसान तो रुपया पा भी जाते हैं, लेकिन छोटे किसानों को रुपया मिलने में बड़ी कठिनाई होती है । उन को न तो समय पर रुपया मिलता है और न ही उचित ब्याज पर मिलता है । अगर रिज़र्व बैंक या दूसरे बड़े बैंकों से हल्के सूद पर रुपया देने की कोई व्यवस्था है भी, तो किसान के पास पहुंचते पहुंचते उस का ब्याज दर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह उस के लिए बोझ हो जाता है । आम तौर पर इस व्यवस्था का फ़ायदा बड़े किसान उठाते हैं । छोटे किसानों को तो उसी सूदखोर के पल्ले पड़ना पड़ता है, जो कि ज्यादा सूद लेता है । अगर यह कारपोरेशन ऐसी व्यवस्था कर सके कि किसानों को सीधे-सीधे और सस्ते ब्याज पर रुपया मिल सके, तो वह व्यवस्था अपने उद्देश्य में सफल होगी । बीच की एजेन्सीज़, कोआपरेटिव बैंक आदि, होने से ब्याज की दरें बराबर बढ़ती चली जाती हैं ।

इस बिल में लांग-टर्म लोन और मीडियम-टर्म लोन देने की भी व्यवस्था की गई है । लेकिन कुछ ऐसी फसलें होती हैं, जिनमें किसान को देर से पैसा मिलने का अवसर आता है । मसलन अगर कोई किसान बाग़ या आर्चर्ड लगाता है, तो पांच छः बरस की अवधि की ज़रूरत पड़ती है । अगर इस बीच में कर्ज़ की किश्त मांगी जाये,तो वह नहीं दे सकता है । अगर इस विधेयक में इस बात की गुंजायश कर दी जाये कि जब किसान की फ़सल तैयार होगी, तभी से उस की कर्ज़ की किश्त ली जाये, तो यह उपयोगी होगा ।

इसके साथ ही इस बात का भी ख़याल रखा जाये कि अगर कोई दैवी विपत्ति आने की वजह से किसी किसान का कारोबार नष्ट हो जाये, तो जिस तरह से किसी दूसरे कारोबार करने वाले का कारोबार नष्ट हो जाने पर उस को जेल नहीं जाना पड़ता है, उसी तरह बेचारे किसान को भी जेल न जाना पड़े और उसका रुपया बट्टे खाते डाल दिया जाये ।

मैं आशा करता हूं कि मेरे इन दो तीन सुझावों पर विचार किया जायेगा ।

श्री द्वारका दास मंत्री (भीर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारे यहां ८० परसेंट लोग ऐसे हैं जो खेती पर निर्भर करते हैं । देखने में आया है कि इन पिछले पंद्रह सालों में बाहर से अनाज मंगाने पर हमने करोड़ों रुपया खर्च किया है और अर्थ शास्त्र के अनुसार अगर यही रुपया किसानों को उत्पादन वृद्धि के लिए दिया जाता तो हो सकता है कि हम काफी बड़ी मात्रा में फारेन एक्सचेंज की बचत कर लेते । देर से ही सही, मगर फिर भी अखिल भारतीय स्तर पर कारपोरेशन बनाने के बारे में यह जो बिल आया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिये और इसका समर्थन किया जाना चाहिये ।

तृतीय पंच वर्षीय योजना में भी अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी पैसा रखा गया है । लेकिन मैं समझता हूं कि जो उत्पादन बढ़ाने वाला है, उसकी जब तक ताकत न बढ़े, जब तक

---

†मूल अंग्रेजी में

उसकी जो आवश्यकतायें हैं, उनकी पूर्ति न हो, तब तक हमारा जो उद्देश्य है, उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है, जो हमारी मनोकामना है, वह पूरी नहीं हो सकती है। इस वास्ते खेती को सुधारने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, वे उस तक नहीं पहुंचाई जायेंगी तो न तो खेती में सुधार हो सकता है और न ही उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।

हमारे यहां जितना परसेंटेज लोगों का खेती में लगा हुआ है, उसका मुकाबला अगर आप अमरीका से करें तो आप को पता चलेगा कि वहां पर केवल १२ परसेंट लोग ही खेती करते और इतना होने पर भी वहां से हमें अनाज का बड़ी भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। इस वास्ते यह जरूरी है कि हम भी उत्पादन बढ़ायें और खेतीहर को आवश्यकताओं को पूरा करें। चूंकि आज तक हम ऐसा नहीं कर पाये हैं, इस वास्ते उत्पादन उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिये था।

मैं समझता हूं कि यह बिल अच्छे समय पर आ रहा है और इसका फायदा काश्तकार को, खेतीहर को, किसान को मिलेगा। इससे उसको अपने ैरों पर खड़े होने में मदद मिलेगी।

सेंट्रल कोओपरेटिव बैंक्स, लैंड मार्टगेज बैंक्स अपनी मर्यादा में रहते हुए आज तक काश्तकार को लोन देते रहे हैं, कर्ज़ देते रहे हैं। मगर पूरे तरीके से काश्तकार की जो जरूरतें हैं, उनको वे पूरा नहीं कर सके हैं। आपको इस काम में आगे आना चाहिये और किसान की जरूरियात को देखना चाहिये। इन जरूरियात में माइनर इरिगेशन की भी जरूरत पड़ती है। हर गांव में कुछ न कुछ नाले रहते हैं, छोटी मोटी नदियां रहती हैं। उन पर काश्तकार सोज़नल बांध बना देते हैं जोकि टैम्पोरेरी होते हैं। बरसात के साथ ही वे बह जाते हैं। इस तरह के छोटे मोटे बांध माइनर इरिगेशन के तौर पर जब बनाये जाते हैं तो कहीं पर तो गवर्नमैंट को बीस परसेंट, कहीं पर तीस परसेंट और कहीं पर चालीस परसेंट गांव वालों को बतौर मैचिंग कांट्रीब्यूशन के देना पड़ता है। उनमें इतना देने की ताकत नहीं होती हैं। सोसाइटीज़ के रूल्ज़ में भी मैचिंग कांट्रीब्यूशन देने का प्राविज़न नहीं होता है। इस बिल के लाने के बाद मैं समझता हूं कि उनको इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी और मैचिंग कांट्रीब्यूशन के जो छोटे मो प्रश्न हैं, वे इस पैसे के उपयोग से पूरे हो सकेंगे।

अब तक देखा गया है कि लोन की जो मर्यादा रिज़र्व बैंक या सेंट्रल बैंक्स की तरफ से लगाई जाती रही है वह बहुत कम लगाई जाती रही है। अब इसके बाद जो उनकी आवश्यकतायें होंगी, वे पूरी हो सकेंगी, ऐसी आशा की जानी चाहिये। यह भी आशा की जानी चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को पैसा देने में कामयाबी हासिल हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ यह जो लांग टर्म लोन देने के लिये बिल आया है, मिडल टर्म लोन देने के बारे में बिल आया है, इसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा।

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : उपाध्यक्ष महोदय, यह आकस्मिक बात है कि अपने सहयोगी के अस्वस्थ होने के कारण मुझे इस विधेयक का संचालन करना पड़ रहा है। इसलिये, मुझे खेद है कि गत अधिवेशन में जब इस पर चर्चा हो रही थी, मैं अनुपस्थित था, परन्तु मैंने वाद-विवाद का अध्ययन किया है, अतः उठाये गये प्रश्नों को समझने की चेष्टा की है। मैं यथा सम्भव प्रयत्न करूंगा कि उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दूं।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

वाद-विवाद को देखते हुए मुझे मालूम हुआ कि चार, पांच आधारों पर इस विधेयक की आलोचना की गई है। मैं उन्हें एक एक करके लूंगा। आरम्भ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि अधिकतर आलोचना विधेयक के उपबन्धों को ठीक प्रकार न समझ पाने तथा उनके अनिर्वचन के कारण हुई। आलोचना इस प्रकार हुई कि यह निगम विद्यमान निकायों के कार्यों का अतिछादन करेगा, अतः इसलिये यह आवश्यक नहीं है; दूसरे, कि इन कार्यों का भार भारतीय रक्षित बैंक द्वारा उठाना जाना चाहिये और इन के लिये एक स्वतंत्र निगम की आवश्यकता नहीं है; तीसरे, बेशक यह निगम स्थापित किया जा रहा है परन्तु ऋतु सम्बन्धी क्रियाओं के लिये वित उपलब्ध करने के लिये कृषि ऋण, विशेषतया अल्पकालीन ऋण, की मात्रा को बढ़ाना चाहिये, जिस के लिये कि निगम के पास संसाधन नहीं होंगे; अतः इस सम्बन्ध में यह निगम भी अधिक सहायक सिद्ध नहीं होगा क्योंकि इसकी ऋण-क्षमता सीमित रहेगी और अन्त में, कि इस निगम को पुनर्वित्त निगम होने के बजाय एक विकास बैंक हो जो कि यदि सीधे किसान को नहीं तो सीधे प्राथमिक संस्थाओं की सहायता करे।

यदि आप इन आलोचनात्मक बातों की ओर देखें तो प्रतीत होगा कि एक बात दूसरी बात की विरोधी है क्योंकि इन पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। पहली बात के विषय में, कि यह निगम विद्यमान निकायों के कार्यों का अतिछादन करेगा, मुझे यह कहना है कि यदि हम विभिन्न कार्य करने वाली सहकारी संस्थाओं को पूर्ण विस्तार से देखें तो यह आलोचना उचित प्रतीत नहीं होगी। सहकारी क्रिया में ही अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन ऋण तथा दीर्घकालीन ऋण में विभेद किया गया है। जो विशेष निकाय अब तक स्थापित किये गये हैं उन के कृत्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और उन के कृत्यों तथा उतरदायित्वों का स्पष्ट सीमांकन किया गया है। उदाहरणतः रक्षित बैंक की दीर्घकालीन क्रियाओं सम्बन्धी निधि का प्रयोग ऋण संस्थाओं को, विभिन्न स्तरों पर, उन की अंश पूंजी को बढ़ा कर, पुनर्जीवित करने के लिये किया गया है। उदाहरणतः, लगभग ३३ करोड़ रुपये की इस निधि में लगाई गई पूंजी में से, लगभग २३ करोड़ रुपये सहकारी संस्थाओं की अंश पूंजी के रूप में हैं, और शेष सामान्यतया भूमि विकास के लिये वित्त उपलब्ध करने के लिये ५ वर्ष तक मध्यमकालीन ऋण का उपबन्ध करने के लिये है।

एक अन्य संस्था सहकारी विकास बोर्ड है जिसका उत्तरदायित्व विपणन संस्थाओं की उन्नति करना है। एक भांडागार निगम है जो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के नेतृत्व में भांडागारों की स्थापन का उपबन्ध करता है। इसी तरह विभिन्न निगम अथवा संस्थायें हैं जो ग्राम वित्त के विभिन्न पहलुओं के साथ व्यवहार करते हैं। भारत जैसे देश में, उद्योग के संबंध में, जिस से काफी राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, स्थापित संस्थाओं की संख्या कोई बड़ी नहीं है। इस लिये, इस आधार पर एक और संस्था स्थापित करने का विरोध करना, जो संस्था की ग्राम वित्त की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी के समान होगी, अनुचित है। यदि इस बात पर किसी माननीय सदस्य को शंका हो तो वह अन्य देशों, जैसे कनाडा, अमरीका, अथवा आस्ट्रेलिया के अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।

वहां अन्य अर्थ व्यवस्थाओं के साथ ही ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का भी काफ़ी मात्रा में विकास किया गया है। यदि कोई वहां की संस्थाओं की संख्या, या ऋण देने के ढंगों अथवा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न कार्यक्षेत्रों को देखे तो प्रतीत होगा कि उनकी संख्या बहुत बड़ी है। इस-लिये यदि हमने दीर्घकालीन कार्यों को करने वाले और दीर्घकालीन ग्रामीण ऋणों की आवश्यकता

की पूर्ति करने वाले इस नये निगम का सुझाव रखा है तो इस विधेयक पर उस आधार पर आपति उठाना युक्ति संगत नहीं है।

एक प्रश्न रखा गया था कि यदि कुछ ऐसी विशेजित आवश्यकतायें हों भी कि जिनके लिये एक नई संस्था की आवश्यकता हो, तो इन नई अतिरिक्त जिम्मेदारियों का कार्यभार रक्षित बैंक को सौंप दिया जाना चाहिये था। इस प्रश्न के उठाये जाने के पश्चात् कुछ माननीय सदस्य पूछते हैं—कुछ ने आज भी पूछा था—कि यह कार्य रक्षित बैंक को क्यों नहीं सौंप दिया जाता जो पहले ही दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता को पूरा कर रही है और एक नये निगम की स्थापना की क्या आवश्यकता है? मेरा विचार है कि इस प्रश्न को भी गलत ढंग से समझा गया है। मैं इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में तथ्यों को उचित प्रकार से नहीं समझा गया।

यह सच है कि रक्षित बैंक ने ग्रामीण ऋण के विकास में अग्रिम कार्य किया है और इसने प्रचुर कार्य सम्पन्न किया है। यह भी सच है कि ग्रामीण ऋण की वृद्धि में इसका योगदान महत्वपूर्ण है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दीर्घकालीन कार्य निधि से ३७.१४ करोड़—न कि ३३ करोड़ जैसा कि मैंने पहले कहा था—रुपये विभिन्न तरीकों से दिये गये हैं। रक्षित बैंक ने दीर्घ-कालीन कार्य निधि से ३७.१४ करोड़ रुपये की उक्त राशि देने के अतिरिक्त मौसमी ऋणों के रूप में विभिन्न सहकारी बैंकों को १३१ करोड़ रुपया देने की भी व्यवस्था की है जो कि अभी वापिस लेना शेष है। किन्तु फिर भी रक्षित बैंक एक बैंक है और इसे बैंक के कार्य सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करना होता है। इसी कारण से यह अपने लाभ में से प्रति वर्ष एक निधि की स्थापना करती है जिसे दीर्घकालीन कार्य निधि कहते हैं, क्योंकि अधिनियम या बैंकों के सिद्धान्तों के अनुसार अल्पकालीन आधार पर निक्षेप ले कर अथवा अल्पकालीन आधार पर निधि को स्थापित कर दीर्घकालीन आधार पर धन उधार नहीं दे सकती। यह ऐसा नहीं कर सकती और इसीलिये एक विशेष निधि की स्थापना की गई है। चूंकि यह एक केन्द्रीय और सरकारी बैंक है और इसे सरकार और जनता की सहायता प्राप्त है यह उतनी बड़ी निधि स्थापित कर सकती है। किन्तु इसको और विकसित करने के लिये यह उसमें अधिक धन देते रहने का कार्य नहीं कर सकती। इसी कारण एक विशेष निगम की आवश्यकता है। इसलिये रक्षित बैंक की सहायता को बढ़ाने की क्षमता, चाहे परिमाण में हो अथवा दिशा में, अधिनियम और बैंक के कार्य सम्बन्धी सिद्धान्तों के कारण ही सीमित है और चूंकि बढ़ती हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये इस दीर्घ कालीन कार्य निधि को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिये एक पृथक निगम की आवश्यकता है। यह अनुभव किया गया था कि इसकी आवश्यकता है और इसीलिये हमने यह प्रश्न सभा के सम्मुख रखा है। रक्षित बैंक का वास्तविक कार्य अल्पकालीन मौसमी ऋणों की व्यवस्था करना है, और जहां यह समुचित न हों वहां सावधि ऋणों की व्यवस्था करना है। वह सामान्य निधि से इन ऋणों की व्यवस्था नहीं कर सकती इसलिये इसे दीर्घकालीन कार्य निधि से रुपया निकालना पड़ता है।

तीसरा प्रश्न यह था कि इस निगम के लिये संसाधन समुचित नहीं हैं। यह कहा गया था कि इसकी प्राधिकृत पूंजी २५ करोड़ रुपये और निर्गमित पूंजी ५ करोड़ रुपये है और यदि हम ऐसे निगम की स्थापना कर भी दें तो भी यह दीर्घकालीन ग्रामीण वित्त की आव-श्यकताओं अथवा मांगों को पूरा नहीं कर सकेगी। इस प्रश्न को भी ठीक प्रकार से नहीं समझा गया। ऐसा उपबन्ध किया गया है कि निगम पूंजी से बीस गुना तक उधार ले

सकता है और प्राधिकृत पूंजी का बीस गुना ५०० करोड़ रुपया और निर्गमित पूंजी का बीस गुना १०० करोड़ रुपया होता है। यह सच है कि निगम को आरम्भ में ५०० करोड़ रुपये अथवा १०० करोड़ रुपये की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि शनैः शनैः इसका विकास किया जायगा। यह मांगों की पूर्ति के लिये बाजार से रुपया उधार लेगी। यह १०० करोड़ पये तक उधार ले सकेगी। और पूंजी के बढ़ा दिये जाने पर जैसे निर्गमित पूंजी के १० करोड़ रुपये तक बढ़ा दिये जाने पर निधि २०० करोड़ रुपये तक एकत्रित की जा सकती है और उसी प्रकार पूंजी के २५ करोड़ रुपये तक बढ़ा दिये जाने पर यह ५०० करोड़ रुपये तक की निधि एकत्रित कर सकती है। यह अनुमान किया गया है कि तृतीय योजना काल में ग्रामीण ऋण की अल्प कालीन आवश्यकतायें ४२० करोड़ रुपये तक होंगी। यह गणना की गई है कि सावधि ऋण के लिये २६० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसमें से ११० करोड़ रुपये मध्यमकालीन और १५० करोड़ रुपये दीर्घ-कालीन ऋण के लिये होंगे। तृतीय योजना काल के लिये इतने रुपयों की आवश्यकता होने का अनुमान है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक में उधार द्वारा अंश पूंजी को २० गुने तक बढ़ाने का जो उपबन्ध रखा गया है उससे दीर्घकालीन और मध्यमकालीन ग्रामीण ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जायगी। उस दृष्टिकोण से यह कहना कि संसाधन समुचित नहीं है गलत है। अंतिम आलोचना यह थी कि निगम को पुनर्वित निगम न हो कर प्रत्यक्ष रूप से कार्य करना चाहिये। यह कहा गया था कि इसे विकास निगम के रूप में कार्य करना चाहिये और इसे साधे किसानों से अथवा प्राथमिक संस्थाओं के साथ लेन-देन करना चाहिये। जो समस्या की गहराई और अनेकरूपता को समझते हैं वह यह अनुभव करेंगे कि मात्र व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह कितना ही वांछनीय क्यों न हो किन्तु किसी निगम के लिये यह बात सम्भव नहीं है कि वह सारे देश में अपनी सैंकड़ों शाखायें खोले और उनके द्वारा ऐसे किसानों को और संस्थाओं को रुपया उधार दे जिनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं। इसलिये यह व्यवहार्य प्रस्थापना नहीं है। इसे करने का अधिक अच्छा और मितव्ययितापूर्ण तरीका यह है कि यह पुनर्वित निगम के रूप में कार्य करे और राज्यों के शीर्ष बैंकों और भूमि बन्धक रखने वाले बैंकों के साथ लेन देन करे। माननीय सदस्या ने यह निर्देश किया था कि हमने इस पुनर्वित निगम की स्थापना उद्योगों के लिये की है जिसमें रक्षित बैंक और प्रधान अनुसूचित बैंक भी सदस्य हैं। उन्होंने सब ने योगदान दिया है और यह कार्य ठीक प्रकार से किया जा रहा है। यदि हम ग्रामीण ऋण पद्धति को देखें,—जिसमें एक ओर शीर्ष बैंक और भूमि बन्धक रखने वाले बैंक, और इससे नीचे प्राथमिक सहकारी संस्थायें और जिला सहकारी बैंक हैं—तो प्रतीत होगा कि यह नई कड़ी सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को मजबूत कर देगी। इसलिये यह एक अधिक अच्छा और मितव्ययिता पूर्ण मार्ग है। यह दीर्घकालीन स्वरूप के उन्नति और विकास के कार्यों के लिये किसानों को दीर्घकालीन ऋण सहायता देने का अधिक व्यवहारिक मार्ग है।

व्यक्तिगत कारणों के सम्बन्ध में कुछ और प्रश्न उठाये गये हैं। खंडवार चर्चा करते समय हमें उनके विषय में विचार करने का अवसर मिलेगा। किन्तु, श्रीमान, यह निगम कृषि को सहायता देने के लिये है। यह नहीं भूल जाना चाहिये कि यह एक वित्तीय संस्था भी है। यह रक्षित बैंक, और राज्य बैंक जिनके मुख्य कार्यालय बम्बई में हैं, के निकट सम्पर्क में कार्य कर रहे हैं। यहां एक यह भी प्रश्न रखा गया था कि यह कार्यालय बंबई में नहीं अपितु दिल्ली में होना चाहिये क्योंकि सारे कार्यालयों को बम्बई में केन्द्रित नहीं किया जाना चाहिये।

यह प्रश्न उचित है। किंतु इस कार्यालय के बम्बई में रखे जाने का एक युक्तियुक्त कारण है। यह संस्था रक्षित बैंक और राज्य बैंक के निकट सहयोग से कार्य करेगी जिनके कार्यालय बम्बई में हैं। वास्तव में यह रक्षित बैंक के कार्यालय के यथासम्भव निकट होना चाहिये। इसे दिल्ली अथवा किसी अन्य स्थान पर ले जाने का प्रयास निगम के कार्य में बहुत अधिक रुकावटें उत्पन्न कर देगा। विशेषतया आरम्भ के वर्षों में जब कि इसे प्रत्यक्ष रूप से रक्षित बैंक के पथप्रदर्शन और पर्यवेक्षण में कार्य करना है।

इसके पश्चात रक्षित बैंक द्वारा निदेशक बोर्ड का नाम निर्देशन किये जाने के विरुद्ध भी एक प्रश्न इस आधार पर उठाया गया था कि यह प्रधान मंत्री के इस निदेश के विरुद्ध है कि ग्रामीण संस्थाओं को अशासकीय रखा जाये। प्रधान मंत्री ने यह महत्वपूर्ण भाषण सहकारी संस्थाओं के सम्मेलन में दिया था और वह इन संस्थाओं द्वारा दीर्घकालीन कार्यों के लिये बड़ी मात्रा में दी जाने वाली अंश पूंजी पर आपत्ति उठा रहे थे जिसका एक बड़ा भाग प्राथमिक सहकारी संस्थाओं की अंश पूंजी में चला गया था। प्रधान मंत्री चाहते थे कि जनता के सहयोग और उत्साह से एक राष्ट्रीय आन्दोलन को जन्म दिया जाये जो रक्षित बैंक द्वारा अनुपूरित हो न कि रक्षित बैंक द्वारा उसका मूलोच्छोदन कर दिया जाये। उनका कथन प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के संबंध में था। इस प्रकार का निगम रक्षित बैंक द्वारा मजबूत बनाया जायेगा। इसलिये यह सादृश्यता उचित नहीं है क्योंकि इसे रक्षित बैंक के निदेशों के अनुसार और उसके पर्यवेक्षण में कार्य करना है। रक्षित बैंक इसकी अंश पूंजी के एक बहुत बड़े भाग की, ५० प्रतिशत की व्यवस्था करेगी। इसलिये निदेशक बोर्ड और दूसरे अन्य व्यक्तियों का नाम नि शन रक्षित बैंक ही करेगा। इसलिये यह कहा जाना कि इसका प्रशासकीयकरण प्रधान मंत्री के निदेशों के विपरीत है उचित नहीं क्योंकि वह निदेश प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के संबंध में था।

फिर एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि जितना ध्यान औद्योगिक विकास की ओर दिया जा रहा है उससे अधिक कृषि के विकास की ओर दिया जाना चाहिये। मेरा विचार है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये वित्त की व्यवस्था करने का यह कार्य उस दिशा में एक कदम है। अब तक हम मौसमी और अल्पकालीन कार्यों के लिये पर्याप्त वित्त की व्यवस्था करते रहे हैं। दीर्घकालीन कार्य जैसे सिंचाई परियोजना, के लिये धन की बहुत आवश्यकता है। उदाहरणार्थ लाखों एकड़ भूमि को कृषि के योग्य बनाना है। सिंचाई परियोजना में यदि कोई ऐसी योजनायें हैं, चाहे वह नागार्जुन सागर क्षेत्र में हों अथवा माननद क्षेत्र में अथवा किसी अन्य ग्रामीण क्षेत्र में, कि भूमि के बड़े भाग का विकास करके उसे कृषि कार्य के योग्य बना दिया जाये, तो यह निगम उसके लिये धन की व्यवस्था करेगी। किन्तु शर्त यह है कि योजना ठीक प्रकार से बनाई गई हो, ठीक प्रकार इसका प्रशासन किया जाये और यह आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य हो। ग्रामीण क्षेत्र में इस आवश्यक खांचे को भरने के लिये ही इस निगम की स्थापना करने का निश्चय किया गया है। मैं समझता हूं कि यह इस बात को सिद्ध कर देता है कि कृषि के विकास पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिये जितना औद्योगिक विकास पर। प्रत्येक राष्ट्र की औद्योगिक क्रान्ति के विषय में हमारा यह अनुभव है, चाहे वह क्रान्ति १८वीं शताब्दी में हो, चाहे १९वीं अथवा २०वीं में, कि कृषि का विकास देश के अनुवर्ती औद्योगिक विकास के लिये एक दृढ़ आधार की स्थापना कर देता है। इसलिये कृषि के विकास को प्रमुख रूप से महत्व देना है। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है :—

"कि कृषि के विकास के लिये पुनर्वित के रूप में अथवा अन्यथा मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देने के लिये एक निगम की स्थापना और तत्संबंधी अथवा आनुषंगक अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले बिल पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। संशोधन संख्या ३ सरकारी संशोधन है। यह संशोधन प्रस्तुत हुआ समझा जायेगा। संशोधन संख्या १० संशोधन संख्या ३ से अवरुद्ध है। क्या श्री दे० शि० पाटिल खण्ड २ के सम्बन्ध में अपने दूसरे संशोधन को प्रस्तुत कर रहे हैं?

†**श्री दे० शि० पाटिल** (यवतमाल): मैं अपनी संशोधन संख्या १२, १३, १४ १५, और १६ प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

†**श्री मलाइछामी** (पेरियाकुलम): मैं अपनी संशोधन संख्या ३२ प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

†**श्री दे० शि० पाटिल**: मैं नये खण्ड २ के सम्बन्ध में अपना संशोधन संख्या ३१ प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: वह गत सत्र में परिचालित सूची से पढ़ रहे हैं जो कि अब मान्य नहीं है।

†**श्री ब० रा० भगत**: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ १, पंक्ति १२,—

"poultry farming and stock breeding"

("मुर्गी पालन और पशु धन प्रजनन") शब्दों के स्थान पर "and poultry farming;" ("और मुर्गी पालन";) शब्द रख दिये जायें।

†**श्री दे० शि० पाटिल**: मैं अपने संशोधन संख्या १२, १३, १४, १५ और १६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री मलाइछामी**: मैं अपना संशोधन संख्या ३२ प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमान्, विधेयक का उद्देश्य दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करना बताया गया है। मैं अपनी संशोधन संख्या २ के द्वारा इस में कृषि के नीचे औद्यानिकी, कॉफी और इलायची की बागवानी रखे जाने का प्रस्ताव करता हूं; क्योंकि इन के लिये भी दीर्घकालीन और बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। वर्तमान वित्तीय संस्थायें इनके लिये इस प्रकार के दीर्घकालीन और बड़ी मात्रा में ऋण की व्यवस्था नहीं करतीं।

कॉफी और इलायची की बागवानी पहाड़ी प्रदेश में २५०० फुट से ५००० फुट तक की ऊंचाई पर की जाती है जहां परिवहन की सुविधा नहीं होती। इसलिये कृषकों को औजार और दूसरी

---

†मूल अंग्रेजी में

आवश्यक सामग्री सिर पर रख कर ले जाना पड़ता है। उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । पहाड़ी प्रदेश होने के कारण भूमि के कटाव का भी अंदेशा है। अनावृष्टि भी कभी कभी इन उद्योगों पर बुरा प्रभाव डालती है। भारी बाढ़ के फलस्वरुप भूमि का कटाव होने पर और एक या दो वर्ष तक फसल अच्छी न होने की अवस्था में इन रोपणियों की वित्त-व्यवस्था करने वाले वर्तमान साधन अपर्याप्त हैं। इन रोपणियों ऐसे उपज ५ अथवा ७ वर्षों में होती है और २० वर्ष तक की अवधि के लिये रुपया उधार देने वाली सहकारी संस्थायें बहुत कम मात्रा में इन रोपणियों को रुपया उधार देती हैं। भूमि बंधक रखने वाले बैंकों ने कृषि कार्यों के लिये दिये जाने वाले उधारों की अधिकतम सीमा १०,००० रुपये रखी है । किन्तु इन रोपणियों के कार्य के लिये यह राशि पर्याप्त नहीं है ।

कृषि पुनर्वित निगम का ध्येय यह है कि उन परियोजनाओं की सहायता करे जिनकी सहायता शीर्ष बैंक इत्यादि वर्तमान व्यवस्थायें इसलिये नहीं कर सकती उन के लिये अधिक राशि की आवश्यकता है अथवा रुपये की आवश्यकता दीर्घकाल के लिये होती है । इन रोपणियों के सम्मुख यह दोनों कठिनाइयां हैं। मेरा संशोधन स्वीकार किये जाने से इन रोपणियों को काफ़ी सहायता मिलेगी । किन्तु यदि उसे स्वीकार नहीं किया जाता तो सभा को यह बता दिया जायं कि इन रोपणियों के लिये आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करने का और कौन सा साधन है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : डा० देशमुख का संशोधन नहीं है।

†**डा० पं० शां० देशमुख** (अमरावती) : आप मुझे श्री शिवाजी राव देशमुख का संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा दें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह अनुपस्थित हैं इसलिये में उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दे सकता । डा० देशमुख का संशोधन व्यपगत हो गया है। इसलिये वह खंड पर बोल सकते हैं।

†**डा० पं० शां० देशमुख** : सरकार ने "कृषि" शब्द की परिभाषा करते समय पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन को कृषि के अन्तर्गत बतलाया है । पशुधन-प्रजनन को भी उन्होंने . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शूकर पालन पशुधन प्रजनन के अन्तर्गत ही आ जाता है ।

†**डा० पं० शां० देशमुख** : यदि यह उसके अन्तर्गत आता है . . .

†**श्री ब० रा० भगत** : शूकर पालन और उसका विकास पशु पालन के अन्तर्गत आ जाता है ।

डा० पं० शां० देशमुख : फिर मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देता ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उसके सम्बन्ध में एक सरकारी संशोधन है ।

†**डा० पं० शां० देशमुख** : किंतु परिष्करण, विपणन और कृषि-उद्योगों के संबंध में क्या किया गया है ? यह कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है । बहुत सी समस्यायें इस कारण पैदा होती हैं कि किसान अपने उत्पाद का परिष्करण स्वयं नहीं करते । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि "परिष्करण", "विपणन" और 'कृषि उद्योगों का विकास' भी उस में जोड़ दिया जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० रा० भगत: मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने यह स्वीकार कर लिया है कि शूकर पालन पशुपालन में सम्मिलित है। जहां तक परिष्करण और कृषि-उद्योगों का प्रश्न है यह इस विधेयक के लिए विषय के अंतर्गत नहीं आता; क्योंकि जैसा मैंने समझाया था परिष्करण के लिये औद्योगिक सहकारी संस्थाओं और कारखानों की स्थापना करनी पड़ेगी। इसी प्रकार कृषि उद्योगों का संबंध औद्योगिक सहकारी संहस्थाओं से है।

†डा० पं० शां० देशमुख : दुग्ध पालन में भी तो मशीनरी की आवश्यकता होती है।

†श्री ब० रा० भगत : हां। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्राललय ने एक कार्यकारी दल बनाया है जिसने औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में सिफारिशें दी हैं। इन में से बहुत से प्रश्नों पर फिर विचार किया गया था और फिर उन्होंने सिफारिशें की थीं। सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। औद्योगिक सहकारी संस्थाओं का एक निदेशक है जिसका कर्तव्य उन बहुत से विषयों की वृद्धि में प्रगति करना है जो माननीय सदस्य के मन में हैं। इसलिये इस बात से सहमत होते हु भी कि इन चीजों का विकास आवश्यक और वांछनीय है। मेरी युक्ति यह है कि यह विधेयक के अन्तर्गत नहीं आती; चाहे वह कृषि उद्योग हो अथवा परिष्करण और विपणन। यह औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के अन्तर्गत आते हैं। जिन के विषय में कार्यकारी दल ने सिफारिशें की हैं। इस पर कार्यवाही की जा रही है।

†उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या ३२ के संबंध में क्या करना है।

†डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : क्या उसमें विपणन भी सम्मिलित है?

†श्री ब० रा० भगत : कॉफी रोपण उद्योग और दूसरे विषय विशेष बागान अधिनियम के अन्तर्गत आ जाते हैं। उनकी सहायत्ता पृथकतः की जा रही है।

†उपाध्यक्ष महोदय : आपकी सहयोगी ने अपने भाषण में इनका उल्लेख किया था और कहा था कि यह अधिनियम कॉफी के विकास, चाय और इलाइची बागान पर भी लागू होती है।

†डा० पं० शां० देशमुख : इसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

†श्री ब० रा० भगत : मैं यह कह रहा था था . . .

†उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने विशेष रूप से इनका उल्लेख किया था।

†श्री ब० रा० भगत : मुझे खेद है कि मेरे पास भाषण की प्रतिलिपि नहीं है। किन्तु जहां तक यह उन पर लागू होता है, हम इसे स्वीकार करते हैं।

†उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे स्वीकार करते हैं।

†श्री ब० रा० भगत : संशोधन नहीं, बागानों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं पहले सरकारी संशोधन संख्या ३ सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति १२,—

"poultry farming and stock breeding" ["मुर्गी पालन और पशुधन प्रजनन"] शब्दों के स्थान पर "and poultry farming"; [" और मुर्गी पालन";] शब्द रख दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री बे० शि० पाटिल** : : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। संशोधन संख्या ३ के प्रस्तावक सभा से अनुपस्थित हैं; इसलिये संशोधन दूसरे माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

†**श्री ब० रा० भगत** : यह एक सरकारी संशोधन है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सरकार एक और अविभाज्य है। उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का है। इसलिये समें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है। क्या वह अपने किसी संशोधन पर आग्रह करना चाहते हैं ?

†**श्री बे० शि० पाटिल** : हां, श्रीमान्। मैं संशोधन संख्या १३, १४ और १५ पर आग्रह करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या श्री मलाइस्वामी अपने संशोधन पर आग्रह करना चाहते हैं ?

†**श्री मलाइस्वामी** : हां, श्रीमान।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं उन सबको (संख्या १२, १३, १४, १५, १६ और ३२ एक साथ ी सभा के सम्मुख मतदान के लिये रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १२ से १६ और ३२ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३—(कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना तथा निगमन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री शिवाजी राव देशमुख की संशोधन संख्या १७ है। वह यहां नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।"

"खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।"

खंड ५—(अंशपूंजी और अंशधारी)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री दे० शि० पाटिल की सशोधन संख्या १९ और २०, श्री मलाइछामी की संख्या ३३ और श्री शिवाजी राव देशमुख की संख्या २१ और २२ ह । श्री शिवाजी राव देशमुख यहां नहीं हैं । क्या दूसरे सदस्य अपने संशोधनों को प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

†**श्री दे० शि० पाटिल** : हां, श्रीमान, मैं अपनी संशोधन संख्या १९ और २० प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तब श्री मलाइछामी का संशो न संख्या ३३ अवरुद्ध हो जाता है।

†**श्री दे०शि० पाटिल** : उपाध्यक्ष महोदय, सब क्लाज ५ जो है वह शेयर कैपिटल और शेयर होल्डर्ज के बारे में है। यह एक ब ुत महत्वपूर्ण एमेंडमेंट है। एलिजिबल इंस्टीटयूशन की जो डेफी-नीशन दी हुई है वह इस प्रकार है :—

(२) एक सहकारी संस्था (केन्‍ ीय भूमि बंधक बैंक या राज्य सहकारी बैंक से भिन्न) जो इस संबंध में रक्षित बैंक द्वारा अनुमोदित है ;

इसी तरह से क्लाज २२ जो है जो कि फंकशंज आफ दी कारपोरेशन, ड्यूटीज आफ ी कार-पोरेशन के बारे में है उसमें लिखा हुआ है :—

"निगम ऐसी वित्तीय सहायता पात्र सस्थाओं को देगी जिसे वह भारत में कृषि के विकास की प्रगति के लिये आवश्यक समझे और—"

अब एलिजिबल ंस ीट्यूशन्ज में कोआप्रेटिव सोसाइ ीज एप्रूव्ड बाई ी रिजर्व बैंक आती है। जब कोआप्रेटिव सोसाइटीज को एलिजिबल इंस्टीट्यूशंज में रखा गया है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि क्यों उनको शेयर खरीदने से रोका गया है। जब उसको रिजर्व बैंक मान्यता देता है और जो कोआप्रेटिव सोसाइटी देहात की है, वह शेयर खरीदना चाहती है, कारपोरेशन के शेयर लेना चाहती है, तो उसको इसकी इजाजत क्यों नहीं दी जाती है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। इस कारपोरेशन बिल में कोआप्रेटिव सोसाइटीज एप्रूव्ड बाई ी रिजर्व बैंक को एलिजिबल इंस्टीट्यूशन माना गया है, यानी लोन और एडवांस लेने के लिये उसको मान्यता दी गई है। ऐसी हालत में शेयर लेने से उसको क्यों बन्द किया गया है, यह समझ में नहीं आता है। शेयर खरीदने की उनको इजाजत होनी चाहिये, यही मेरा इस संबंध में कहना है। यह सीधी सादी सी बात है और मैं आशा करता हूं कि मान ीय मंत्री जी सको मान लेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं अपने माननीय मित्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। प्रत्येक सहकारी संस्था को अंश खरीदने का अधिकार होना चाहिये। इसी प्रकार किसानों की संस्थाओं को भी अंश खरीदने का अधिकार होना चाहिये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

†**श्री ब० रा० भगत** : कौन से अंश ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : निगम के अंश।

†**डा० मा० श्री० अणे** : श्री दे० शि० पाटिल द्वारा प्रस्तुत संशोधन का मैं भी समर्थन करता हूं।

†**श्री ब० रा० भगत** : जैसी कि मैंने पहले व्याख्या की थी उन प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से सहायता देने से, जो इस निगम की अंशधारी हो जायें, पुनर्वित्त की योजना के सिद्धांत में बाधा पहुंचेगी। और यह अव्यवहार्य भी होगा क्योंकि यह वर्तमान की अवहेलना करता है। अभी या तो दो स्तर वाली या तीन स्तर वाली प्रणाली हैं। या तो रक्षित बैंक के दीर्घकालीन कार्य शीर्ष बैंकों द्वारा होते हैं अथवा प्राथमिक संस्थाओं द्वारा।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यदि शीर्ष बैंकों को अनुमति दी जाती है तो प्राथमिक संस्थाओं को क्यों नहीं दी जाती ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इसका अर्थ यह होगा कि निगम जो केन्द्रित संस्था होगी सीधे— प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के साथ लेन-देन करे। इससे विकट प्रशासनीय समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

†**श्री पं० शा० देशमुख** : अंश खरीदने का यह अर्थ नहीं है कि वह इनके साथ लेन देन करे।

†**श्री ब० रा० भगत** : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि कोई भी संस्था जो अंश खरीदे उसे उधार लेने का हक हो.....

†**डा० पं० शा० देशमुख** : बिल्कुल नहीं। केवल उन्हें अंश खरीदने का अधिकार हो।

†**श्री ब० रा० भगत** : वह सक्षमकारी शक्तियों के अधीन लिया जायेगा। हम इस विषय पर विचार करेंगे। यदि रक्षित बैंक ऐसी संस्था का अनुमोदन करे तो ऐसी शक्ति वहां है। इस पर रक्षित बैंक विचार करेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री दे० शि० पाटिल क्या मैं संशोधनों को मतदान के लिये रखूं ?

†**श्री दे० शि० पाटिल** : मेरे संशोधनों का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह आग्रह नहीं करते ?

†**श्री ब० रा० भगत** : स्वीकार कर लिया ? उन्होंने कुछ और कहा था।

संशोधन संख्या १९ और २० सभा की अनुमति से वापिस ले लिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६ से ९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १०—(निदेशक बोर्ड)

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड १० : कई संशोधन प्रस्तुत करने हैं, २३, २४, २५ ?

†**श्री दे० शि० पाटिल** : एक संशोधन है : २४, २३, २५ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या २४ उनका नहीं है ।

†**श्री दे० शि० पाटिल** : संशोधन संख्या २५ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशो न संख्या २५ उनका है । क्या संख्या २३ भी उनका है ?

†**श्री दे० शि० पाटिल** : नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल संशोधन संख्या २५ प्रस्तुत किया जाय ।

†**श्री दे० शि० पाटिल** : मैं अपना संशोधन संख्या २५ प्रस्तुत करता हूं :

अध्यक्ष महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि आप यहां उपस्थित हैं । पेज २ जो इस बिल का है उसमें कोग्रोप्रेटिव सोसाइ ी की डेफी ीशन इस प्रकार ी गई है :—

"(२) एक सहकारी संस्था (केन्द्रीय भूमिबंधक बैंक या राज्य सहकारी बैंक से भिन्न) जो इस संबंध में रक्षित बैंक द्वारा अनुमोदित है ;"

२२ नम्बर जो क्लाज इस बिल का है, उसमें कोग्रोप्रेटिव सोसाइ ीज को एलिजिबल इंस्टीट्यूशन माना गया है और एडवांसिस और लोंज देने का प्राविजन रखा गया है ।

किसी भी इंस ीट्यूशन में, किसी भी कोग्रोप्रेटिव सोसाइटी में ऐसे सभासद नहीं होते हैं जो शेयर होल्डर नहीं होते हैं । किसी भी नान-मैम्बर को आप लोन नहीं दे सकते हैं और न ही एडवांस दे सकते हैं । जब आप कोग्रोप्रेटिव सोसाइटी को लोन और एडवांस देने का प्राविजन करते हैं, तो मेरा कहना यह है कि उनको शेयर लेने की भी इजाजत मिलनी चाहिये । जब े शेयर लेगी तो अपना डायरेक्टर भी कारपोरेशन में चुन कर भेज सकेगी । देहाती सोसाइटीज होने की वजह से अगर उनको इसकी इजाजत नहीं दी जाती है तो यह खेद की बात है । मेरी प्रार्थना यह है कि उनका भी एक डायरेक्टर वहां रहे ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मेरे माननीय मित्र ने कहा कि जिस प्रकार सहकारी संस्थाओं को इस खंड द्वारा अनुमति दी गयी है, उसी प्रकार उन्हें भी दी जाये । माननीय मंत्री ने जो आश्वासन दिया था ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**श्री ब० रा० भगत** : मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया। मैंने यही कहा था कि रक्षित बैंक इस पर विचार करेगी।

†**डा० ं० शा० देशमुख** : मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री ऐसा आश्वासन दें।

यदि यह सहकारी समिति एक आर्थिक संस्था समझी जाती है तो अन्य ऐसी समितियों की ही तरह इसका भी एक निदेशक होना चाहिये। संशोधन में यही प्रस्ताव किया गया है और कृषकों के हित का ध्यान रखने वाले सभी सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

†**श्री ब० रा० भगत** : विधेयक की योजना के अनुसार हम इस बात का अनुमोदन नहीं करते कि निगम प्राथमिक सहकारी समितियों को सीधे ऋण दे किन्तु माननीय सदस्यों ने कहा है कि यदि रक्षित बैंक स्वीकार करे तो समिति को हिस्सेदार बनने दिया जाये। यह विषय प्रविधिक है इसलिये इस पर रक्षित बैंक विचार करेगा। मैंने वचन नहीं दिया किन्तु यदि बैंक मंजूरी दे दे तो ऐसी समितियां . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह आश्वासन दिया गया है कि रक्षित बैंक इस पर विचार करेगा। क्या श्री दे० शि० पाटिल अपना संशो न वापस लेंगे।

†**श्री दे० शि० पाटिल** : हां, श्रीमान।

संशोधन संख्या २५ सभा की अनुमति से वापस लिया गया

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १० विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ११ से १९ विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री दे० शि० पाटिल** : मैं खण्ड २० का संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २० और २१ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २० और २१ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड २२ (निगम द्वारा किया जाने वाला काम)

†**श्री दे० शि० पाटिल** : मैं अपना संशोधन संख्या २७ प्रस्तुत करता हूं।

मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि निगम केवल कृषि विकास के लिए ऋण दे सके।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** (रत्नगिरि) : मैं उप-खण्ड (च) के सम्बन्ध में यह कहना चाहती हूं कि उसमें "प्रासंगिक" और परिणामस्वरूप होने वाले कामों का भी उल्लेख किया गया है। यहां निश्चित शब्दावली होनी चाहिये ताकि कृषि से भिन्न कार्यों पर धन खर्च न हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० रा० भगत : विधेयक के उद्देश्य में यह स्पष्ट बताया गया है कि यह केवल कृषि प्रयोजनों के लिये है । इसलिये और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है । वास्तव में जब माननीय सदस्य ने कृषि सम्बन्धी वस्तुएं तैयार करने उनके विपणन और उद्योगों को इसमें शामिल करने के लिये कहा था तो मैंने यही कहा था कि ये कार्य विधेयक के अन्तर्गत नहीं आते । 'केवल' शब्द जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उद्देश्य स्पष्ट है ।

†श्री दे० शि० पाटिल : मैं संशोधन के लिये आग्रह नहीं करता ।

संशोधन संख्या २७ सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २३ से २६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या जिस सदस्य के नाम है, वे उपस्थित नहीं हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २७ से ४५ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २७ से ४५ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†अध्यक्ष महोदय : संशोधन २९ के प्रस्तावक भी उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४६ और ४७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४६ और ४७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी ।

दूसरी अनुसूची —(कतिपय उपबन्धों का संशोधन)

†अध्यक्ष महोदय : संशोधन ४ और ५ औपचारिक संशोधन हैं ।

संशोधन किये गये ।

(१) पृष्ठ २१ पंक्ति ३० में "1962" ["१९६२"] के स्थान पर "1963" ["१९६३"] रख दिया जाये (४)

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) पृष्ठ २२ पंक्ति १६ में "1962" ["१६६२"] के स्थान पर "1963" ["१६६३"] रख दिया जाये (५)

[श्री ब० रा० भगत]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दूसरी अनुसूची संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी ।

खंड १--(विधेयक का संक्षिप्त नाम सीमा और प्रारम्भ)

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ८ के प्रस्तावक उपस्थित नहीं ।

संशोधन किया गया

पृष्ठ १ पंक्ति ६ में "1962" ["१६६२"] के स्थान पर "1963" ["१६६३"] रख दिये जायें (२)

श्री ब० रा० भगत]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ १ पंक्ति १ "Thirteenth Year" ["तेरहवें वर्ष"] के स्थान पर "Fourteenth Year" ["चौदहवां वर्ष"] रखा जाये ।

[श्री ब० रा० भगत]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन के प्रस्तावक सदस्य उपस्थित नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रश्न यह है :

कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर में यह विधेयक पारित होने जा रहा है। यह एक बहुत ही अच्छा विधेयक है जिस से किसानों को फायदा होगा। लेकिन सरकार का इंटेशन अच्छा होना और किसी विधेयक को पारित करना ही काफी नहीं होता है। हम ने और बातों में देखा है कि उन को अमल में लाने में कितनी दिक्कत है। खास कर जो गरीब किसान हैं उन को पैसा लेने में बहुत तकलीफें उठानी पड़ती हैं। इस सदन में इन सब बातों की चर्चा हुई है लेकिन फिर भी जब यह विधेयक पारित होने जा रहा है तो मैं गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ पुनः आकर्षित करना चाहता हूं कि जो रुपया उन को देना है चाहे वह जिस तरह से भी देना हो, उन्हें देखना चाहिये कि किसानों को रुपया मिलने में कोई दिक्कत न हो और उन्हें बहुत अधिक दौड़ना न पड़े। क्योंकि हमारा अनुमान है कि दौड़ते दौड़ते किसानों को जितना पैसा मिलता है उस में अधिक अंश खर्च हो जाता है। यही कारण है कि गवर्नमेंट का पैसा बकाया पड़ जाता है। और बहुत अंशों में अदा नहीं होता है उसका कारण यह है कि जितना उनको पैसा मिलना चाहिये और जिस काम के लिये मिलना चाहिये, उसको हासिल करने के लिये किसानों को दौड़ने में, एप्रोच करने में और दूसरी बहुत सी फिजूल बातों में मसलन् सम्बन्धित लोगों को खुश करने में बहुत सा पैसा उनका खर्च हो जाता है। इसलिये इन सब बातों पर यदि ध्यान नहीं दिया जायेगा तो इस कानून का पारित होना किसानों के लिये इतना लाभदायक नहीं होगा जितना कि सरकार चाहती है ।

एक बात और है। जब दरख्वास्तें कर्ज के वास्ते दी जाती हैं तो उनकी जांच-पड़ताल में और उनको देखने भालने में इतना समय लग जाता है कि जिस समय उनको कर्जा मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है। इस पर भी ध्यान देना चाहिये। सरकार को अपने अफसरों को हिदायत करनी चाहिये कि जिस वक्त किसानों की दरख्वास्त आये, उसके एक या डेढ़ महीने के अन्दर उन्हें पैसा मिल जाना चाहिये। जिस काम के लिए पैसा चाहिए और जिस समय उन्हें पैसा चाहिए वह उन्हें मिल जाये। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : देश में कृषि सम्बन्धी ऋण की वार्षिक आवश्यकता ७५० करोड़ रुपये की है अतः हम सरकार के इस प्रयत्न का स्वागत करते हैं। किन्तु ऊपर के संगठनों और प्राथमिक ऋण संस्थाओं में समन्वय नहीं है। अतः कुछ राज्यों में देखा गया है कि ७५

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिशत ऋण कृषि से भिन्न कार्यों पर व्यय किया जाता है। अतः यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि उपर्युक्त समन्वय की स्थापना की जायेगी और धन कृषकों को ही दिया जायेगा।

श्री दे० शि० पाटिल : मुझे इस अवसर पर केवल एक, दो सुझाव देने हैं। पहला सुझाव यह है कि कारपोरेशन की नीति के अन्तर्गत यह पी० एल० ४८० फंड्स जो हैं उस में से कृषि के विकास के लिये करोड़ों रुपये जल्दी लेने की कोशिश करनी चाहिये।

दूसरी चीज़ यह है कि कृषि के विकास के लिये जो ऋण दिया जायेगा उस पर ध्यान रखना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि लैंड मोर्टगेज बैंक्स—लैंड मोर्टगेज के शब्द से ही उनका प्रोसीज्योर ऐसा बन गया है कि काश्तकार को ऋण ही नहीं मिलता है। जिसके पास ओनरशिप नहीं है, खेत नहीं हैं उनको कर्जा नहीं मिलता है। जिन टेनेंट्स पर कर्जा होता है उनको भी ऋण नहीं मिलता है। अब सही मायने में जो काश्तकारी करते हैं उनको अगर सरकारी प्रोत्साहन दिया जाय और कर्जा आदि मिले तो वह ज्यादा पैदा कर सकते हैं। इसलिये मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जो रूल्स हैं उनको रिलैक्स करने की कोशिश की जाय और कृषि के विकास के लिये कृषक को ज्यादा से ज्यादा ऋण कैसे मिले, इसको ध्यान रखने की कोशिश की जाय।

डा० पं० शा० देशमुख : प्रसन्नता की बात है कि रक्षित बैंक ने किसानों के अधिक ऋण देने की आवश्यकता को अनुभव किया है। जिन सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया था वह केवल इस कारण किया था कि ऋण के लिये कम निधि रखी गई थी। उनका विरोध सिद्धांत के प्रति नहीं था। माननीय उपमंत्री ने कहा है कि हिस्सा पूंजी का २० गुना ऋण लिया जा सकेगा। मुझे आशा है कि कृषकों को अधिकाधिक धन की सहायता देने के लिये हिस्सा पूंजी को शीघ्र ही बढ़ाया जायेगा।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : कोई भी व्यक्ति इस विधेयक के सिद्धांत का विरोध नहीं कर सकता। किन्तु यह अनुभव किया गया है सरकार धन देने की ऐसी सुविधाओं का राजनैतिक प्रयोजनों के लिये दुरुपयोग करती है।

दूसरे भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि ३०० रुपये का ऋण पाने के लिये किसान को १२३ रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। अतः भ्रष्टाचार का निवारण करना चाहिये।

यह विधेयक अच्छा है किन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिये कि ऐसा न हो कि किसान अभी ऋण का उपयोग न कर पाये और उससे तकाज़ा भी किया जाने लगे। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का सब ओर से स्वागत किया जायेगा और यह विधेयक वास्तव में स्वागत योग्य है भी। मैं भी इस का स्वागत करता हूं। इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् हमारे किसानों के लिए दीर्घ-कालीन और अल्प-कालीन कर्ज़ की व्यवस्था हो सकेगी, लेकिन फिर भी मेरे मस्तिष्क में यह भय है कि जो बहुत छोटे किसान हैं, जो छोटी छोटी काश्त करते हैं, उनके लिए कर्ज़ की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। इस लिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जब कि चीनी हमले की विभीषिका हमारे सामने है और हम यह चाहते हैं

†मूल अंग्रेजी में

कि तीसरी योजना के लक्ष्य न गिरने पायें और विशेषकर खेती के क्षेत्र में हर प्रकार की उन्नति हो सके और अन्न की वृद्धि हो, तो यह आवश्यक है कि किसानों को हर प्रकार की सुविधा दी जाये।

आज स्थिति यह है कि छोटे किसानों को को-आपरेटिव बैंक आदि से भी कर्ज़ा न के बराबर मिलता है और अगर मिलता भी है, तो उस में दिक्कतें होती हैं। लैंड मार्गेज बैंकों से भी कर्ज़ा प्राप्त करने में दिक्कत होती है। अगर किसान को थोड़ा सा, चार सौ, पांच सौ रुपया, लेना पड़े, तो उसको बीच में भ्रष्टाचार का भी मुकाबला करना पड़ता है। इस से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि समाज में भ्रष्टाचार है, लेकिन लोगों को, और विशेषकर किसानों को, भ्रष्टाचार से बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वे खेती में अपना समय खर्च करते हैं और इस लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन को रुपया आदि लेने में बहुत ज्यादा समय न खर्च करना पड़े और वे अपना सारा ध्यान खेती में लगा सकें। को-आपरेटिव बैंक और लैंड मार्गेज बैंकों की ब्याज की दरें बहुत ऊंची हैं। साहूकारों से जो रुपया उन्हें लेना पड़ता है, उस की दरें भी बहुत ऊंची हैं। अगर किसानों को बहुत कम ब्याज पर और आसानी के साथ रुपया मिल सके, तो यह कार्पोरेशन सफलीभूत हो सकेगी। आज-कल कर्ज़ा देने के नियमों में बहुत कड़ेपन से काम लिया जाता है। उस में ढील होनी चाहिए।

†डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मैं विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं। जब हम चाहते हैं कि किसान अधिकतम उत्पादन करें तो उन्हें बड़े पैमाने पर धन की सहायता मिलनी चाहिये। इस विधेयक से किसान अधिक उत्पादन करने का कार्यक्रम चला सकेंगे।

श्री तुलशीदास जाधव : अध्यक्ष महोदय, थर्ड रीडिंग के अवसर पर मैं फिर इस बिल को सपोर्ट करता हूं, लेकिन जाते जाते मैं दो तीन सुझाव माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं।

ऐसा कोई इन्तज़ाम करना चाहिए कि कार्पोरेशन से जो पैसा किसान को मिलने वाला है, उस ने जितना रुपया मांगा है, वह सभी का सभी उस के हाथों में चला जाये। इस के लिए मेरा सुझाव है कि आफ़िस या कचहरी में आ कर लेने के बजाये चाहे तो उस को चैक भेज दिया जाये और चाहे वह रुपया मनी-आर्डर से भेज दिया जाये, ताकि उस ने जितना पैसा निकाला है, वह सब उस के हाथों में पहुंच जाए।

आज-कल स्थिति यह है कि अगर किसान के खेत की सोसायटी ने एक दफ़ा सिक्योरिटी ली हो, तो उस के बाद उसी खेत पर किसान को कर्ज़ा नहीं मिलता है। चाहे उस के खेत की कीमत दस हजार पये ही क्यों न हो, लेकिन अगर उस ने बैल आदि के लिए एक हज़ार रुपये लिए हों, तो फिर उस को कर्ज़ा नहीं मिलता है। इस वक्त यह हालत है। पोल्ट्री फ़ार्म और दूसरे कामों के लिए कर्ज़ा देने का क्या इन्तज़ाम है, यह मुझे मालुम नहीं है क्योंकि जब तक उस के ऊपर का बोझा नहीं निकाला जाता, तब तक उस के ऊपर पैसा नहीं दिया जाता है। फिर यह पैसा उसको कैसे मिलेगा सिक्योरिटी खेत की होती

†मूल अंग्रेजी में

है। इस के लिए मेरा कहना यह है कि अगर खेत की बाजार-कीमत दस हजार रुपये हो, तो सात या आठ हजार रुपए तक उसको कर्जा देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि खेत तो वहां पर ही रहता है और उस को उठा कर कोई ले जाता नहीं है। इस के बावजूद किसान को रुपया मिलता नहीं है। लैंड मार्गेज बैंक कहता है कि पहला बोझा है, इस लिए हम कर्जा नहीं देंगे। अगर एक दफ़ा लैंड मार्गेज बैंक का बोझा हो, तो वहां दूसरे को उस से कर्जा नहीं मिलता है। अगर काश्तकार को डेयरी फ़ार्म या पोल्ट्री फार्म खोलना है, तो उस के लिए कर्जे की व्यवस्था की गई है, लेकिन उस को कर्जा मिलने में दिक्कतें होती हैं। मैं चाहता हूं कि उन दिक्कतों को दूर किया जाए।

अभी तक लैंड मार्गेज बैंक की तरफ से पैसा मिलता था, तो मिलने के बाद उस का ख़र्चा काट लेते थे, लेकिन कई दिनों से यह व्यवस्था चालू है कि काश्तकारों से पहले ही पच्चीस या पचास रुपए जो कि ख़र्चा होता है, ले लिये जाते हैं। काश्तकार सोचता है कि मुझे रुपया मिले या न मिले, लेकिन मेरे ये पच्चीस तीस रुपए चले जाते हैं। पहले जब मामलतदार से कर्जा मिलता था, तो उस वक्त ख़र्चा नहीं लगता था, लेकिन लैंड मार्गेज बैंक की तरफ से सिक्योरिटी लेनी है और मार्गेज करना है, तो उस का बड़ा फार्म होता है, जिस को लिखने के लिए पच्चीस, तीस रुपए देने पड़ते हैं। ऐसा लैंड मार्गेज बैंक का सर्कुलर है। इस से काश्तकार घबराता है कि ये तो पहले हमें पैसा ले लेते हैं। मुझे मिलना मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि इस दिक्कत को दूर करना चाहिए।

†**श्री ब० रा० भगत**: अन्तिम वक्ता ने एक दो अच्छे सुझाव दिये हैं और मुझे आशा है कि निगम कार्य संचालन के समय इसका ध्यान रखेगा। इससे अधिक मैं इस समय नहीं कह सकता।

माननीय महिला सदस्य ने जो यह कहा है कि कि निगम को क्षमतापूर्वक काम करना चाहिये, वह तो ऐसे सभी संगठनों का आदर्श होना चाहिये और निगम को सिद्धान्ततः किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये।

माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि किसानों की दीर्घ-कालीन आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया जाता, यह ठीक है। मैं इससे सहमत हूं।

महिला सदस्य ने गोड़वाला प्रतिवेदन की ओर निर्देश करते हुए कहा कि १९५१ में किसानों को केवल २० करोड़ रुपया ऋण दिया गया और अब जबकि २५० करोड़ रुपया अल्पकालीन ऋण दिया जायेगा वह २० करोड़ रुपया बहुत अपर्याप्त है। इसे दस गुना कर दिया गया है किन्तु फिर भी यह कम है क्योंकि तीसरी योजना का ऋण का अनुमान ४२० करोड़ रुपये का है दीर्घ-कालीन ऋण के लिए १५० करोड़-रुपये, मध्यकालीन ऋण के लिए ११० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। स संदर्भ में ३७ क ोड़ रुपया बहुत कम है। मैं इस से सहमत हूं और इसी लिए यह निगम आरम्भ किया जा रहा है और इसका प्रयत्न होना चाहिये कि ५×२० बल्कि २५×२० करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त किया जाय।

अगले वर्ष से निगम का कार्य सभा के समक्ष आ जायेगा और सभा को उसकी जांच का पूरा अवसर मिलेगा। मैं इस से सहमत हूं कि कसौटी निगम की दक्षता होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मैं इस से बिल्कुल सहमत नहीं कि ऐसी निधियों को राजनैतिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

यह कहना गलत है कि इसे कृषि से भिन्न विपणन आदि प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है। उस के लिए अलग संस्थाएं हैं।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक की सिफारिश करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पास किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम एक घंटे के लिए सभा को स्थगित करते हैं और फिर बजट प्रस्ताव रखे जायेंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा ५ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

लोक-सभा ५ बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सामान्य आय-व्ययक, १९६३–६४

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय वित्त मंत्री।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : महोदय, मैं १९६३–६४ का बजट पेश करता हूं। कई सालों से वार्षिक बजट मुख्यतः हमारी विकास संबंधी आयोजनाओं की दृष्टि से तैयार किया जाता रहा है। जो साल अब खत्म हो रहा है उसमें, एक राष्ट्र के रूप में, हमें एक और चुनौती मिली है; और आज शाम मुझे जो कुछ कहना है उस का संबंध निश्चय ही उस नयी परिस्थिति से है जो हमारे देश की रक्षा के लिये हमारे सामने आ खड़ी हुई है।

२. इसलिये मैं चालू साल की आर्थिक प्रवृत्तियों और घटनाओं के विस्तार में नहीं जाउंगा। इनका जिक्र आर्थिक समीक्षा में पूरी तरह से किया गया है, जो अलग से दी जा रही है। लेकिन मैं मौजूदा आर्थिक स्थिति के उन पहलुओं की कुछ चर्चा करूंगा जिनका संबंध अगले साल के हमारे कामों से है।

३. माननीय सदस्यों को याद होगा कि चालू आयोजना के पहले साल अर्थ-व्यवस्था के बुनियादी क्षेत्रों की कमियां––खास तौर से बिजली, परिवहन (ट्रांसपोर्ट), कोयला और इस्पात की कमियां––हमारे लिये चिंता का कारण बन गयी थीं। इन्हीं कमियों को देखते हुये १९६२–६३ के बजट में आयोजना के खर्च में भारी वृद्धि करने के लिये व्यवस्था की गयी थी। इस साल इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास संबंधी कार्यक्रमों को बारीकी से जांच की गयी ताकि सारी अर्थ-व्यवस्था का तेजी के साथ सम्मिलित विकास हो सके; और मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि कोयला,

---

†मूल अंग्रेज़ी में

बिजली, इस्पात और परिवहन (ट्रांसपोर्ट) मिलने में काफी सुधार हुआ है। ज्यों ज्यों चालू कार्य-क्रम पूरे होते जायेंगे, आने वाले महीनों में सुधार की यह रफ्तार तेज होती जायेगी। सरकारी क्षेत्र की हमारी कुछ बड़ी बड़ी प्रायोजनाओं (प्रोजेक्ट) ने और भी तरक्की की है। भाखरा बांध बनकर पूरा हो चुका है और रिहंद तथा हीराकुड प्रायोजनाओं से प्राप्त होने वाली बिजली की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। सरकारी क्षेत्र के इस्पात के कारखाने अब प्रायः अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन करने लगे हैं। सारा औद्योगिक उत्पादन बढ़ता जा रहा है और साल की पहली छमाही में यह १९६१—६२ की इसी छमाही से ७.२ प्रतिशत अधिक था। आने वाले वर्षों में, खासकर मौजूदा संकट को देखते हुये, हमें और भी अधिक उत्पादन करना होगा और इसके लिये सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों को अपने अपने हिस्से का काम पूरा करना होगा।

४. इस साल खेती की चीजों की सप्लाई सब तरफ सन्तोषजनक नहीं रही। चूंकि १९६१—६२ की पैदावार, उससे पहले के साल की पैदावार से ज्यादा नहीं थी, इसलिये कीमतें, खासकर अनाज की कीमतें, मार्च और अगस्त, १९६२ के बीच बढ़ गयीं और इस अवधि में थोक मूल्यों के सूचक अंक में ६.१ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। कीमतों को बढ़ने न देने के लिये कई उपाय किये गये। मुद्रा विषयक नीति के अनुसार ऋण के ब्याज की दर बढ़ा दी गयी और साथ ही सट्टे की प्रवृत्तियों की रोकथाम की गयी। खेती की पैदावार को बढ़ावा देने और खेतिहर को यह आश्वासन देने के लिये कि यदि वह पैदावार बढ़ायेगा, तो कीमतों के घटने पर घाटे में नहीं रहेगा गेहूं के कम से कम मूल्यों और चावल के अधिप्राप्ति मूल्यों (प्रोक्योरमेंट प्राइसेज़) की घोषणा की गयी, कपास का अधिकतम मूल्य और भी ऊंचा किया गया और जूट के मूल्यों को लाभकारी बनाये रखने की व्य-वस्था मजबूत कर दी गयी। यह सन्तोष की बात है कि जनवरी, १९६३ के थोक मूल्यों के सूचक अंक का औसत १२६ था, जबकि तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के शुरू में यह १२७.५ था। अनुमान है कि चालू मौसम में अनाज की पैदावार पहले के मौसम से ज्यादा होगी। इतने पर भी, अगर आर्थिक उन्नति में तेजी लानी है और मूल्यों की स्थिरता को, जो पिछले दो सालों में प्रायः ठीक ही रही है, बनाये रखना है, तो हमें खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये दुगनी कोशिश करनी पड़ेगी। इस कोशिश में चावल और कपास व तेलहन जैसी चीजों की उपज बढ़ाने पर खास तौर से जोर देने की जरूरत है। क्योंकि रहन-सहन के खर्च और शोधन-सन्तुलन (बैलेंस आफ पेमेंट्स) से इनका गहरा संबंध है।

५. हमारी अर्थ-व्यवस्था का जो क्षेत्र सारा साल मेरे लिये चिंता का विषय रहा वह है विदेशों को किये जाने वाले भुगतान की हमारी स्थिति। १९६२ की गर्मियों में विदेशी मुद्रा की हमारी प्रारक्षित (रिजर्व) राशियों में भारी कमी हो गयी। रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा की जिन राशियों से पहले के वर्षों में भारी निकासियां की जा चुकी थीं वे मार्च, १९६२ के अन्त में १२९.७ करोड़ रुपये से घटकर जून के अन्त में ९७ करोड़ रुपया रह गयीं। इसलिये हमें विदेशों से मंगाये जाने वाले माल के कोटे में और भी कटौती करनी पड़ी, जिसकी घोषणा की जा चुकी है, और विदेशयात्रा पर कड़े प्रतिबन्ध लगाने पड़े और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ इस बात की व्यवस्था करनी पड़ी कि आवश्यकता पड़ने पर वह हमारी सहायता करेगा। निर्यात संबंधी आमदनी बढ़ने और सहायता के अन्तर्गत पहले से ज्यादा भुगतान होने से पिछले कुछ महीनों में प्रारक्षित राशियों पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव दूर हो गया है और १५ फरवरी, १९६३ को रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा की राशियां १०५ करोड़ रुपया थीं। लेकिन निर्यात के अच्छे मौसम के सबसे बढ़िया समय में भी अगर प्रारक्षित राशियों का स्तर (लेवल) उस स्तर से कुछ ही ऊंचा रहता है जो कानून के आधार पर कम से कम उतना रहना ही चाहिये, तो इस स्थिति पर सन्तोष प्रकट नहीं किया जा सकता।

६. जहां तक चालू साल की बजट और राजस्व विषयक स्थिति का संबंध है पहले राजस्व से १३८०.९३ करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान किया गया था, लेकिन सबसे हाल के संकेतों के अनुसार राजस्व प्राप्तियों की रकम १५०० करोड़ रुपये से कुछ ऊपर चली जायेगी। राजस्व में ११९ करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई है उसमें से ७३.७० करोड़ रुपये की प्राप्ति तीन प्रधान शीर्षकों के अन्तर्गत हुई है। सीमा शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व में लगभग २४ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी जिसके मुख्य कारण विदेशों से ज्यादा मशीनों का मंगाया जाना—जिसका हम इसलिये स्वागत करते हैं कि इससे हमारे विकास प्रयत्नों के बढ़ने का संकेत मिलता है और किरासिन, डीजल और दूसरे तेलों का भी मंगाया जाना है, जो आज की विदेशी मुद्रा संबंधी स्थिति में निश्चय ही हमारे लिये चिंता का विषय है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के अन्तर्गत ३१.६७ करोड़ रुपये की वृद्धि शुल्क लगने वाली कई चीजों, खासकर चीनी, लोहे और इस्पात की चीजों और मोटर स्पिरिट के उत्पादन और निकासी में क्रमशः वृद्धि होना है। पेशगी दिये गये करों की अधिक प्राप्तियों और लाभांश (डिविडेंड), ब्याज तथा वेतनों की मदों में मूल स्थान पर पहले से अधिक रकमों के वसूल होने से निगम (कारपोरेशन) और आय करों के अन्तर्गत १८.२० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। बाकी वृद्धियों में से बड़ी वृद्धियां ऋण-व्यवस्थाओं के अन्तर्गत—जिनका मुख्य कारण राज्यों से और अधिक वसूली होना और लोहे व इस्पात अधिभार (सरचार्ज), पी० एल० ४८० के अनुदानों और संकटकालीन खतरे के बीमे (इमर्जेंसी रिस्क इन्श्योरेंस) की प्राप्तियों की अपने आप सन्तुलित होने वाली तीन मदों के अन्तर्गत हुई हैं, जो व्यय अनुमानों में धन की व्यवस्था करके अपनी अपनी निधियों में अन्तरित कर दी जाती हैं।

७. अनुमान है कि चालू साल में खर्च की रकम भी १३८१.६५ करोड़ रुपये से बढ़कर १५२२.३१ करोड़ रुपये हो जायेगी। इस वृद्धि का सबसे बड़ा कारण रक्षा सेवाओं के खर्च का बढ़ना है जिसके लिये इस सभा ने उस समय अपनी पूरी स्वीकृति दी थी जब हमारी सीमाओं पर निरंकुशतापूर्ण आक्रमण होने के कुछ ही हफ्तों के अन्दर सभा ने ९५ करोड़ रुपये के पूरक अनुदानों की मंजूरी दी थी। अनुमान है कि अब राजस्व से रक्षा व्यवस्था पर किया जाने वाला खर्च, ४५१.८१ करोड़ पये तक पहुंच जायेगा जो मूल अनुमान से १०८.४४ करोड़ रुपया अधिक है।

८. दूसरी तरफ, रक्षा संबंधी व्यय की तुलना में, असैनिक (सिविल) व्यय में, मूल अनुमान की अपेक्षा २२.२२ करोड़ रुपये की थोड़ी सी वृद्धि हुई है। इस वृद्धि की सबसे बड़ी मद, अपने आप सन्तुलित होने वाली तीन मदों से संबंध रखने वाली प्राप्तियों का दीर्घकालीन ऋणों में बदला जाना है जिसका जिक्र मैंने अभी ही किया है और जिसके कारण २८.५ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से अधिक राजस्व प्राप्त होने से राज्यों के हिस्से की रकम में १०.५५ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी। सीमा क्षेत्रों की रखवाली के लिये ६.२५ करोड़ रुपये की और आवश्यकता पड़ेगी। ये वृद्धियां, ऋण-व्यवस्थाओं के अन्तर्गत १.८७ करोड़ रुपये की कमी और 'सामाजिक और विकास संबंधी सेवायें' समूह शीर्षक के अन्तर्गत—जिसमें लोहे और इस्पात के अधिभार को अन्तरित करने की व्यवस्था शामिल नहीं है क्योंकि, जैसा कि अभी बताया गया है, यह अपने आप सन्तुलित होने वाली मदों में से एक है—११.४८ करोड़ रुपये की कमी होने से अंशतः बराबर हो जायेंगी।

९. इन परिवर्तनों का वास्तविक प्रभाव यह होगा कि मूल रूप से आंका गया राजस्व खाते का .७२ लाख रुपये का नाम मात्र का घाटा बढ़कर २२.०६ करोड़ रुपये हो जायेगा।

इस बात का ध्यान रखते हुये कि सिर्फ रक्षा कार्यों के लिये ही हमें मूल अनुमान की अपेक्षा १०८ करोड़ रुपये अधिक की व्यवस्था करनी पड़ी है, इस साल के राजस्व बजट की स्थिति को असन्तोष-जनक नहीं कहा जा सकता।

१०. पूंजी बजट में—जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलने वाली सहायता को विशेष विकास निधि (स्पेशल डेवलपमेंट फंड) में अन्तरित करने के लिये किया जाने वाला समायोजन, जिसे पूंजीगत व्यय माना जाता है, शामिल नहीं है—पूंजी के रूप में खर्च करने के लिये चालू वर्ष के मूल अनुमान में ५९२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। अब इसके लिये ५९३ करोड़ रुपये की रकम आंकी गयी है। एक करोड़ रुपये की यह वृद्धि बहुत से परिवर्तनों का परिणाम है। रक्षा-संबंधी पूंजी खर्च में २० करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। काम को और तेजी से निबटाने के लिये रेलों, हिन्दुस्तान स्टील और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को २१ करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता होगी, पर ये वृद्धियां बहुत सी मदों के अन्तर्गत होने वाली बचतों से बराबर हो जायेंगी। इन बचतों में से मैं अन्न की खरीद के संबंध में होने वाली १४ करोड़ रुपये की बचत, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (आयल एंड नेचरल गैस कमीशन) के संबंध में होने वाली ५ करोड़ रुपये की बचत, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन), फरक्का बैरेज और सीमावर्ती सड़कों के संबंध में होने वाली चार-चार करोड़ रुपये की बचत और उर्वरक निगम (फर्टिलाइजर कारपोरेशन) के संबंध में होने वाली २ करोड़ रुपये की बचत का ही जिक्र करूंगा।

११. अभी बताये गये प्रत्यक्ष पूंजी खर्च के अलावा, मूल अनुमानों में, राज्यों को कर्ज देने के लिए ४५३ करोड़ रुपये और स्थानीय निकायों (लोकल बाडीज), पत्तन, प्रबन्ध समितियों (पोर्ट ट्रस्ट) और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों सहित दूसरी पार्टियों को कर्ज देने के लिये १३६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। अब इन कामों के लिए खर्च क्रमशः ५२३ करोड़ रुपये और १४७ करोड़ रुपये तक बढ़ जायगा।

१२. राज्यों को दिये जाने वाले क़र्ज़ों की रक़म में ७० करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई है उसके अधिकांश भाग से सात राज्य सरकारों को तदर्थ ऋण दिया गया है जिससे कि उनके द्वारा रिजर्व बैंक से अपनी जमा से अधिक ली गयी रक़म चुकता कर दी जाये। राज्यों को अपने आयोजना संबंधी ख़र्च और दूसरे ख़र्च के लिए केन्द्र से काफ़ी सहायता मिलने और तीसरे वित्त आयोग, के फ़ैसले के अनुसार, उन्हें केन्द्रीय करों का अधिक अंश और अनुदान मिलने पर भी, कुछ राज्यों ने रिजर्व बैंक से अपनी जमा से अधिक रक़म ले ली थी। इस रक़म को चुकाने के लिए सहमत होते हुए मुझे यह शर्त रखनी पड़ी कि राज्यों को बड़े वित्तीय अनुशासन का पालन करना चाहिए, अतिरिक्त साधन प्राप्त करने चाहिएं और अपना ख़र्च अपने साधनों की सीमा के अन्दर रखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि राज्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो।

१३. उधार लेने के हमारे कार्यक्रम में, छोटी बचतों के अन्तर्गत २० करोड़ रुपये की कमी होगी, लेकिन संकट की स्थिति पैदा होने के बाद जारी किये गये राष्ट्रीय रक्षाबाण्डों की बिक्री से यह कमी न सिर्फ पूरी हो जायेगी, बल्कि और अधिक रकम मिल जायेगी। पी० एल० ४८० की जमा रक़मों और विदेशी ऋणों से होने वाली प्राप्तियों में अनुमान की अपेक्षा क्रमशः ३० करोड़ रुपये और ७८ करोड़ रुपये ही कमी होगी। जैसाकि पहले बताया जा चुका है

राजस्व खाते में २१ करोड़ रुपये की और कमी होगी और राज्यों तथा दूसरी पार्टियों को दिये जाने वाले ऋणों में ८१ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। लेकिन कई शीर्षकों के अन्तर्गत वृद्धि होने से, से जिसमें से ४७ करोड़ रुपये राष्ट्रीय रक्षा कोष की प्राप्तियों और ९ करोड़ रुपये संकट कालीन ख़तरे के बीमे की मद के हैं, २१० करोड़ रुपये की यह कमी ६० करोड़ रुपये तक प्रतिसन्तुलित हो जायेगी।

१४. इन सब परिवर्तनों का वास्तविक प्रभाव यह होगा कि सारी कमी मूल अनुमान के ९० करोड़ रुपये से बढ़ कर २४० करोड़ रुपये हो जायेगी। यह भी हो सकता है कि चालू साल का वास्तविक बजट घाटा उस से कुछ कम रहे जिसका मैंने अभी संकेत किया है, लेकिन यह ठीक है कि राजस्व में वृद्धि होने और संकट की स्थिति शुरू होने के बाद राष्ट्रीय रक्षा कोष और राष्ट्रीय रक्षा बाण्डों में काफ़ी धन दिये जाने के बाद भी मूल अनुमान की तुलना में कुल कमी में भारी वृद्धि होगी। छोटी बचतों की रक़मों में कमी होना और कुछ राज्यों को अर्थोपाय (वेज़ एंड मीन्स) के रूप में पहले से ज्यादा सहायता का दिया जाना, जिससे उनकी वित्तीय कमज़ोरी प्रकट होती है, ख़ास तौर से चिन्ता का विषय है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यद्यपि पिछले दो सालों में चीजों की कीमतों में प्रायः ठहराव रहा है, फिर भी आने वाले वर्षों में निरापद रूप से जितनी घटती रहेगी उसे देखते हुए सन्तुष्ट होके बैठ रहने की गुंजाइश नहीं है।

१५. जैसाकि मैं शुरू में ही कह चुका हूं, १९६३–६४ का बजट तैयार करने में सब से ज्यादा विचार इस बात का रखा गया है कि देश की रक्षा शक्ति को बढ़ाया जाये। सभा को यह जानकर खुशी होगी कि अगले साल रक्षा के लिए ८६७ करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का मेरा विचार है, जबकि चालू साल के संशोधित अनुमान में ५०५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और मूल अनुमान में ३७६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। साथ ही, केन्द्र के आयोजना सम्बन्धी ख़र्च के लिए, जिस में राज्यों को दी जाने वाली सहायता शामिल है, १२२६ करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का मेरा विचार है, जबकि चालू वर्ष के बजट अनुमान में ११०७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। हाल के महीनों में यह बात बार बार कही गयी है कि रक्षा और विकास के बीच गहरा सम्बन्ध है, । पर यह उन सचाइयों में से एक है जिन्हें बार बार दोहराने से उनकी सचाई में कमी नहीं आती। जिन कामों के लिये हमने पहले ही रकमें लगा रखी हैं और जिन के लिए विदेशी सहायता का आश्वासन पहले ही मिल चुका है वे सफलतापूर्वक जल्दी से जल्दी पूरे किये जाने चाहियें। और सिर्फ इसी बात के लिए अगले साल के आयोजना सम्बन्धी ख़र्च में काफ़ी वृद्धि करना आवश्यक है। संकट की स्थिति के कारण नयी ज़रूरतें पैदा हो गयी हैं। इसलिए, यह बुद्धिमानी की बात नहीं होगी कि विकास की आवश्यकताओं की उपेक्षा कर के रक्षा की बड़ी आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था की जाये। इसलिए रक्षा और विकास कार्य को साथ साथ चलाने के अगले वर्ष के बजट अनुमान में इस वर्ष के बजट अनुमान की अपेक्षा ६१० करोड़ रुपये की वृद्धि दिखायी देगी।

१६. अब मैं प्राक्कलन समिति (एस्टिमेट्स कमिटि) की स्वीकृति से अनुदानों की मांगों के स्वरूप में किये गये कुछ परिवर्तनों का ज़िक्र करना चाहता हूं। हमारे आयोजना सम्बन्धी ख़र्च में वृद्धि होने और आयोजना सम्बन्धी ख़र्च व दूसरे ख़र्च दोनों का ब्योरा अलग अलग दिखाने के निश्चय के कारण अनदानों की मांगों का आकार-प्रकार हाल के वर्षों में बहुत बढ़ गया है। इसके

कारण अनुदानों की मांगों को समझना कठिन हो गया था। अब प्राक्कलन समिति की रजामन्दी से यह फैसला किया गया है कि अनुदानों की मांगों के भाग तीन और चार के बदले, जिन में खाते के विभिन्न मण्डलों के अनुसार ब्योरा दिया जाता है और जो मुख्यतः अनुदानों पर नियन्त्रण रखने वाले अधिकारियों के लिए होते हैं, दो नयी अनुसूचियां दी जायें। इन अनुसूचियों में आयोजना सम्बन्धी व्यवस्थाओं का और विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त किये गये कर्मचारियों का ब्योरा दिया गया है। इसके अलावा, अनुदानों की मांगों सम्बन्धी टिप्पणियों में आयोजना सम्बन्धी व्यय से भिन्न व्यय की महत्वपूर्ण मदों का विवरण भी शामिल किया गया है। विभागीय उपयोग के लिए भाग तीन और चार का छापा जाना जारी रहेगा और उनकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रखने का प्रबन्ध किया जायेगा। इस व्यवस्था से संसद् के लिए आवश्यक होने वाली महत्वपूर्ण सूचना का कोई अंश कम किये बिना, मांगों को और अधिक संक्षिप्त रूप में पेश किया जा सकेगा।

१७. मैं रक्षा सेवाओं की मांगों को प्रस्तुत करने के ढंग में किये गये परिवर्तनों का भी उल्लेख करना चाहता हूं। अब तक तीनों रक्षा सेवाओं के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएं सहायक ब्योरे के साथ अलग अलग प्रस्तुत की जाती थीं। पिछले महायुद्ध में अपनाये गये तरीक़े के अनुसार मैंने निश्चय किया है कि तीनों सेवाओं की मांगों को मिलाकर एक ही मांग बना दिया जाये, पर ब्योरा न दिया जाये। इस सम्मिलित मांग में संकटकाल की विभिन्न व्यवस्थाओं के ख़र्च की इकट्ठी रकम के साथ चालू वर्ष के स्तर पर तीनों रक्षा सेवाओं के लिए निर्धारित रक़म दी गयी है। मुझे विश्वास है कि सभा इन परिवर्तनों की आवश्यकता को महसूस करेगी जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिये किये गये हैं।

१८. अगले साल के लिए, करों के वर्तमान स्तर के आधार पर, मैं बजट में १५८५.७३ करोड़ रुपये के कुल राजस्व और १८५२.४० करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था कर रहा हूं जिस से राजस्व खाते में २६६.६७ करोड़ रुपये की कमी रह जायेगी।

१९. चालू साल के संशोधित अनुमान की तुलना में अगले साल राजस्व में ८५.४८ करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है। अनुमान है कि उत्पादन शुल्कों में ३०.२७ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी जबकि आयकर तथा निगम करों के राजस्व में १५ करोड़ रुपये की और वृद्धि होगी। ब्याज-प्राप्तियों की मद में ४०.५६ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी जिस में से १८ करोड़ रुपया हिन्दुस्तान स्टील से, १० करोड़ रुपया राज्य सरकारों से, और ८.४३ करोड़ रुपया रेलों से प्राप्त होगा। अगर माल और कारखानों के संकटकालीन ख़तरे के बीमे से होने वाली प्राप्तियों की रफ़्तार यही रही, तो इन में २७ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी। हमने यह भी फ़ैसला किया है कि चूंकि सरकार को ब्याज की ऊंची दरों पर कर्ज़ मिलता है, इसलिए रेलों और डाक तथा तार विभाग को, अगले साल से, साधारण राजस्व में और अधिलाभांश (डिविडेण्ड) देना चाहिए और इसलिये इसकी दर ४ १/४ प्रतिशत से बढ़ाकर ४ १/४ प्रतिशत कर दी जायगी। इस से ४.४३ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी। लेकिन ये वृद्धियां, मौजूदा दरों के आधार पर, सीमा-शुल्कों में, आयात पर और अधिक प्रतिबन्ध लगने से, १०.४५ करोड़ रुपये की कमी होने, लोहा व इस्पात अधिभार में ११.७० करोड़ रुपये की कमी होने, पी० एल० ४८० अनुदानों में ९ करोड़ रुपये की कमी होने और आय-कर में से राज्यों के हिस्से में २.६८ करो रुपये की वृद्धि होने से आंशिक रूप से बराबर हो जायेगी।

२०. अगले साल राजस्व खाते से १८५२.४० करोड़ रुपये की जो कुल रक़म ख़र्च की जायेगी उस में ७०८.५१ करोड़ रुपया रक्षा सेवाओं पर और ११४३.८९ करोड़ रुपया असैनिक शीर्षकों के अन्तर्गत खर्च होगा । संशोधित अनुमानों की तुलना में, अगले साल, असैनिक व्यय में ७३.३९ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। सरकारी ऋणों के परिमाण और ब्याज में वृद्धि होने से ऋण-व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ३४.२१ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी । प्रशासनिक सेवाओं पर अगले साल ११.८९ करोड़ रुपया ज्यादा ख़र्च होगा जिसका मुख्य कारण सीमा पुलिस पर और ज्यादा ख़र्च होना है । 'अंशदान और विविध समायोजन' के अन्तर्गत १०.५४ करोड़ रुपये की वृद्धि का मुख्य कारण राज्यों को पहले से अधिक अनुदान देना और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में से उनके हिस्सों की रक़मों का बढ़ना है। जबकि ख़तरे के संकटकालीन बीमे के अन्तरणों (ट्रांसफर) में २७ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी, लोहे व इस्पात अधिभार और पी० एल० ४८० अनुदानों से सम्बन्ध रखने वाले अन्तरणों में क्रमश: ११.७ करोड़ और ९ करोड़ रुपये की कमी होगी। 'सामाजिक विकास सम्बन्धी सेवाएं' के बाकी शीर्षकों के अन्तर्गत ९.८४ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी, जबकि एस्क्युडो मुद्रा (करेंसी) की वापसी के लिए रिजर्व बैंक को अदायगी करने के लिए धन की व्यवस्था न होने से ख़र्च में ९.१४ करोड़ रुपये की कमी रहेगी ।

२१. अगले साल पूंजी खाते से ८२७ करोड़ रुपया ख़र्च होने का अनुमान है, जो चालू साल के संशोधित अनुमान से २३४ करोड़ रुपया अधिक है । १०६ करोड़ रुपये की वृद्धि का कारण पूंजी खाते में रक्षा संबंधी खर्च होना है । दूसरी बड़ी-बड़ी वृद्धियों में से हिन्दुस्तान स्टील के ३५ करोड़ रुपये, खाद्यपदार्थों की खरीद के लिये, जिसमें देश के अन्दर अनाज प्राप्त करना शामिल है, ३० करोड़ रूपये के वास्तविक ख़र्च, रेलों के १५ करोड़ रूपये डाक और तार विभाग के १३ करोड़ रुपये, राष्ट्रीय राजपथों (नेशनल हाइवेज़) के १५ करोड़ रुपये, परमाणु, शक्ति (एटोमिक नर्जी) विभाग के ८ करोड़ रुपये, तेल और प्राकृतिक गैस कमिशन के ८ करोड़ रूपये और ड्रग्स् कारपोरेशन के ५ करोड़ रुपये का ज़िक्र किया जा सकता है ।

२२. अगले साल के बजट में राज्यों को ऋण देने के लिये ५४१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें बाजार ऋणों में से उनके हिस्से के वे १०० करोड़ रुपये भी शामिल हैं जो राष्ट्रीय विकास परिषद के इस फ़ैसले के मुताबिक दिये जायेंगे कि अगले साल केन्द्रीय और राज्य सरकारों के लिये मिले जुले ऋण लिये जायं। दूसरी पार्टियों को १७५ करोड़ रुपये के ऋण दिये जाने का अनुमान है । यहां मैं एक ऐसी मद का जिक्र करूंगा कि जो खास तौर से महत्वपूर्ण है और वह यह कि आयोजना की बाकी अवधि में उन छात्रों को धन की सहायता देने के लिये ९ करोड़ रूपये की रकम अलग कर दी जायगी जो पढ़ने-लिखने में तेज समझे जायेंगे ; और जो पढ़ाने का काम करने लगेंगे उन्हें विशेष रूप से अनुकूल सुविधाएं दी जायेंगी ।

२३. जैसाकि मैंने पहले बताया है अगले वर्ष के बजट में आयोजना को कार्यान्वित करने के लिये १२२६ करोड़ रूपये के कुल व्यय की व्यवस्था की गयी है। इसमें से १९६ करोड़ रुपये राजस्व खाते के और बाकी १०३० करोड़ रुपये पुंजी परिव्यय के रूप में है जिनमें ऋण भी शामिल हैं। इसके अलावा, अनुमान है कि अपने साधनों से रेलें ३८ करोड़ रुपये और हिन्दुस्तान स्टील तथा सरकारी क्षेत्र के दूसरे उद्योग ३७ करोड़ रूपये की व्यवस्था करेंगे । इन अनुमानों में राज्यों को दी जाने वाली सहायता के रूप में ४०० करोड़ रुपया शामिल है जिसमें से ९४ करोड़ रूपया राजस्व खाते का और ३०६ करोड़ रुपया पूंजी बजट में होगा । राज्यों से आशा की जाती है कि वे अपने साधनों से ३५० करोड़ रुपया जुटायेंगे । इस तरह, अगले साल राज्यों का आयोजना संबंधी खर्च ७५० करोड़ रूपया होगा ।

इसमें ६०१ करोड़ रुपये के केन्द्रीय खर्च को जोड़ने पर आयोजना के तीसरे वर्ष में आयोजना संबंधी कुल खर्च १६५१ करोड़ रुपये का होगा, जबकि चालू वर्ष के बजट में आयोजना संबंधी खर्च के लिये १४६५ करोड़ रुपये रखे गये थे। इस तरह, अगले साल के आयोजना संबंधी खर्च की रकम आयोजना की कुल अवधि के ७५०० करोड़ रुपये के कुल खर्च का २२ प्रतिशत होगी, जबकि चालू वर्ष का खर्च १९.५ प्रतिशत और आयोजना के पहले साल का वास्तविक खर्च १५ प्रतिशत से कुछ अधिक था।

अगले साल के बजट में बाजार ऋणों के ४०० करोड़ रुपये जमा किये गये हैं जिनमें वे १०० करोड़ रुपये भी शामिल हैं जो राज्य सरकारों की तरफ से उधार लिये जायेंगे। छोटी बचतों की प्राप्तियां १०५ करोड़ रुपया रखी गयी है। नये विदेशी ऋणों का ४६२ करोड़ रुपया और पी० एल० ४८० की जमा रकमों से प्राप्त ९० करोड़ रुपया भी जमा किया गया है जिस में वह ३० करोड़ रुपया भी शामिल है, जो उन रकमों से अन्तरित किया जायेगा जो पहले भारतीय राज्य बैंक में जमा थी।

२५. **अब मैं अगले साल की पूरी बजट स्थिति का सारांश बतलाता हूं।**

करों और खर्च के वर्तमान स्तर के आधार पर राजस्व में २६७ करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है। पूंजी खाते से किये जाने वाले खर्च की रकम ८२७ करोड़ रुपये, राज्यों और दूसरी पार्टियों को दिये जाने वाले ऋणों की रकम ७१६ करोड़ रुपये और ऋण अदा करने की रकम २२१ करोड़ रुपये होगी। अनुमान है कि २०४१ करोड़ रुपये के इस कुल खर्च के लिये ९६७ करोड़ रुपया देशी और विदेशी ऋणों से २४८ करोड़ रुपया ऋणों की वसूली से, ९० करोड़ रुपया पी० एल० ४८० की रकमों के लगाये जाने से और २८२ करोड़ रूपया 'विविध ऋण और जमा' शीर्षकों से प्राप्त होगा ; और बजट में कुल कमी ४५४ करोड़ रुपये की रह जाएगी।

२६. मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मुझ से यह आशा न रखेंगे कि ४५४ करोड़ रुपये की इस भारी कमी को मैं बिलकुल ही पूरा न करूं। लेकिन अपने प्रस्तावों में यह प्रकट करने से पहले कि मैं किस तरह और किस सीमा तक इस कमी को पूरा करना चाहता हूं मैं उस बात की याद दिलाऊंगा जो मैंने अपना पिछला बजट पेश करते हुए कही थी। मैंने इस बात पर जोर दिया था कि आयोजित अर्थ-व्यवस्था में कर लगाने की नीति न सिर्फ राजकोष के लिये पैसा जुटाने के उद्देश्य को पूरा करती है, बल्कि यह अर्थ-व्यवस्था के विकास की रफ्तार को तेज करने और इस व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के असंतुलन को दूर करने के लिये आर्थिक नीति का साधन भी है। इस लिये मैं इस मौके पर कुछ बातों को फिर से दोहराना चाहूंगा जिन पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। ये बातें आर्थिक प्रवृत्तियों और घटनाओं की उस संक्षिप्त समीक्षा से प्रकट होती हैं जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं।

२७. पहली और सबसे ज्यादा जरूरी बात है—उत्पादन को बढ़ाने और विकास की गति को तेज करने की आवश्यकता। रक्षा और विकास की बढ़ती हुई जरूरतों को उत्पादन का परिमाण बढ़ाकर ही पूरा किया जा सकता है। उत्पादन को बढ़ाने की ज्यादातर जिम्मेदारी प्रायः गैर-सरकारी क्षेत्र पर है। और जब मैं गैर-सरकारी क्षेत्र का उल्लेख करता हूं तब मेरा मतलब संगठित उद्योगों और श्रमिकों से ही नहीं बल्कि हमारे लाखों किसानों और कारीगरों से भी है इसके लिये हमें हर संभव प्रयत्न करना पड़ेगा कि हमारी कुछ खेती और कारखानों की उत्पादन शक्ति का पूरा पूरा उपयोग हाथ में लिये गये काम की दृष्टि से हो। साथ ही, इस बात को भी साफ साफ समझ लिया जाना चाहिये कि हमारे सामने जो काम मौजूद है वह इतना बड़ा है कि हम उसी हद तक उस में सफल होंगे जिस

हदतक हम ऐसा प्रयत्न करने के लिये तैयार होंगे, जो मामूली प्रोत्साहन और पुरस्कार का विचार किये बिना किया जाता है । सरकारी क्षेत्र को भी इसमें अपना योग देना पड़ेगा—खासकर शुरू की गयी सब आयोजनाओं और कार्यक्रमों को शीघ्रता और कुशलता से पूरा करके, ताकि हम जो रुपया लगा रहे हैं उसका फल कम से कम समय में मिलने लगे। चालू प्रायोजनाओं की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, अधिकतर मामलों में, विदेशी सहायता उपलब्ध है। ये प्रायोजनाएं चाहे सरकारी क्षेत्र की हों या गैर-सरकारी क्षेत्र की, उन्हें जल्दी पूरा करने के रास्ते में राजस्व और वित्त संबंधी कठिनाइयों को बाधक बनने देना झूठी मितव्ययता कहलायेगी ।

२८. दूसरी बात, जो मैंने पहले जो कुछ कहा है उससे स्पष्ट हो जानी चाहिए, हमारी विदेशी मुद्रा संबंधी स्थिति की जटिलता है। हमारे शोधन-सन्तुलन (बैलेंस आफ पेमेण्ट्स) पर विकास की आवश्यकताओं और विदेशी ऋण को चुकाने आदि के भार के कारण जो दबाव पड़ रहा है वह जब रक्षा की और ज्यादा बड़ी आवश्यकताओं के कारण बढ़ जायेगा । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य चाहेंगे कि मैं इस अवसर पर उन मित्र देशों के प्रति, खासकर संयुक्त-राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के प्रति इस देश की कृतज्ञता प्रकट करूं, जिन्होंने हमारी जरूरत के समय सैनिक साजसामान और दूसरी चीजें भेजकर हमारी तुरन्त सहायता की। हमारे विकास और हमारी रक्षा के खर्च के लिये हमें विदेशी साधनों के रूप में उदारतापूर्वक सहायता मिल रही है, इस कारण हमें अपने साधनों को ज्यादा से ज्यादा जुटाने के अपने प्रयत्न को ढीला नहीं, बल्कि दुगुना कर देना चाहिये। इसलिये बजट में रुपयों के रूप में आवश्यक साधनों की व्यवस्था ही नहीं करनी पड़ती, बल्कि इसे विदेशी लेन-देन में और अच्छा सन्तुलन लाने में भी सहायता करनी चाहिये। हमने आयात पर पहले ही कड़े से कड़े प्रतिबन्ध लगा रखे हैं और अब ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि और अधिक प्रतिबन्ध लगाने से उत्पादन और निर्यात पर बहुत हानि-कारक प्रभाव पड़ेगा। अपनी प्रारक्षित राशियों (रिजर्व) से और रकमें निकालने की प्राय: कोई गुंजाइश अब नहीं है। विदेशों से सामान और पुर्जे मंगाने के खर्च के लिये ज्यादा सहायता मिलने से हमारे विकास की मौजूदा स्थिति में हमें खास फायदा होता है। मौजदा स्थिति ऐसी है कि ज्यादा विदेशी कच्चा माल और पुर्जे मिलने पर हमारे अपने कारखाने ज्यादा मात्रा में पूंजीगत माल तैयार कर सकते हैं । यह तो ठीक ही है कि हम विदेशी सहायता के रूप और परिमाण में युक्तिसंगत फेरबदल करते रहें, पर साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम निर्यात से होने वाली अपनी आमदनी को बढ़ाने और गैर-फौजी इस्तेमाल की चीजों की खपत को कम से कम रखने की पूरी कोशिश करें। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, हमने देश में सोने के संबंध में एक नयी नीति प्रारम्भ की है जिसका उद्देश्य हमारी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कमी होने का एक मुख्य कारण दूर करना है। प्रभावशाली और व्यापक परिणाम वाली नीति होने के कारण यह केवल उस कारंवाई की ओर संकेत करती है जो हमारी विदेशी मुद्रा की राशियों को क्षमतापूर्ण स्थिति में लाने के लिये कई मोर्चों पर की जानी चाहिये।

२९. आयात के परिमाण को सीमित करने के लिये जो कड़े कदम पहले ही उठाये गये हैं मैं समझता हूं कि उनमें अब निश्चित ढंग के, राजस्व विषयक और भी प्रतिबन्ध जोड़े जाने चाहियें । सीधे नियंत्रणों को कामयाबी के साथ लागू करने के लिये यह जरूरी है कि बजट संबंधी व्यवस्था द्वारा उन्हें और भी मजबूत बनाया जाय और इस बात के जोरदार कारण हैं कि आयातक (इम्पोर्टर) जो नफा उठा रहे हैं—चाहे वह आयात किये हुए माल की सीधी बिक्री से प्राप्त होता हो या उस माल की बिक्री से जिस में आयात किये हुए

माल या सामान का इस्तेमाल किया जाता है –– उसके और भी बड़े भाग को राजकोष में ले जाया जाय। इस सम्बन्ध में सीमा-शुल्कों और उत्पादन-शुल्कों दोनों से काम लिया जायेगा।

३०. निर्यात को बढ़ावा देने के रास्ते में कुछ कुछ इसी तरह की अड़चनें हैं। अपनी अन्दरूनी जरूरत को पूरा करने के लिये हम जो कर लगाते हैं उनके कारण निर्यात उद्योगों के रास्ते में जो कठिनाइयां आती हैं सिर्फ उन्हीं को हमें दूर नहीं करना है, बल्कि हमें नये निर्यात उद्योगों को ठोस वित्तीय प्रोत्साहन भी देना है, ताकि विदेशी मंडियों से काफी माल भेजा जा सके। विकासशील देशों में आयात-शुल्कों को संरक्षण देने का सिद्धांत बहुत समय से उपयुक्त आर्थिक सिद्धांत माना जा चुका है जिसे तथाकथित "शिशु" उद्योग वाले तर्क का समर्थन प्राप्त है। देश के बाजारों में विदेशी उद्योगों से प्रतियोगिता करने वाले देशी उद्योगों के बारे में जो बात सही है वही विकासशील देशों के उन निर्यात-उद्योगों के बारे में भी सही है जिन्हें अधिक उन्नत देशों की उन वस्तुओं से प्रतियोगिता करनी पड़ती है जिसके निर्यात की जड़ें जम चुकी हैं। जिस प्रकार तर्क की दृष्टि से वास्तव में उसी प्रकार व्यावाहरिक आवश्यकता या अन्तर्राष्ट्रीय नीतिशास्त्र की दृष्टि से भी देशी उद्योगों की रक्षा के लिये लगाये गये आयात-शुल्कों में और उन निर्यात-उद्योगों को दिये गये वित्तीय प्रोत्साहन में कोई अन्तर नहीं जान पड़ेगा जो विदेशी बाजारों में अधिक समान आधार पर प्रतियोगिता करने का प्रयत्न करते हैं।

३१. मैंने कुछ बुनियादी आर्थिक विषयों की ओर ध्यान दिलाया है जिनका ख्याल हमें उस समय भी रखना चाहिये जब हम अगले साल के लिये रक्षा संबंधी खर्च में तेजी से भारी वृद्धि करने के बहुत ही कठिन कार्य को पूरा करने जा रहे हैं। ४५४ करोड़ रुपये की कुल कमी का कारण रक्षा संबंधी खर्च में ह प्रायः सारी वृद्धि होना है। साल के शुरू में मुझे आशा थ कि और मेरा अनुमान था कि आयोजना के पहले दो सालों में तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के लक्ष्य के लगभग ८० प्रतिशत भाग की पूर्ति के लिये करों की व्यवस्था कर देने से इस साल ज्यादा अतिरिक्त कर लगाये बगेर ह सभी जरूरी कामों के लिये धन की व्यवस्था करना संभव हो जायेगा। लेकिन हमारी सीमाओं पर पैदा हुए नये खतरे से मेरे लिये यह जरूरी हो गया है कि मैं और भी ज्यादा करों के लिये सभा के सामने अपने प्रस्ताव रखूं। हमारी सीमाओं पर इस समय लड़ाई बन्द होने से हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ नहीं सकते। कितना ही बड़ा प्रयत्न क्यों न करना पड़े, मातृभूमि के सम्मान और अखण्डता की रक्षा के लिये जिन साधनों की आवश्यकता है उन्हें जुटाना ही पड़ेगा। और जब हम इस चुनौती के लिये तैयार हो रहे हैं, तो यह नहीं हो सकता कि हम घाटे की असंयत वित्त-व्यवस्था द्वारा देश को मुद्रा के फैलाव (इन्फ्लेशन) की गड़बड़ में डाल दें।

३२. मुझे इस बात का पूरा पता है कि जिस पैमाने के करों के लिए में प्रस्ताव रखने जा रहा हुं उस से ऐसा बोझ पड़ने जा रहा हे जैसा पहले कभी नहीं पड़ा। इस बात के लिए मैंने पूरी कोशिश की है कि जहां तक सम्भव हो करों का अतिरिक्त बोझ समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से पड़े। माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि हमारी जरूरतें इतनी बड़ी हैं कि समाज के गरीब से ग़रीब लोगों से भी कुछ प्राप्ति की आशा किये बिना हम शायद उन्हें पूरा नहीं कर सकते। जो बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने मौजूद है वह हर नागरिक से कुछ न कुछ त्याग की मांग करती है। इसलिएं यह और भी आवश्यक है कि समानता और सामाजिक न्याय के विचार का, जिसे हमने अपने जीवन का अभिन्न अंग मान लिया है, अब पहले से भी अधिक आदर किया जाना चाहिए।

३३. जिन अतिरिक्त करों के लिए मैं प्रस्ताव रखने जा रहा हूं उनकी प्राप्ति के पूरे प्रयत्न के साथ-साथ, लोगों द्वारा अपने ऊपर संयम रखने की भी उतनी ही जरूरत होगी। वास्तव में सभी वर्गों के लोगों ने मौजूदा संकट में बहुत ज्यादा सहयोग दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस समय देश की सुरक्षा खतरे में पड़ी है उस समय स्वेच्छापूर्ण सहयोग और आत्मसंयम की उसी भावना से काम लिया जायेगा।

३४. देश में अधिक से अधिक खर्च केन्द्र और राज्यों की सरकारों द्वारा किया जाता है। इस बात में कोई सन्देह नहीं कि सरकारी खर्च में किफ़ायत और कार्य-कुशलता से काम लेना साधन जुटाने का वास्तविक आधार है। केन्द्र में कई दिशाओं में किफ़ायत करने के लिए हमने कई कदम उठाये हैं पर वास्तव में खर्च की कुछ मदों को काट देना या कम कर देना या कार्य-प्रणाली के इस या उस नियम को लागू कर देना ही सरकारी खर्च में ज्यादा से ज्यादा किफायत करना नहीं है। हमें जिस बात की आवश्यकता है वह यही कि प्रत्येक सरकारी कार्यक्षेत्र में कम खर्च में ज्यादा काम किया जायें; और कार्य-कुशलता के द्वारा इस तरह की किफ़ायत के लिए जो बात जरूरी है वह है उन सब लोगों के मन की भावना—सतर्कता और उत्तरदायित्व की भावना—जिन्हें सरकारी धन खर्च करने का काम सौंपा गया है, फिर वे चाहे इंजीनियर हों, या सैनिक अधिकारी या ठेकेदार या मजदूर या असैनिक कर्मचारी या मंत्री ही। साथ ही, यह ऐसा काम है जिस हम सबको लगातार करना चाहिए; यह नहीं कि हम में से कोई उसे एक बार करके फिर हमेशा के लिए छोड़ दे।

३५. अब मैं अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए अपने प्रस्ताव पेश करता हूं। लेकिन खास उपायों का प्रस्ताव रखने से पहले में उस विस्तृत योजना को संक्षेप में बताऊंगा जिसे मैंने इन प्रस्तावों को तैयार करते समय ध्यान में रखा है।

(क) मुद्रा के फैलाव से पड़ने वाले दबाव फ़िर से पैदा न हों इस बात से बचने के लिए मैंने बजट की सारी कमी को उस सीमा तक बांध रखने की कोशिश की है जिसे मैं आज की परिस्थितियों में उचित रूप से निरापद समझता हूं।

(ख) लेकिन सारे ही अतिरिक्त साधनों को अतिरिक्त करों से जुटाने का विचार नहीं है। मेरे प्रस्तावों में अनिवार्य (कम्पलसरी) बचतों के लिए एक व्यापक योजना है और इन बचतों से होने वाली आमदनी केन्द्र और राज्यों में बंट जायेगी।

(ग) अतिरिक्त करों की व्यवस्था में मैं सीमा-शुल्कों (कस्टम्स ड्यूटीज़) से ठोस रक़म जुटाना चाहता हूं। अतिरिक्त सीमा-शुल्कों का उद्देश्य शोधन-सन्तुलन (बैलेंस आफ़ पेमेन्ट्स) के दबाव को कम करना और बाहर से मंगायी जाने वाली चीजों के एवज़ में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है।

(घ) मैं एक अधिलाभ-कर (सुपर प्राफ़िट्स टैक्स) द्वारा मौजूदा निगम-कर (कारपोरेशन-टैक्स) की पूर्ति करना चाहता हूं। कर लगने के बाद आमदनियों पर क्रमश: बढ़ने वाला अधिभार (सरचार्ज) लगाकर आयकर से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि करने का भी मेरा विचार है। अनिवार्य बचत योजना में आयकर देने वाले भी भाग लेंगे। मेरे प्रस्तावों में बहुत से परिवर्तन हैं

जिनका उद्देश्य करों की वसूली में शीघ्रता लाना, परिलब्धियों यानी ऊपरी आमदनियों (परक्विज़िट्) की उत्पत्ति और राजकोष (एक्सचेकर) पर बोझ डालने वाले ग़ैर ज़रूरी ख़र्चों को कम करना और कुछ कटौतियों को, जो अभी निगम-करों और सम्पत्ति-कर में की जातीं हैं, युक्तिसंगत आधार पर लाना हैं।

(ङ) कम्पनियों के करों में किये जाने वाले परिवर्तनों में निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है। बाजारों के विकास के लिए बजट सम्बन्धी अंशदान और चाय के निर्यात-शुल्क में कमी करके भी निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(च) उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी परिवर्तन दो भागों में है: (१) जहां, खासतौर पर खपत से शोधन-सन्तुलन बिगड़ता है वहां छंटाई के आधार पर शुल्कों को बढ़ाकर खपत को कम करना और (२) बहुत सी वस्तुओं पर, लेकिन आम जनता के इस्तेमाल की मुख्य वस्तुओं को छोड़कर और बुनियादी बिचली अर्थात् पूंजीगत वस्तुओं पर कई तरह के अधिभार लगाना।

(छ) सीमित रूप में उत्पादन-शुल्कों और सीमा-शुल्कों में परिवर्तन करने के लिए अधिकार मांगने का भी मेरा प्रस्ताव है, ताकि बदलती हुई परिस्थितियों में दोनों में कुछ लचकीलापन लाया जा सके।

(ज) अन्त में, मेरे प्रस्तावों में डाक दरों के परिवर्तन शामिल हैं।

सीमा शुल्क

३६. इस विस्तृत योजना को ध्यान में रखते हुए मैं कई चीजों का आयात-शुल्क बढ़ाना चाहता हूं जिनमें खनिज तेल, मशीन, लोहे और इस्पात का सामान कपास,, रबड़, ताड़ (पाम) तेल, सिनेमा-फ़िल्म, तम्बाकू, रंग धातु का सामान, बिजली के व दूसरे यंत्र और मोटरगाड़ियों के हिस्से शामिल हैं। किरासिन और डीज़ल तेल का आयात तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इसलिए जब तक देश के अन्दर इनका बढ़ता हुआ उत्पादन, मांग के बराबर नहीं पहुंच जायेगा तब तक इनके आयात को सीमा के भीतर रखना होगा। मैं पेट्रोलियम की ज्यादातर चीजों के उत्पादन-शुल्क को काफ़ी बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए उसी हिसाब से आयात-शुल्क बढ़ा दिया जायेगा। मशीनों के शुल्क की सामान्य दर १५ प्रतिशत से बढ़ा कर २० प्रतिशत की जा रही है। कुछ क़िस्म की ज़रूरी मशीनों पर लागू होने वाली १० प्रतिशत की रियायती दर को उसी हिसाब से बढ़ाकर, १५ प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव है। हाल में मशीनें बनाने के हमारे उद्योग ने बड़ी तरक्की की है और हम देश में मशीनें तैयार करने के लिए इस उद्योग की क्षमता को बढ़ावा देना चाहते हैं। जिन परिवर्तनों का मैं प्रस्ताव रख रहा हूं उनसे इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति होगी। लोहे और इस्पात के सामान पर लगने वाले शुल्क में भी सामान्यतः ५ प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। प्रति किलोग्राम कपास पर १० नये पैसे का आयात-शुल्क और कच्चे रबड़ के शुल्क को १० प्रतिशत से बढ़ा कर २० प्रतिशत कर देने का भी मेरा प्रस्ताव है। बिना खिंची फ़िल्म का शुल्क प्रति १०० रेखा (लीनियर) मीटर ६.६० रुपये से बढ़ा कर १२ रुपया किया गया है और खिंची फिल्म पर लगने वाले शुल्क को सांविधिक (स्टेच्यूटरी) दर पर लाने का मेरा प्रस्ताव है जिसमें प्रति सन्तुलनकारी, अर्थात् सम प्रभाव पैदा करने वाला (काऊन्टर-वेलिंग) शुल्क शामिल है। ताड़ (पाम) तेल के शुल्क में १० प्रतिशत की वृद्धि की जा

रही है जो अब भी सांविधिक (स्टेच्यूटरी) दर के आधे से कम होगी। मशीनी औज़ारों और खेती के औज़ारों को छोड़कर, कुछ क़िस्म के औज़ारों के शुल्क को ५० प्रतिशत से बढ़ा कर ६० प्रतिशत और धातु के आम सामान के शुल्क को ७५ प्रतिशत से बढ़ा कर १०० प्रतिशत कर देने का मेरा प्रस्ताव है। मोटर गाड़ियों के कुछ हिस्सों के शुल्क को २५ प्रतिशत से बढ़ा कर ५० प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव है। इस से स्वदेशी उत्पादन को और भी बढ़ावा मिलेगा। बिजली और ग़ैर-बिजली के औज़ारों के शुल्क में १० प्रतिशत की वृद्धि करने का भी मेरा प्रस्ताव है। इन और दूसरे परिवर्तनों से, जिनका यहां ब्योरा देने की ज़रूरत नहीं है, १९६३–६४ में ६५.९८ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

३७. सभी आयात-शुल्कों पर १० प्रतिशत का आम सरचार्ज लगाने का भी मेरा प्रस्ताव है। प्रति-सन्तुलनकारी शुल्कों को शामिल किये बिना ही इस सरचार्ज का हिसाब लगाया जायेगा। जहां तक प्रतिसन्तुलनकारी शुल्कों का सम्बन्ध है, उत्पादन-शुल्कों में हेरफेर होने से राजस्व में वृद्धि होगी, जिसका जिक्र मैं कुछ बाद में करूंगा। इस के अलावा, चूंकि बहुत से उत्पादन-शुल्क मूल्य के आधार पर लगे हुए हैं, इसलिए प्रस्ताव है कि उसी तरह के प्रति-सन्तुलनकारी शुल्क का हिसाब माल के उतरने की लागत के आधार पर लगाया जाय, जिसमें बुनियादी आयात-शुल्क शामिल हों, वस्तु के लागत-बीमा-भाड़ा (सहित मूल्य) के आधार पर नहीं। अगले साल आयात अधिभार (सरचार्ज) और प्रति-सन्तुलनकारी (काउन्टरवेलिंग) शुल्कों से प्राप्त होने वाला कुल अतिरिक्त राजस्व २६.७९ करोड़ रुपया आंका गया है।

३८. निर्यात को बढ़ावा देने के ख्याल से चाय के निर्यात शुल्क को उठा लेने पर उत्पादन-शुल्क की वापसी को, जो अभी इस के निर्यात पर की जाती है, बन्द कर देने का प्रस्ताव है। इसे सीमा-शुल्कों की प्राप्ति में ५.३८ करोड़ रुपये की कमी हो जायगी। सीमाशुल्कों में होने वाले सभी परिवर्तनों का परिणाम यह होगा कि १९६३–६४ राजस्व में ८७.३९ करोड़ रुपये की वृद्धि जायगी।

३९. माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि सीमा-शुल्कों में इस पैमाने पर की गयी वृद्धि का उद्देश्य आयात की मांग को निश्चित रूप से कम करना और विदेशी माल का मुकाबला करने वाली चीज़ों के स्वदेशी उत्पादन को पूरी तरह से बढ़ावा देना है। ऐसे समय में, जब हम बाहर से ज़रूरी तौर पर वही सामान मंगाते हैं जो विकास-कार्यों के काम आता है, आयात-शुल्कों में यह भारी वृद्धि कोई मामूली बात नहीं है। हमें इस बात का भी खयाल रखना है कि विश्व व्यापार के बड़ते हुए परिमाण का, जो सभी तरफ़ उदारतापूर्ण व्यापार नीतियों पर आधारित है, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी हमारी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के हमारे प्रत्यत्नों से गहरा सम्बन्ध है। इन बातों को देखते हुए अगर मैंने इतने बड़े पैमाने पर सीमा-शुल्कों में वृद्धि करना ज़रूरी समझा है, तो इस का कारण यही है कि पिछले कुछ सालों में हमारे आयातों में बहुत वृद्धि हुई है और उन आयातों का मूल्य चुकाने के लिए, जो हमारी अर्थ-व्यवस्था के विकास के साथ-साथ अनिवार्य रूप से बढ़ते ही जायंगे हम बराबर अपने मित्रों की उदारता पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रह सकते।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क

४०. पेट्रोलियम की चीजों के इस्तेमाल को सीमित करने का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि मोटर स्पिरिट का बुनियादी उत्पादन-शुल्क

३२५.१० रुपये से बढ़ाकर ४१० रुपये, साफ किये हुये डीजल ग्रायल का ३०५.२५ रुपये से बढ़ाकर ३९० रुपये, बढ़िया किरासिन तेल की ७९.८८ रुपये की मौजूदा बुनियादी दर को बढ़ाकर २१० रुपये ग्रौर घटिया किरासिन तेल का बुनियादी उत्पादन-शुल्क ६४.२० रुपये से बढ़ाकर १६० रुपये कर दिया जाय ; ये सभी वृद्धियां प्रति किलो लिटर के हिसाब से की जायंगी । इसी तरह उड़नेवाले तेल पर लगने वाले शुल्क में प्रति किलो लिटर २८३.९५ रुपये से ३७० रुपये ग्रौर डीजल तेल के शुल्क में, जिसका ग्रन्यथा उल्लेख न हुग्रा हो, ११७.७० रुपये से १९५ रुपये प्रति मेट्रिक टन की वृद्धि की जायगी । इन वृद्धियों से १९६३–६४ में ४८.४० करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । मुझे पता है कि किरासिन तेल के शुल्क में वृद्धि होने से—जिसका उद्देश्य इसकी बढ़ती हुई मांग को काबू में रखना है, क्योंकि इसे ज्यादातर बाहर से मंगाना पड़ता है—समाज के गरीब लोगों पर ग्रसर पड़ेगा, खासकर देहात में । बिना साफ किये हुये ग्रसारीय निर्गन्ध बनस्पति तेल (वेजिटेबिल नान-ऐंशल ग्रायल), जिसमें खाने के साधारण तेल शामिल हैं, के उत्पादन-शुल्क को हटाकर इस वृद्धि को ग्रांशिक रूप से बराबर कर देने का मेरा प्रस्ताव है । इससे राजस्व में हर साल १०.२५ करोड़ रुपये का घाटा रहेगा । लेकिन मेरा प्रस्ताव है कि बनस्पति (वेजिटेबिल प्रोडक्ट), रंग ग्रौर रोगन ग्रौर साबुन के शुल्क की दरों में वृद्धि कर दी जाय, जिससे इन चीजों में पड़ने वाले तेल के लिये जो शुल्क ग्रभी ग्रदा किया जाता था वह इन पर लगने वाले शुल की दरों में वृद्धि होने से लगभग पूरा हो जायगा । यह भी प्रस्ताव है कि सिगरटों के शुल्क की दरों में क्रमिक (ग्रेडेड) वृद्धि की जाय, जो सबसे सस्ती फी हजार सिगरटों पर ७० नये पैसे से लेकर फी हजार महंगी सिगरटों पर ८.७० रुपये तक होगी । मेरा यह भी प्रस्ताव है कि धूम्रशोधित (फ्लू क्योर्ड) तम्बाकू को छोड़, उस ग्रनिर्मित (ग्रनमैनुफैक्चर्ड) तम्बाकू के शुल्क की दर में ४० नये पैसे प्रति किलोग्रामक की वृद्धि की जाय जो सिगरट, बीड़ी वगैरह बनाने के काम में नहीं लायी जाती । तांबे के शुल्क में २०० रुपया प्रति मेट्रिक टन की वृद्धि करने का भी मेरा प्रस्ताव है ताकि इसका इस्तेमाल कम हो जाय । यह भी प्रस्ताव है कि जहां घास की लुगदी से बने गत्ते (स्ट्राबोर्ड) का वार्षिक उत्पादन १५०० मेट्रिक टन से ज्यादा है वहां इसके शुल्क में वृद्धि कर दी जाय । इस्पात का सामान तैयार करने वाले बहु-संख्यक कारखानों के नियंत्रण को सीमित करने के लिये ग्रौर लोहे व इस्पात के सामान पर शुल्क लगाने के काम को ग्रासान बनाने के लिये, इस मद के शुल्क के ढांचे में हेरफेर करने का प्रस्ताव है, लेकिन इससे राजस्व में कोई घट-बढ़ नहीं होगी । डलों (इंगट) की हालत में लगने वाले शुल्क के ग्रलावा इस्पात की बड़ी छड़ों (ब्लूम) दरमियानी छड़ों (बिलेट), खंडों (स्लैब), इस्पाती छड़ों, टीन की छड़ों ग्रौर बेलचे की छड़ों (होबार) पर प्रति मेट्रिक टन ३० रुपये का शुल्क लगाया जायगा, लेकिन सरियों, छड़ों, तारों, गढ़ी चीजों, ढांचेवाले सामान ग्रौर दूसरी चीजों में ग्रति-रिक्त शुल्क उस हालत में नहीं लगाया जायगा जब ये सब चीजें ग्रध-तैयार (सेमी फिनिश्ड) इस्पात से तैयार की जायेंगी जिसके लिये ३० रुपये का यह शुल्क ग्रदा किया जा चुका है । इसी तरह चादरों (शीट) मोटी चादरों (प्लेट), छल्लों (हूप) ग्रौर नल बनाने की नरम इस्पाती चादर (स्कैल्प) के शुल्क में भी ३० रुपये प्रति टन की कमी कर दी जायगी । उत्पादन शुल्क की दरों में इन परिवर्तनों से ग्रगले साल ६०.२८ करोड़ रुपये का ग्रतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा जिसमें से ९.६० करोड़ रुपया राज्यों को, उनके हिस्से के रूप में दे दिया जायगा।

४१. मैं इस साल कोई नया उत्पादन-शुल्क नहीं लगाना चाहता, लेकिन जिन थोड़ी सी मदों का जिक्र मैंने ग्रभी ही किया है उनकी दरों में फेरबदल करने के ग्रलावा मैं बहुत सी चीजों के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क पर, छंटाई के ग्राधार पर, ग्रधिभार (सरचार्ज) लगाना चाहता हूं, ताकि सिर्फ केन्द्र के लिये ही राजस्व जुटाया जा सके जिसे रक्षा का बोझ संभालना पड़ता है। वैज्ञानिक

विधि से तैयार किये गये रंगों, लिखने और छापने के, कागज, जूट की चीजों, शीशा (जिसमें प्लेट और शीट का शीशा शामिल नहीं है), चीनी मिट्टी के बर्तनों (चाइनावेयर और पोर्सिलेन-वेयर) टीनप्लेट, अन्दर से जलने वाले इंजनों, बिजली की स्टोरेज बैटरियों, बिजली के बल्बों, मोटर स्पिरिट और डीजल तेलों के शुल्क पर १० प्रतिशत का अधिभार (सरचार्ज) लगाया जायगा। चाय, कहवा (काफी) अनिर्मित (अनमैनुफैक्चर्ड) तम्बाकू, सिगरटों, बनास्पती (वेजिटेबल प्रोडक्ट), रंग और रोगनों, साबुन श्रृंगार-सामग्री, प्लास्टिक की चीजों, सेलोफेन, टायरों, रबड़ की चीजों, कागज (जिसमें लिखने और छापने का कागज शामिल नहीं है), ३५ सूत्रांक (काउण्ट) से कम के रूई के सूत, ऊनी कपड़ों, आर्ट सिल्क के कपड़ों, सीमेंट, शीशे की प्लेटों और चादरों, बिजली की मोटरों, बिजली की ड्राई बैटरियों, बिजली के पंखों, मोटर कारों को छोड़ कर दूसरी मोटर गाड़ियों, फिल्मों और एलूमीनियम पर २० प्रतिशत सरचार्ज लगाया जायगा। सिगारों, रेयन और ऊन के धागों, ३५ सूत्रांक (काउण्ट) या उससे अधिक के रूई के सूत, रेशमी कपड़ों, प्रशीतकों (रेफ्रिजरेटरों) और वातानुकूलन (एयर-कंडीशनिंग) के यंत्रों और उनके हिस्सों, वायरलेस सेटों, रेडियोग्रामों और मोटर गाड़ियों पर ३३¹/₃ प्रतिशत का अधिभार (सरचार्ज) लगाया जायगा। अधिभारों को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि चुनी हुई बिजली (इंटरमीजिएट) वस्तुओं पर इनका बोझ कम पड़े और उन मौज-मजे की चीजों पर ज्यादा जिनका इस्तेमाल धनी लोग करते हैं। जहां तक आम इस्तेमाल की चीजों का संबंध है उनके उत्पादन शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा, जैसे कि चीनी, सूती कपड़ों, जूतों, दियासलाइयों और साइकिल के हिस्सों और पेटेंट व मालिकाना हक वाली दवाओं के संबंध में। ज्यादातर बुनियादी बिचली (इंटरमीजिएट) और दूसरी चीजों को, जैसे कि सोडा ऐश, कास्टिक सोडे, एसिडों गैसों, परतदार लकड़ियों (प्लाइवुड), एस्बेस्टस सीमेंट की चीजों, कच्चे लोहे, इस्पात के डलों लोहे व इस्पात के सामान, जस्ते (जिंक), भट्टी के तेल, अस्फाल्ट, बिटुमिन, पेट्रोलियम की उन चीजों जिनका अन्यथा उल्लेख न हो और बिजली के तारों और केबुलों को भी अधिभार (सरचार्ज) की सीमा से बाहर रखा गया है।

४२. अधिभार (सरचार्ज) से कुल ५५.९३ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। जो कारण में पहले बता चुका हूं उससे वित्त विधेयक (फाइनेंस बिल) में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि अधिभार में से राज्य हिस्सा नहीं लेंगे। उत्पादन शुल्कों और अधिभारों में किये गये परिवर्तनों से १९६३-६४ में केन्द्र को १०६.६१ करोड़ रुपये का वास्तविक अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

४३. उत्पादन-शुल्क में किये गये परिवर्तनों से मूल्यों पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके संबंध में सभा की चिंता में मैं भी शामिल हूं। इसलिये यह मानकर कि शुल्क का सारा बोझ चीजों का इस्तेमाल करने वाले के सिर पर डाल दिया जाता है, जो वास्तव में होना नहीं चाहिये, मैं आम इस्तेमाल की चीजों के मूल्यों पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव का जिक्र करूंगा। चूंकि खाने के साधारण तेलों पर से शुल्क हटा दिया गया है, इसलिये इनकी कीमतें कम हो जानी चाहियें। दियासलाइयों, चीनी और जूतों की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं किया गया, इसलिये इनकी कीमतें बिलकुल ही न बढ़नी चाहियें। रूई के सूत के अधिभार (सरचार्ज) और कपास पर लगने वाले आयात शुल्क की वृद्धि का मतलब प्रति वर्ग मीटर सूती कपड़ों पर, सिर्फ एक नये पैसे और उसके कुछ अंश की वृद्धि होना है, इसलिए इनकी कीमतों में भी कोई बढ़ती न होनी चाहिये।

चाय के शुल्क में उसकी किस्म के अनुसार, प्रति किलोग्राम ३ से ९ नये पैसे की वृद्धि हुई है, जबकि वनास्पति के शुल्क में प्रति किलोग्राम ६ नये पैसे की वृद्धि हुई है। धोने के साबुन के शुल्क में ४५ तोले की छड़ पर १.५ नये पैसे की वृद्धि हुई है। खास बढ़ती, जो किरासिन तेल के शुल्क में हुई है, बढ़िया किरासिन तेल की एक बोतल पर १० नये पैसे और घटिया किरासिन तेल की एक बोतल पर ७ नये पैसे होगी। इस बात को निश्चित करने के लिए कि अनुचित मूल्य-वृद्धि से नफाखोरी न हो, भारत रक्षा नियमों (डिफेंस आफ इंडिया रूल्स) के अनुसार उपयुक्त आदेश निकाले जा रहे हैं।

४४. हमारी वर्तमान स्थिति में, नफाखोरी की रोकथाम करने और मांग तथा साधनों को ठीक रखने के लिए थोड़े समय में ही उचित कार्रवाई करने का अधिकार होना जरूरी है। सरकार को इन शुल्कों में कमी करने का अधिकार पहले से है। वित्त विधेयक (फाइनेंस बिल) में साल के अन्दर सीमा-शुल्क या उत्पादन शुल्क बढ़ाने या निर्दिष्ट सीमाओं के अन्दर कोई सीमा-शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त करने का भी प्रस्ताव है,। जिन सीमाओं का प्रस्ताव रखा गया है वे उत्पादन-शुल्क लगने वाली चीजों के लिये, मूल्य के अनुसार १० प्रतिशत और इस दर या वर्तमान सांविधिक (स्टच्यूटरी) दर की २५ प्रतिशत है, आयात-शुल्क के लिए जो भी ऊंची हो। सीमाओं के अन्दर उत्पादन और सीमा शुल्कों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त होने पर, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार, राजस्व नीति में फेरबदल करना संभव हो जायगा।

प्रत्यक्ष कर

४५. प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र, में,केन्द्रीय सरकार के हेतु, व्यक्तियों, अनबटे हिन्दू परिवारों, बिना रजिस्टरी वाले फर्मों और व्यक्तियों की संस्थाओं की आमदनियों पर, कर लगने के बाद ४ प्रतिशत से लेकर १० प्रतिशत तक क्रमशः बढ़ने वाला अतिरिक्त अधिभार लगाने का मेरा प्रस्ताव है। जैसाकि मैं आगे चलकर बताऊंगा, इस अतिरिक्त देयता के एक भाग को अनिवार्य जमा द्वारा भुगताया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार के लिए, रजिस्टर्ड फर्मों द्वारा दिए जाने वाले आयकर पर २० प्रतिशत का अधिभार लगाने का भी प्रस्ताव है। १९६३–६४ में इस व्यवस्था से ४५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होने का अनुमान है। आयकर पर लगने वाले मौजूदा अधिभारों और विशेष अधिभार के संबंध में कुछ अनबटे हिन्दू परिवारों के लिये १५००० रुप की और बिना रजिस्टरी के फर्मों वगैरह के लिये ७५०० रुपये की छूट की मौजूदा ऊंची सीमाओं को खत्म कर देने का मेरा प्रस्ताव है। इस व्यवस्था से मामूली सी ही प्राप्ति होगी, लेकिन इन ऊंची सीमाओं के संबंध में सीमांतीय सहायता (मार्जिनल रिलीफ) की प्रणाली के हट जाने से इन अधिभारों के ढांचे में सरलता आ जायेगी।

४६. करों की वसूलियों में शीघ्रता लाने के लिये आयकर अधिनियम की धारा १४१-क में एक नया उपबन्ध जोड़ने का मेरा प्रस्ताव है जिसके द्वारा यह व्यवस्था हो जायगी कि जो करदाता लगाये गये कर की रकम या पेश किये गये विवरणों के आधार पर दिया जाने वाला कर, सम्बद्ध कर-निर्धारण वर्ष की पहली जनवरी से पहले चुकता कर देंगे वे अदा किये गये कर में से १ प्रतिशत की कमी के हकेदार होंगे। इसी तरह यह व्यवस्था भी की गयी है कि जो करदाता अपने विवरणों के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष की ३१ दिसम्बर तक कर अदा नहीं करेंगे उन्हें अपने विवरणों के आधार पर दिये जाने वाले कर की रकम का २ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा। आयकर अधिनियम की धारा २०९ और २१० में भी इस उद्देश्य से संशोधन किया जा रहा है कि करदाता द्वारा दिये जाने वाले कर के सबसे अन्त में पूरे किये गये नियमित कर-निर्धारण के

आधार पर इनकम टैक्स अफसर द्वारा मांगे गये अग्रिम कर की रकम में उस हालत में फेरबदल किया जा सकता है जब बाद के किसी वर्ष के लिये अनन्तिम (प्राविजनल) कर-निर्धारण रा आंकी गयी आमदनी ज्यादा बैठती हो। यह भी प्रस्ताव है कि कम्पनियों के मामले में, किसी व्यक्तिगत कर्मचारी के पारिश्रमिक और ऊपरी आमदनी (परक्विजिट) के संबंध में खर्च की जाने वाली क तैती को ६०,००० रुपये वार्षिक तक सीमित कर दिया जाय। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात का अनुभव करेंगे कि विशेष सुविधा-प्राप्त कर्मचारियों की ऊपरी आमदनी की अधिकता और ऊंची तनख्वाहें आज की कम्पनियों की उन असाधारण बातों में से एक है जिसे अनियंत्रित नहीं रखा जा सकता। करों की वसूली में शीघ्रता करने और ऊंची तनख्वाहों और ऊपरी आमदनियों पर रोक लगाने के इन उपायों से १९६३-६४ में १२ करोड़ रुपये की प्राप्ति होने का अनुमान है।

४७. आयकर अधिनियम की धारा १३९ और २२० की उन व्यवस्थाओं में भी संशोधन करने का मेरा प्रस्ताव है जिनका संबंध विवरण दाखिल करने में देरी होने और समय पर कर की रकम अदा न होने पर ब्याज लगाने के संबंध में है, ताकि किसी अपील, निर्देश (रेफरेंस) या पुनरीक्षण (रिवीजन) के संबंध में दिये गये आदेश के आधार पर लगाये गये कर की रकम में की गयी कमी के परिणामस्वरूप ब्याज की रकम में भी कमी की जा सके। विवरण भरने में देर होने पर ब्याज लगाने के संबंध में भी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिस के द्वारा आयकर अधिकारियों को यह अधिकार मिल जायगा कि कठिनाई के उन मामलों में वे ब्याज छोड़ें या कम कर दें जहां विवरण भेजने में देरी उन कारणों से हुई जो करदाता के वश में नहीं थे।

४८. करों की वसूली करने वाले अफसरों के रूप में काम करने वाले राज्य सरकारों के अफसरों की मार्फत करों की बकाया रकमों की वसूली के संबंध में आयकर अधिनियम की व्यवस्थाओं में कुछ संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, ताकि कुछ कठिनाइयां दूर हो जायें और करों की वसूली शीघ्रता से हो।

४९. करदाताओं की वास्तविक सम्पत्ति का हिसाब लगाने के लिये सम्पत्ति-कर अधिनियम की धारा ५ में २५,००० रुपये तक के जेवरों के लिये दी जाने वाली मौजूदा छूट को वापस ले लेने का भी मेरा प्रस्ताव है। ऐसे समय में, जबकि हम सोने के आकर्षण को कम करने की एक नयी स्वर्ण निति पर चल रहे हैं, तो सम्पत्ति-कर में जेवरों को छूट देना ठीक नहीं होगा। इस व्यवस्था से लगभग ४० लाख रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति का अनुमान है।

५०. १० वर्षीय राजकोष जमा-पत्रों और १२ वर्षीय राष्ट्रीय आयोजना बचतपत्रों के स्थान पर, जो सम्पत्ति-कर से मुक्त हैं, १० वर्षीय रक्षा जमापत्र और १२ वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा-पत्र जारी किये गये हैं। इसलिये प्रस्ताव है कि सम्पत्ति कर अधिनियम के अधीन, नये पत्रों को भी करमुक्त परिसम्पत्ति (एसेट्स) की श्रेणी में ले आया जाय।

निर्यात

५१ माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले साल निर्यातकों (एक्सपोर्टर) को आयकर में रियायत दी गयी थी। उसे इस साल भी जारी रखने का मेरा प्रस्ताव है। इसके अलावा, मैं निर्माताओं को दिये जाने वाले प्रोत्साहन में भी वृद्धि करना चाहता हूं। यह प्रोत्साहन ऐसे निर्माताओं को दिया जायगा जो उन उद्योगों में से किसी एक में लगे हुये हैं जो उद्योग (विकास और नियमन)

अधिनियम, १९५१ की पहली अनुसूची में दर्ज हैं और जो उल्लिखित उद्योगों के अलावा हैं या जो अधिसूचित किये जायेंगे और जो अपने माल का आप ही निर्यात करते हैं या जहां उन के द्वारा तैयार किये गये माल का निर्यात पहले खरीदार द्वारा किया जाता है। ऐसे निर्माताओं को, कर की मौजूदा छूट के साथ, इसके बाद किये गये ऐसे निर्यातों के मूल्य के २ प्रतिशत के बराबर की रकम पर आयकर और अधिकार की और छूट दी जायगी जो कर की उस रकम से ज्यादा नहीं होगी जो अन्यथा अपनी कुल आमदनी पर उनके द्वारा देय होती।

५२. हमारे नये उद्योग धंधे समुद्र पार के बाजारों में घुसने में जिन कठिनाइयों और अड़चनों का सामना कर रहे हैं उन पर विजय पाने में उनकी सहायता करने की आवश्यकता और महत्व का संकेत मैं पहले दे चुका हूं। यदि हमें अपने निर्यात के स्तरों में उस तरह की वृद्धि करनी है जो विदेशी मुद्रा की चली आ रही तंगी को दूर करने के लिये जरूरी है, तो हमें अपने नये उद्योगों से यह आशा करनी ही होगी कि वे निर्यात बाजारों की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। नये बाजारों का विकास करने के लिये, जिसमें प्रकाशन, सर्वेक्षण, अनुसंधान और निर्यात-प्रोत्साहन शामिल है, १९६३-६५ के बजट में ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। निर्यात-प्रोत्साहन के महत्वपूर्ण कार्य में सहायता देने के लिये, इस रकम में से मुनासिब रकमें निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल) और दूसरी ऐसी ही संस्थाओं को दी जायंगी।

अधिलाभ कर

५३. अभी तक मैंने करों के मौजूदा साधनों में व्यावहारिक वृद्धियां करने की ओर ही ध्यान दिया है। लेकिन ये वृद्धियां इतनी नहीं हैं कि इनसे पर्याप्त साधन जुटाये जा सकें या उस बोझ को उचित रूप से बांटा जा सके जिसे हमें उठाना है।

५४. निगम-कर की हमारी प्रणाली में कर की दर और लाभ के प्रतिशत में आपसी संबंध नहीं है। इस कमी को दूर करने की जरूरत है, खासकर इस आड़े वक्त में जबकि बाकी समाज की तरह निगम क्षेत्र (कारपोरेट सेक्टर) को बढ़े हुये राष्ट्रीय उत्तरदायित्व में से अपने हिस्से का दायित्व संभालना चाहिये। मौजूदा प्रणाली में हेरफेर करने की बजाय मैं इसके ऊपर एक अधि-लाभ कर लगाना चहता हूं। यह कर उस समय लागू होगा जब किसी कम्पनी की आमदनी, उसके द्वारा दिये जाने वाले आयकर और अधिकर को घटा देने के बाद उसकी पूंजी और प्रारक्षित राशियों के —उन राशियों को छोड़ कर जो आयकर के लिये कुल आमदनी का हिसाब लगाने में कटौती मान ली गयी हैं— ६ प्रतिशत से बढ़ जायगी। जब वह रकम पूंजी के ६ प्रतिशत से अधिक, लेकिन १० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, तो कर की दर ५० प्रतिशत होगी और १० प्रतिशत से अधिक होने पर ६० प्रतिशत होगी। आशा है कि इस कर से बहुत ज्यादा नफा कमाने की प्रवृत्ति घटेगी और मूल्यों को कम करने में सहायता मिलेगी।

५५. कमीशन, विज्ञापन और खातिरदारी के खर्च में उस सीमा तक कमी करने का प्रस्ताव है जहां तक यह विश्वास करने का कारण है कि नफे को कम करके दिखलाने के लिये इसे बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जाता है।

५६. अधिलाभ-कर से १९६३–६४ में २५ करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान है।

अनिवार्य बचत

५७. विकास की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, करों के अलावा लोगों द्वारा अपनी इच्छा से की जाने वाली बचतों पर हमारा भरोसा रहा है। मौजूदा संकट में भी

स्वेच्छा से की गयी बचतों और अंशदान को महत्वपूर्ण भाग लेना है। लेकिन हमारी आवश्यकताओं में तेजी से वृद्धि होने के कारण, अतिरिक्त कर-निर्धारण और स्वेच्छापूर्ण बचतों के प्रयत्न की पूर्ति के लिये अनिवार्य बचत की एक व्यापक योजना को चालू करना उचित होगा। करों की तरह, अनिवार्य बचतों से मांग को अति निकट भविष्य में कम किया जा सकेगा; जबकि मांग के विपरीत इससे लोगों के लिये आमदनी का जरिया निकल जायेगा और देश में बचत की आदत डालने में आम तौर पर सहायता मिलेगी।

५८. इस उद्देश्य से, मैं एक विधेयक (बिल) पेश कर रहा हूं जिस से लोगों के विभिन्न वर्गों द्वारा उचित आधार पर अनिवार्य बचत किये जाने की व्यवस्था करने के लिये सरकार को अधिकार मिल जायगा। स विधेयक में बचत की अधिकतम सीमायें निर्धारित कर दी जायेंगी। जो इस प्रकार होंगी : किसानों के लिये, १९५९–६० के कर-निर्धारण के आधार पर बुनियादी मालगुजा ी (लैंड रेविन्यू) का ५० प्रतिशत, शहरी लाकों के जायदाद के मालिकों के लिये जायदाद के सालाना किराये का ३ प्रतिशत जो कर्मचारी १,५०० रुपया सालाना से ज्यादा कमाते हैं, पर जिन्हें आयकर नहीं देना पड़ता, उनके लिये तनख्वाह का ३ प्रतिशत और पेशेवर व दूसरे वर्गों के लिये ऐसी ही दूसरी दरें। आयकर देने वाले उन व्यक्तियों के मामले में, जिनकी आमदनी कर चुकाने के बाद ६,००० रुपये से ज्यादा न होगी, इस रकम के ३ प्रतिशत के बराबर की रकम और दूसरे लोगों के मामलों में जिनकी बची हुई आमदनी इससे ज्यादा होगी, इस रकम के २ प्रतिशत के बराबर की रकम अनिवार्य बचत योजना के अनुसार जमा करने पर, उनके द्वारा दिये जाने वाले नये अतिरिक्त अधिभार से घटा दी जायगी। केन्द्रीय अधिभार से ४५ करोड़ रुपये की जो कुल प्राप्ति होगी, जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है, उसमें से लगभग १२ करोड़ रुपये अनिवार्य जमा के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। इस योजना के अनुसार जमा हुई रकमें पांच साल तक निकाली न जा सकेंगी और उन पर प्रतिवर्ष ४ प्रतिशत का सरल ब्याज दिया जायगा।

५९. अनिवार्य रूप से जमा की जाने वाली रक़मों की वसूली के लिए राज्यों के सहयोग से, जिन्हें इस योजना से होने वाली प्राप्तियों में से हिस्सा मिलेगा, व्यवस्था की जा रही है। यह अनुमान लगाना कठिन है कि इस योजना के अनुसार कुल कितनी वसूलियां होंगी और अतिरिक्त साधनों के लिए कितनी वास्तविक प्राप्ति होगी, लेकिन अन्दाजा है कि कुल वसूलियां ६५ करोड़ रुपये और ९० करोड़ रुपये के बीच होंगी। राज्यों के साथ प्राप्तियों के बंटवारे की व्यवस्था होने तक में केन्द्रीय राजस्व खाते में अनिवार्य बचतों के ४० करोड़ रुपये जमा कर रहा हूं जिनमें से १२ करोड़ रुपये आयकर देने वालों से मिलेंगे।

६०. इस तरह सभी प्रस्तावित प्रत्यक्ष करों से जो अतिरिक्त प्राप्ति होगी और जिसमें अनिवार्य बचतें भी शामिल हैं उसकी रक़म ११०·४ करोड़ रुपया होगी, जिसमें ४० करोड़ रुपये अनिवार्य बचतों के; ३३ करोड़ रुपये आयकर पर लगने वाले केन्द्रीय अधिभार के और २५ करोड़ रुपये अधिलाभ-कर के होंगे तथा १२.४ करोड़ रुपये युक्ति-संगत व्यवस्था करने और छूटों में कमी करने या उन्हें बिल्कुल ही उड़ा देने की व्यवस्था के फलस्वरूप प्राप्त होंगे।

डाक दरें

६१. जैसा कि सभा को मालूम है, डाक और तार विभाग की डाक और तार शाखायें प्रायः घाटे पर चल रही हैं। डाक शाखा की तरफ़ हमने जिन सेवाओं की व्यवस्था की है उनमें से बहुतों में घाटा हो रहा है। पोस्ट कार्ड की औसत लागत ८ नये पैसे है लेकिन हम ५ नये पैसे ही लेते हैं। सिर्फ़

पोस्ट कार्डों पर ही हर साल ३ करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा होता है। रजिस्टर्ड पत्रों पर हमें १ $^1/_2$ करोड़ रु० का घाटा रहता है। डाक और तार घर खोल कर दूर-दूर के क्षेत्रों में डाक और तार की सेवाएं पहुंचायी जा रही हैं लेकिन उनसे फ़ायदा नहीं होता। इन्हीं सब बातों का विचार करके एक पोस्ट कार्ड की ५ नये पैसे की मौजूदा दर को और जवाबी पोस्ट कार्ड की १० नये पैसे की मौजूदा दर को क्रमशः ६ नये पैसे और १२ नये पैसे कर देने का प्रस्ताव है। एक अलग श्रेणी के रूप में स्थानीय पोस्ट कार्डों को हटा दिया जायगा। बुक पैटर्न और सेम्पुल पैकेट की दर पहले ५० ग्राम के लिये ८ नये पैसे और हर अतिरिक्त २५ ग्राम के लिये ३ नये पैसे से बढ़ा कर क्रमशः १० नये पैसे और ५ नये पैसे कर दी जायगी। पार्सलों की दरों में भी वृद्धि की जायगी और हर ४०० ग्राम के लिए ५० नये पैसे के मौजूदा महसूल को बढ़ा कर ६० नये पैसे कर दिया जायगा। रजिस्ट्रेशन-फीस को ५० नये पैसे से बढ़ा कर ५५ नये पैसे कर देने और रसीद की फीस को ६ नये पैसे से बढ़ा कर १० नये पैसे कर देने का प्रस्ताव है। सर्टिफिकेट आफ़ पोस्टिंग, बीमा, व्यवसाय सम्बन्धी परिमिटों की फीसों और पोस्ट बाक्स के किरायों में भी कुछ वृद्धियां करने का प्रस्ताव है। अनुमान है कि डाक दरों की वृद्धि से लगभग ३·१५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

६२. अन्तर्देशीय तार की दरों में भी पहले ८ शब्दों के लिए ८० नये पैसे और हर अतिरिक्त शब्द के लिए ८ नये पैसे की जगह पहले १० शब्दों के लिए एक रुपया और हर अतिरिक्त शब्द के लिये १० नये पैसे का परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। बधाई के तारों का महसूल ६ शब्दों के लिए ५० नये पैसे और हर अतिरिक्त शब्द के लिए ७ नये पैसे से बढ़ा कर पहले के शब्दों के लिए ७५ नये पैसे और हर अतिरिक्त शब्द के लिये १० नये पैसे कर दिया जायगा। इसी तरह एक्सप्रेस तारों की दरों में दुगुनी वृद्धि कर दी जायगी। बधाई के तारों को मिलाकर स्थानीय तारों की अलग श्रेणी को समाप्त कर दिया जायगा। अभी तार के संक्षिप्त पतों के रजिस्ट्रेशन का महसूल रजिस्ट्रेशन की मान्यता की अवधि के साथ साथ बदलता रहता है। भविष्य में इसके लिए, १२ महीने की अवधि के लिए ५० रुपये की एक समान फीस लेने का प्रस्ताव है। अनुमान है कि इन उपायों से ९५ लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

६३. जहां तक ट्रंक टेलीफोनों का सम्बन्ध है, जिस अवधि में रियायती दरें लागू होती हैं उस अवधि की अर्जेण्ट कालों की रियायत ५० प्रतिशत से घटा कर २५ प्रतिशत कर दी जायगी और इस अवधि की प्रायरिटी (प्राथमिकता) कालों पर दी जाने वाली रियायत उठा ली जायगी। इससे लगभग ५० लाख रुपये की प्राप्ति होगी। डाक, तार और टेलीफोन की दरों में फेरबदल होने से ४·६ करोड़ रुपये की कुल प्राप्ति होगी।

६४. चूंकि रेलों के अधिशेष की तरह डाक और तार विभाग का अधिशेष भी, केन्द्रीय राजस्व को लाभांश (डिविडेण्ड) देने के बाद, नवीकरण प्रारक्षित निधि (रिन्यूएल्स रिज़र्व फण्ड) में अन्तरित कर दिया जाता है, इसलिए, राजस्व बजट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुल कमी को आंकने में रेलवे और डाक तथा तार निधियों में किये जाने वाले अन्तरणों को पहले ही हिसाब में ले लिया गया है।

संकटकालीन खतरों का बीमा

६५. मैं पहले ही कह चुका हूं कि मौजूदा दरों के हिसाब से संकटकालीन ख़तरों के बीमे से सम्बन्ध रखने वाली प्राप्तियों की रक़म अगले साल ३६ करोड़ रुपया होगी। चूंकि संकटकालीन ख़तरों के बीमे का प्रीमियम राजस्व सम्बन्धी कर नहीं है, इसलिए ख़तरे के निर्धारण के आधार पर हर तिमाही इस में हेर फेर होना ही चाहिए। १ अप्रैल, १९६३ से शुरू होने वाली तिमाही में,

कारखानों और दूसरे संस्थानों के लिए बीमे की दरों को २५ नये पैसे से घटा कर १५ नये पैसे और माल के लिए १५ नये पैसे से घटा कर १० नये पैसे करने का मेरा प्रस्ताव है। १ अप्रैल, १९६३ से शुरू होने वाली तिमाही की इस कमी से उस तिमाही की प्राप्तियां ९ करोड़ रुपये से घट कर ६ करोड़ रुपये रह जायेंगी। चूंकि बाद की तिमाहियों की दरों का निश्चय इस समय नहीं किया जा सकता इसलिये संकटकालीन ख़तरों के बीमे से सम्बन्ध रखने वाली प्राप्तियों में अभी मैं सिर्फ ३ करोड़ रुपये की कमी की ही व्यवस्था कर रहा हूं, यानी पहले बताये गये ३६ करोड़ रुपये की जगह ३३ करोड़ रुपये।

राज्यों के साधन

६६. अगले साल के लिये साधन जुटाते समय हमें राज्यों की अतिरिक्त साधन सम्बन्धी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना है। इस सम्बन्ध में, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन करने के लिए मैं पहले ही एक विधेयक पेश कर चुका हूं। इसमें जिन संशोधनों का प्रस्ताव है उनसे १९६३–६४ में २२.५ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा जिसमें से १.५ करोड़ रुपया केन्द्र को संघीय राज्य क्षेत्रों से प्राप्त होगा और २१ करोड़ रुपया राज्यों को मिलेगा। पूरे वर्ष में केन्द्र और राज्यों को ३० करोड़ रुपया प्राप्त होगा। केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में फेर-बदल किये जाने से राज्यों को उनके हिस्से का ९.६० करोड़ रुपया मिलेगा। उन्हें अनिवार्य बचत योजना की प्राप्तियों में भी हिस्सा मिलेगा। इस तरह, जिन उपायों के लिये मैंने प्रस्ताव रखे हैं उनके परिणामस्वरूप राज्यों के साधनों में काफी वृद्धि हो जायगी। इतना होते हुए भी, राज्यों को अब भी, अपने ही साधनों से काफी धन जुटाना पड़ेगा। राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों से विचार-विनिमय करते हुए मैंने यह बात उन्हें बता दी है। देश की रक्षा के लिए साधन जुटाने का भारी दायित्व केन्द्र पर है, लेकिन आयोजना के अपने हिस्से का ख़र्च चलाने के लिए और अधिक साधन जुटाना राज्यों का काम है।

६७. जिन प्रस्तावों की रूपरेखा मैंने प्रस्तुत की है उनसे कुल २७५.५० करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इस में से ९.६० करोड़ रुपया राज्यों को मिलेगा और बाकी २६५.९० करोड़ रुपया केन्द्र को। इस तरह राजस्व खाते का घाटा ७० लाख रुपया रह जायगा।

६८. अनिवार्य बचत योजना से केन्द्र को ४० करोड़ रुपये की अतिरिक्त रक़म प्राप्त होने का अनुमान है। यह रक़म छोटी बचतों से होने वाली वास्तविक प्राप्तियों की १०५ करोड़ रुपये की रक़म के अलावा है। पहली तिमाही में संकटकालीन खतरों के बीमे की दर में, कमी होने से निधि में ३ करोड़ रुपया कम पहुंचेगा। अतिरिक्त करों में वसूल होने वाली रक़म और पूंजीगत प्राप्तियों में ३७ करोड़ रुपये की वास्तविक वृद्धि को हिसाब में लेने से कुल कमी घट कर १५१ करोड़ रुपये रह जायगी जिसे राजकोष हुण्डियों (ट्रेज़री बिल) के विस्तार से पूरा किया जायगा। सभी बातों पर विचार करते हुए यह आशा करना अनुचित न होगा कि इस परिमाण की घाटे की वित्त-व्यवस्था से अर्थ-व्यवस्था पर बुरा असर नहीं पड़ेगा।

निष्कर्ष

६९. इस तरह अगले साल रक्षा और विकास के लिए साधन जुटाने के मेरे प्रस्तावों का सम्पूर्ण प्रभाव यह होगा—३०५.९० करोड़ रुपये की कुल प्राप्ति, जिसमें ८७.३९ करोड़ रुपया सीमा-शुल्कों से, ११०.४० करोड़ रुपया व्यक्तियों और कम्पनियों पर लगने वाले प्रत्यक्ष करों से—जिनमें

अनिवार्य बचत शामिल है—और १०८ ११ करोड़ रुपया उत्पादन-शुल्कों तथा अन्तर्राज्य बिक्री-कर से मिलेगा। मुझे इस बात से प्रसन्नता नहीं है कि अपने पांचवें बजट के लिए जो प्रस्ताव मुझे रखने पड़ रहे हैं उनका आकार बहुत बढ़ गया है और उनकी रक़म मेरे पहले के चार बजटों के प्रस्तावों की कुल रक़म से बहुत ज्यादा हो गयी है। निश्चय ही लोगों को भी, अपने को कुछ असुविधा में डाले बिना, इन प्रस्तावों को स्वीकार करने में प्रसन्नता न होगी। लेकिन जिन प्रश्नों पर व्यक्तिगत रूप से हम में से प्रत्येक को, और सब को एक राष्ट्र के रूप में विचार करना है वे हैं: क्या चीनियों के हमले की चुनौती का जवाब दिये बिना हमारा गुज़ारा हो सकता है? क्या आगे के लिए यह समझदारी की बात होगी कि विकास की अपनी आकांक्षाओं का तयाग करके हम इस चुनौती का सामना करने का प्रयत्न करें? या सचमुच, ईमानदारी से इस का सामना न करने और इसके बदले मुद्रा का फैलाव करने वाली शक्तियों को बेलगाम छोड़ देने में बुद्धिमानी होगी? चूंकि मैं इन प्रश्नों का जवाब 'हां' में नहीं दे सका, इसलिए मैंने ये प्रस्ताव पेश किये हैं। ऐसा करने में मैंने अपनी योग्यता के अनुसार निष्पक्ष और व्यावहारिक रहने का यत्न किया है। मुझे आशा है कि कुछ समय में उस चुनौती का जवाब देने के लिए, जो हमारे सामने मौजूद है, लोगों के दृढ़ संकल्प से हमारे लिए यह संभव हो जायगा कि हम शान्ति, स्वतन्त्रता और समुचित प्रगति के लिए, जिसके लिए यह राष्ट्र अपने आपको समर्पित कर चुका है, और भी अधिक शक्ति से जुट जायें।

अन्तिम अनुमानों

(लाख रुपयों में)

राजस्व	बजट १९६२–६३	संशोधित १९६२–६३	बजट १९६३–६४
सीमा शुल्क . . .	२०,७८२	२३,१६५	२२,१२० +८,७३९*
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क .	५२,२०२	५५,३६९	५८,३९६ +१०,६६१*
निगम कर .	१७,८४५	१८,७५०	१९,६०० +३,१००*
आय सम्बन्धी कर . . .	६,८६५	७,७२३	८,१०५ +३,९००*
मृत सम्पत्ति शुल्क	१२	१२	१२
सम्पत्ति कर	९००	९००	९०० +४०*
व्यय कर . .	१०	२०	१०
दान कर . . .	८५	९५	९५
अन्य शीर्षक . . .	१,५८३	१,७७५	१,८३७ +१५०*
ऋण व्यवस्था	१६,७५१	१७,६४९	२१,७०५
प्रशासनिक सेवायें . .	६११	६७५	६७६
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवायें	३,५२९	४,३३७	३,१६१
बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें आदि .	३६	३९	४५
सरकारी निर्माण कार्य आदि .	४०२	४११	४३८
परिवहन और संचार	६३०	६६७	७४६
मुद्रा और टकसाल .	६,९५३	७,०५६	७,३६८
विविध . . .	२,४५६	२,५६२	२,४६३
अंशदान और विविध समायोजन	२,४४१	२,५२०	२,७६६
असाधारण मदें	४,०००	६,३००	८,१००
जोड़—राजस्व .	१,३८,०९३	१,५०,०२५	१,५८,५७३ +२६,५९०*

*बजट प्रस्तावों का प्रभाव

का सारांश

(लाख रुपयों में)

व्यय	बजट १९६२–६३	संशोधित १९६२–६३	बजट १९६३–६४
करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह	२,२५८	२,३०७	२,३८३
ऋण व्यवस्था . . .	२४,७९०	२४,६०३	२८,०२४
प्रशासनिक सेवायें . . .	७,०३१	७,६३९	८,८२८
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवायें .	१६,३२४	१५,७२६	१५,५४०
बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें आदि	१५७	७८	१९६
सरकारी निर्माण कार्य आदि .	२,१८८	२,३७१	२,०९४
परिवहन और संचार .	८७५	८७५	९७९
मुद्रा और टकसाल	२,०२३	२,२९६	१,७२४
विविध पेंशनें	१,०४७	१,०६४	१,०६८
विस्थापितों पर व्यय .	९६०	९६०	८४१
अन्य व्यय . .	८,९३८	८,८२०	९,१८९
अंशदान और विविध समायोजन—			
राज्यों को अनुदान .	२१,३५४	२१,०२४	२१,७५५
केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में राज्यों का हिस्सा	११,४३६	१२,४९१	१२,८०७
अन्य व्यय	३०७	३३५	३४२
असाधारण मदें . . .	४,१४०	६,४६१	८,६१९
रक्षा सेवायें (वास्तविक) . .	३४,३३७	४५,१८१	७०,८५१
जोड़—व्यय	१,३८,१६५	१,५२,२३१	१,८५,२४०
कमी (—)	(—)७२	(—)२२०६	(—)२६,६६७
अधिशेष (+)			(+)२६,५९०*

वित्त विधेयक १९६३

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये केन्द्रीय सरकार वित्तीय प्रस्थापनाओं को क्रियान्वित करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये केन्द्रीय सरकार वित्तीय प्रस्थापनाओं को क्रियान्वित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

अधिलाभ कर विधेयक

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कतिपय समवायों पर विशेष कर लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय समवायों पर विशेष कर लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति ी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मोरारजी देसाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अनिवार्य जमा योजना विधेयक

श्री मोरारजी देसाई मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास के विचार से अनिवार्य जमा के लिए और उस सम्बन्ध में योजना बनाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास के विचार से अनिवार्य जमा के लिए और उस सम्बन्ध में योजना बनाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, १ मार्च, १९६३/१० फाल्गन, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, २८ फरवरी, १९६३

९ फाल्गुन, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	६४१—६९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५३	भारत में कोयले का परिवहन	६४१-४२
१५४	अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ	६४२—४४
१५५	नई दिल्ली में सुपर मार्केट	६४४—४६
१५६	सिंचाई और बिजली की बड़ी परियोजनायें	६४६—४८
१५७	ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	६४८-४९
१५८	राजस्थान नहर में नौपरिवहन	६४९-५०
१५९	कलकत्ता नेशनल बैंक	६५०-५१
१६०	विद्युत परियोजनायें	६५२—५४
१६१	राष्ट्रीय रक्षा कोष	६५५—५९
१६२	अपर सिलेरू जल-विद्युत परियोजना	६६०
१६३	दिल्ली में बिजली का संकट	६६०—६२
१६४	दण्डकारण्य परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति	६६२-६३
१६५	खाद्य अपमिश्रण	६६३—६५
१६६	आवास मंत्रियों का सम्मेलन	६६५-६६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१	फरक्का बांध	६६७—६९
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	६६९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६७	दिल्ली में गन्दी बस्तियां	६६९-७०
१६८	यमुना जल विद्युत् परियोजना	६७०

१६९	विश्व स्वास्थ्य संगठन	६७०
१७०	दुर्गापुर बिजली घर . . .	६७०–७१
१७२	मोजम्बीक से वापस लौटे भारतीयों की वस्तुओं पर सीमा शुल्क	६७१

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३४	कोसी परियोजना	६७१–७२
२३५	राजस्थान नहर .	६७२
२३६	नागार्जुन सागर परियोजना	६७२
२३७	मैसूर जल विद्युत परियोजना . .	६७२–७३
२३८	दामोदर घाटी निगम में बचत करने के उपाय	६७३–७४
२३९	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक व उप-निरीक्षक .	६७४
२४१	राष्ट्रीय रक्षा कोष में सरकारी कर्मचारियों का अंशदान	६७४–७५
२४२	केन्द्र तथा राज्यों में लोक निर्माण विभाग का आमूल परिवर्तन	६७५
२४३	सोने का तस्कर व्यापार	६७५
२४४	संसद-सदस्यों के लिये फ्लैट	६७६
२४५	दिल्ली में प्रतिनियुक्त कर्मचारी	६७६
२४६	सरकारी मुद्रणालय के प्रबन्धकों का सम्मेलन .	६७६–७७
२४७	पुनर्वास वित्त प्रशासन के गारंटीकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही .	६७७
२४८	रामकृष्णपुरम में क्वार्टर	६७७
२४९	राज्यों द्वारा भूमि का विकास	६७८–७९
२५०	दिल्ली की वृहद योजना	६७९
२५१	स्वर्ण नियंत्रण बोर्ड	६७९
२५२	इन्दौर में पुनर्वास कार्यालय .	६७९–८०
२५३	केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड .	६८०
२५४	केरल में सिंचाई और विद्युत की बड़ी परियोजनायें	६८०
२५५	गाजीपुर अफीम कारखाना .	६८१
२५६	मनीपुर, त्रिपुरा और अन्दमान में पीने का पानी	६८१
२५७	राजघाट में गांधी स्मारक	६८१
२५८	श्री सैलम जल-विद्युत परियोजना	६८२

विषय पृष्ठ

२५६ राजस्थान के गांवों में बिजली लगाना ६८२

२६० मनीपुर में जल विद्युत योजनाएं ६८२—८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ६८३—८४

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष १९६१—६२ की वार्षिक प्रतिवदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियं क महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(२) बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, १९४१, जो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू है की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली बिक्री कर नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली दो अधि-सूचनाओं की एक-एक ति :—

(एक) दिनांक १३ जुलाई, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ ३(३१)/५८—फिन(ई) ।

(दो) दिनांक १७ नवम्बर, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ ४(३३)/६२—फिन (ई) ।

(३) विदेशी मुद्रा विनियमन, अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३३० ।

(ख) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३३१ ।

(४) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २६ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३३ में प्रकाशित औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति ।

(५) सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की क-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९८ में प्रकाशित यात्री (पर्यटकों) के अतिरिक्त सामान (संशोधन) नियम, १९६३।

(दो) दिनांक २ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९९ में प्रकाशित यात्रियों का सामान (संशोधन) नियम, १९६३।

(तीन) श्रीलंका सामान नियम, १९३० में आगे कुछ संशोधन करने वाले दिनांक २ फरवरी, १९६३ के एस० ओ० संख्या २९३।

(चार) दिनांक १६ फरवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या २८३ जिसमें दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १४३२ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(६) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ के अन्तर्गत निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति।

(एक) दिनांक १९ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ९७।

(दो) दिनांक २६ फरवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १३५।

(७) सीमा ुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली समुद्र सीमा शुल्क ऐक्ट १८७८ और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक ऐक्ट, १९४४ के अन्तर्गत निकाली गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १९ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १००।

(दो) दिनांक १९ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १०१।

(तीन) दिनांक २ फरव ी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १८२।

(८) धन कर अधिनियम, १९५७ की धारा ४६ की उप-धार (४) के अन्तर्गत दिनांक १९ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२८ में प्रकाशित धन कर (शासकों के परम्परागत जेवर पर छूट) संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति।

विषय	पृष्ठ
प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन—उपस्थापित	६८५
तेरहवां और बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६२-६३ . . .	६८५—९८
आयव्ययक (रेलवे), १९६२-६३ के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई और समाप्त हुई। मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।	
विधेयक पारित	६९८—७२४
२१-१-६३ को प्रस्तुत कृषि पुनर्वित्त निगम विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। विचार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार विचार के पश्चात्, विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया गया।	
आय व्ययक (सामान्य) १९६३-६४—उपस्थापित . . .	७२४—४७
वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने वर्ष १९६३-६४ के लिये भारत सरकार की अनुमित आय तथा व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।	
विधेयक पुरस्थापित	७४८-४९
(१) वित्त विधेयक, १९६३	
(२) अधिलाभ कर विधेयक, १९६३	
(३) अनिवार्य जमा योजना विधेयक, १९६३	
शुक्रवार १ मार्च, १९६३ / १० फाल्गुन, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि .	
रेलवे आयव्ययक, १९६३-६४ पर सामान्य चर्चा तथा गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार।	

GMGIPND—LS III—2927(Ai) LSD—3-5-63—160.